07

अध्याय

सामाजिक क्षेत्र: कल्याण जो सशक्त करे

हाल के वर्षों में भारत की उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और संस्थागत प्रगति भी हो रही है, जो सशक्तीकरण के साथ सरकारी कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी और प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है, जो कल्याण के लिए एक परिवर्तित दृष्टिकोण की पहचान बन गया है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्वच्छता हो, डिजिटल सशक्तिकरण हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता हो, सामाजिक अवसंरचना तंत्र के प्रत्येक पहलू ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी योजना और वितरण के माध्यम से प्रगति की है। सभी के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणाम और सफलता की कहानियाँ स्पष्ट हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पहुँच में महत्वपूर्ण मोड़ आ रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 360 डिग्री सक्षम हस्तक्षेपों के साथ महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पारदर्शी और डिजिटल ग्रामीण शासन के लिए कई कार्यक्रमों के साथ-साथ जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2047 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए, प्रभावी और कुशल सरकारी कार्यक्रम और राज्य-स्तरीय पहल, सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।

परिचय

7.1 भारत 2047 तक विकास की सीढ़ी के अगले स्तर 'विकसित भारत' के सोपान (विकसित भारत@2047) तक बढ़ने की राह पर है। आर्थिक विकास सामाजिक, तकनीकी और संस्थागत प्रगति सहित विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है। तथापि, सार्वजनिक नीति की दिशा और उसका कार्यान्वयन भी विकास को समग्र मानव विकास में बदलने में सहायक होता है। 18 प्रतिशत मानवता का घर होते हुए,[1] भारत के सामाजिक बुनियादी ढांचे को संस्कृतियों, भाषाओं और भौगोलिक क्षेत्रों से परे एक विविध और विस्तृत आबादी तक पहुँचना चाहिए। एक युवा और आकांक्षी समाज का दावा करते हुए, भारत का लक्ष्य उच्च आर्थिक विकास द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को हासिल करना है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छता सुविधाएँ, किफायती आवास, बिजली और इंटरनेट की सुविधाओं वाला समाज सुनिश्चित करना है। टिकाऊ और न्यायसंगत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आयोजन किया गया है, और यह यात्रा चुनौतियों, पुरानी और नई, और केंद्रीकृत और स्थानीय समाधानों के साथ जारी है।

7.2 पिछले दशक के बाद, भारतीय कल्याणकारी अवधारणा को महत्वपूर्ण रूप से एक अधिक दीर्घकालिक उन्मुख, कुशल और सशक्त अवतार में बदल दिया गया है। इसने कल्याणकारी पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत बनाया है और देश में मानव विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में मदद की है। इसके अलावा, सरकार का सामाजिक क्षेत्र का व्यय इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व के साथ तालमेल रखता रहा है। सामाजिक सेवाओं पर सरकार के खर्च में वित्त वर्ष 2016 से वृद्धि का रुझान दिखा है, जिसमें देश के नागरिकों के सामाजिक कल्याण के कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसा कि तालिका VII.1 से स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2024 के बीच में, नाममात्र जीडीपी लगभग 9.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। कुल मिलाकर, कल्याण व्यय 12.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। शिक्षा पर व्यय 9.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है- जो कि जीडीपी वृद्धि-दर के लगभग बराबर है। स्वास्थ्य पर व्यय जैसा नीचे तालिका में दिखाया हैं 5.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है।

1 संयुक्त राष्ट्र का अनुमान https://www.un.org/en/global-issues/population

तालिका VII.1: सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा व्यय में रुझान

(संयुक्त केंद्र और राज्य)

(₹ करोड़)

मदें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (स. अ.)	2023-24 (बीई)
कुल व्यय	45,15,946	50,40,747	54,10,887	63,53,359	70,98,451	83,76,972	90,45,119
सामाजिक सेवाओं पर व्यय[2]	11,39,524	12,78,124	13,64,906	14,79,389	17,87,019	21,49,346	23,50,584
जिसका कि:							
शिक्षा[3]	4,83,481	5,26,481	5,79,575	5,75,834	6,39,436	7,68,946	8,28,747
*शिक्षा (शिक्षा मंत्रालय का अनुमान)**	6,621,51	7,36,581	8,63,118 (RE)	9,19,145 (BE)			
स्वास्थ्य[4]	2,43,388	2,65,813	2,72,648	3,17,687	4,56,109	5,12,742	5,85,706
अन्य	4,12,655	4,85,829	5,12,683	5,85,868	6,91,474	8,67,659	9,36,131
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.7	6.8	6.8	7.5	7.6	8.0	7.8
जिसका कि:							
शिक्षा	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.9	2.7
*शिक्षा (शिक्षा मंत्रालय का अनुमान)**	3.9	3.9	4.3 (स. अ.)	4.6 (स. अ.)			
स्वास्थ्य	1.4	1.4	1.4	1.6	1.9	1.9	1.9
अन्य	2.4	2.6	2.6	3.0	2.9	3.2	3.1
कुल व्यय के प्रतिशत के अनुसार							
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	25.2	25.4	25.2	23.3	25.2	25.7	26.0
जिसका कि:							
शिक्षा	10.7	10.4	10.7	9.1	9.0	9.2	9.2
स्वास्थ्य	5.4	5.3	5.0	5.0	6.4	6.1	6.5
अन्य	9.1	9.6	9.5	9.2	9.7	10.4	10.3
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के अनुसार							
शिक्षा	42.4	41.2	42.5	38.9	35.8	35.8	35.3

2 सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम और श्रमिक कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि शामिल हैं।

3 'शिक्षा' पर व्यय 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।

4 'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जलापूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल हैं।

स्वास्थ्य	21.4	20.8	20.0	21.5	25.5	23.9	24.9
अन्य	36.2	38.0	37.6	39.6	38.7	40.4	39.8

स्रोत: आरबीआई

नोट: (i) वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात 2011-12 के आधार पर 2021-22 तक आधारित हैं। 2022-23 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार है।

(ii) भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय (एमओई) शिक्षा पर सामान्य सरकारी खर्च की भी गणना करता है। जबकि शिक्षा व्यय पर आरबीआई के आंकड़ों में केंद्र और राज्यों द्वारा शशिक्षा, खेल, कला और संस्कृतिश पर किए गए खर्च को शामिल किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के अनुमानों में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सामाजिक सुरक्षा के तहत शिक्षा, मिड-डे मील के तहत पौष्टिक भोजन पर खर्च, पुलिस को प्रशिक्षण देने पर खर्च, श्रम रोजगार और कौशल विकास व्यय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत शिक्षा/प्रशिक्षण व्यय आदि पर किया गया खर्च भी शामिल है। इससे शिक्षा पर खर्च का उच्च अनुमान निकलता है, जो 2020-21(नवीनतम उपलब्ध) में सकल घरेलू उत्पाद का 4.64 प्रतिशत है।

7.3 यह अध्याय हाल के वर्षों में उच्च आर्थिक वृद्धि का देश के नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत करता है। शुरूआत में जनसंख्या के जीवन स्तर के व्यापक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिणामों पर चर्चा की गई है। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों को कुछ विस्तार से कवर किया गया है। नारी शक्ति पर जोर देने के मद्देनजर, अगले भाग में देश में बढ़ती महिला की शक्ति और इस संबंध में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई है। देश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। जमीनी स्तर पर हो रहे विकास और ग्रामीण भारत के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की भूमिका को आखिरी भाग में प्रस्तुत किया गया है।

विकास को सशक्त कल्याण के साथ जोड़ना

7.4 लेह में डेमचोक गांव, जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पारा माइनस 40 डिग्री तक गिर सकता है, को जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में अपना पहला नल जल कनेक्शन मिला, जिससे महिलाओं को पानी लाने के झंझट से मुक्ति मिली। महाराष्ट्र के बुलुमगवन के एक सुदूर आदिवासी गांव को आजादी के 70 साल बाद 2018 में ही बिजली मिली।

7.5 ऐसी कई कहानियाँ हैं जहाँ आम नागरिकों को सरकार के कल्याण के लिए सशक्त बनाने वाले दृष्टिकोण का लाभ मिल रहा है। भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ, औसत भारतीयों का जीवन एक दशक पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 52.6 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं, पीएम-आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 3.47 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, जल जीवन मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में नल का जल कनेक्शन दिया गया है और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.9 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इन संख्याओं के पीछे बेहतर जीवन की कई कहानियाँ छिपी हैं।

7.6 भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवेश कई ताकतें, अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसकी ताकतों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को गिना जा सकता है, जो सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के माध्यम से अपने लोगों को कल्याण और अवसर प्रदान करने में बड़ी प्रगति कर रही है। अवसर इस तथ्य में परिलक्षित होते हैं कि भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है,[5] और 18 प्रतिशत आबादी 15-24 वर्ष की आयु वर्ग में है (वैश्विक औसत 15.4 प्रतिशत की तुलना में)। युवा भारत सामाजिक और वित्तीय प्रगति की सीढ़ी तेजी से चढ़ना चाहता है। इन ताकतों और अवसरों को स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार, कुपोषण को खत्म करने, अंतर्देशीय क्षेत्रों की क्षमता को दिशा देने, क्षेत्रीय, जाति और लिंग असमानताओं से निपटने और सरकार के सभी स्तरों पर जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित करने सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों से भी संतुलित किया जाता है। सीमित राजकोषीय संसाधनों के मद्देनजर, उभरते सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में जनता की अपेक्षाओं के लिए एक संवेदनशील, व्यावहारिक और विवेकपूर्ण कल्याणकारी नीति की आवश्यकता है।

5 संयुक्त राष्ट्र, विश्व जनसंख्या संभावनाएँ (2022), https://ourworldindata.org/grapher/population-by-agegroup

7.7 इसके लिए दृष्टिकोण को दीर्घकालिक, कुशल और सशक्त बनाने वाले दृष्टिकोण में बदलना आवश्यक था, जो समावेशी विकास के लिए एक शुरुआत के रूप में बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच पर केंद्रित था, इस प्रकार प्रमुख पहलों की एक श्रृंखला को प्रेरित किया। दुर्लभ संसाधनों के बार-बार वितरण की आवश्यकता वाले अल्पकालिक उपायों के विपरीत, ऐसा दृष्टिकोण न केवल आने वाले दशकों के लिए सामाजिक बुनियादी ढाँचा तैयार करता है, बल्कि व्यक्तियों को जीवन स्तर की सीढ़ी पर चढ़ने और विकास के साथ आने वाले अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नागरिकों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना सामाजिक संबंधों और सिद्धांतों को बदलकर स्वायत्तता और आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है ताकि समाज के अब तक बहिष्कृत वंचित वर्ग भी दुनिया में जगह पा सकें। लोगों को कल्याण के ट्रेडमिल से विकास के ट्रेडमिल पर लाना केवल वित्तीय दूरदर्शिता का मामला नहीं है। जब जनता के सदस्य कल्याण-निर्भरता से दूर होकर विकास में भाग लेते हैं और योगदान देते हैं, तो आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत गरिमा बढ़ जाती है। जैसा कि रमा बीजापुरकर ने कहा है, सामाजिक रूप से वंचित लोगों के बीच भी, "एक विशिष्ट और बढ़ता हुआ वर्ग है, जो नेटवर्क, सूचना, सरकारी सहायता और व्यक्तिगत परिस्थितियों के संयोजन से, बेहतर जीवन के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रयास करने की क्षमता और ऊर्जा पाता है।"[6]

नए कल्याणकारी दृष्टिकोण के आधार

7.8 नए कल्याणकारी दृष्टिकोण में यह बात ध्यान में रखी गई है कि केवल खर्च करने से परिणाम की गारंटी नहीं मिल सकती। यह सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को बदलने पर जोर देता है, जिससे खर्च किए गए प्रति रुपये का प्रभाव बढ़ता है। अकादमिक साहित्य में भी लागत-प्रभावशीलता पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मुरलीधरन (2024)[7] का अनुमान है कि जब तक खर्च को परिणामों में बदलने की दक्षता में पर्याप्त सुधार नहीं किया जाता, तब तक न तो वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और न ही विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है (अर्थात, सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि) जिससे बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने, स्कूलों में सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने में संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। इस उद्देश्य से, सरकार प्रक्रिया सुधारों और जवाबदेही पर जोर दे रही है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ जुड़ी हुई है।

7.9 स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन का डिजिटलीकरण कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए एक बल गुणक रहा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना और जन धन योजना-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी राजकोषीय दक्षता और रिसाव को कम करने में सहायक रही है, 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से डीबीटी के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।[8]

7.10 सरकार ने बजटीय आबंटन के लिए एक लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण तंत्र भी लागू किया गया है, जिसमें योजनाओं के अपेक्षित आउटपुट और परिणाम शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018 से पारंपरिक वार्षिक बजट के साथ आउटकम बजट भी शामिल किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020 से नीति आयोग द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 'आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क' विकसित किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक सेवा व्यय के भीतर पूंजीगत व्यय में तेजी से उत्पादकता और सामाजिक परिसंपत्तियों के निर्माण में वृद्धि का संकेत मिलता है। यह प्रमुख योजनाओं में सर्वव्यापी, उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणालियों (एमआईएस) की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था, जो साथ-साथ निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। बॉक्स VII.1 शासन में डेटा के बढ़ते महत्व पर गहराई से चर्चा करता है।

6 'दो भारत की नई कहानी', बिजनेस स्टैंडर्ड, 25 जून 2024 https://tinyurl.com/35p9ukf8

7 मुरलीधरन, कार्तिक। 2024. भारत के विकास को गति देना: प्रभावी शासन के लिए राज्य-नेतृत्व वाली रोडमैप। पेंगुइन इंडिया वाइकिंग, आईएसबीएन: 9780670095940, अध्याय 10।

8 15 जुलाई 2024 तक, स्रोत: https://dbtbharat.gov.in/

बॉक्स VII.1: भारत में डेटा गवर्नेंस में बदलाव: डीजीक्यूआई 2.0 और उससे आगे

पिछले कुछ दशकों में, भारत सरकार ने डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल के दशकों में एमआईएस और सुगमता राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुंच नीति और data.gov.in जैसी नीतियों के माध्यम से केंद्रीकृत डेटा एक्सेस के साथ डिजिटल परिवर्तन देखा गया है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियाँ (दिशा), प्रयास और आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जैसे डैशबोर्ड सिस्टम और प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक नीति में जवाबदेही में सुधार किया है।

आज, अधिकांश सरकारी कार्यक्रम आंतरिक एमआईएस का उपयोग करते हैं जो विशाल मात्रा में डेटा को कैप्चर करते हैं। आज के डिजिटल युग में, इस डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, निर्णय लेने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि निकालना, पाठ्यक्रम सुधारों की सुविधा प्रदान करना और सरकारी डेटा इकाइयों में अंतर-संचालन सुनिश्चित करना, विकसित भारत की दिशा में भारत की डेटा रणनीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। यह निर्णय लेने के लिए डेटा की उपलब्धता को बढ़ाएगा और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने वाले लाभार्थियों के लिए एक सहज अनुभव के लिए सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देगा।

इस संदर्भ में, आगे की राह तय करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों (एम/डी) की वर्तमान डेटा तैयारी के स्तर की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, विभिन्न एम/डी की डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) अभ्यास शुरू किया गया था ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और सर्वोत्तम प्रथाओं से सहकारी सहकर्मी सीखने को बढ़ावा दिया जा सके।

चार्ट: डीजीक्यूआई के घटक

यह अभ्यास समय-समय पर आयोजित किया जाता है, जहां मंत्रलयों से डीजीक्यूआई डैशबोर्ड पर एक मानक प्रश्नावली के उत्तर मांगे जाते हैं। यह अभ्यास एक रिपोर्ट है जिसमें सभी एम/डी और उनकी योजनाओं की रैंकिंग शामिल हैं, जो आगे सुधार और सीखने के लिए विश्लेषण प्रदान करती है। सूचकांक 2020 में पहले दौर में 2.29/5 से बढ़कर नवीनतम दौर में 3.95/5 हो गया है, यानी, लगभग 75 एम/डी और 567 हस्तक्षेप/योजनाएं शामिल हैं।

आशा है कि दीर्घकाल में डीजीक्यूआई सभी एम/डी की सभी सीएस/सीएसएस योजनाओं की मजबूत, डाटा निगरानी प्रणाली, की नींव रखने में सहायक होगा जिससे अंततः अत्याधुनिक डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।

7.11 इस दृष्टिकोण में अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने के लिए लक्षित कार्यान्वयन सुधार भी शामिल हैं, ताकि "कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे" के सिद्धांत को सही मायने में साकार किया जा सके। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी), सरकार के विभिन्न स्तरों पर 'अभिसरण', नागरिक समाज और सरकार के बीच 'सहयोग', तथा मासिक प्रगति की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड के माध्यम से राज्यों और जिलों के बीच 'प्रतिस्पर्धा' के 3सी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा जैसे कई संकेतकों में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा बिजली कनेक्शन, सभी मौसम के अनुकूल सड़कें, बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं आदि जैसे बुनियादी ढांचे में संतृप्ति की रिपोर्टिंग हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा कार्यक्रम के मूल्यांकन में निष्कर्ष निकाला गया कि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास और शासन और प्रशासन में सुधार हुआ है।[9] बॉक्स VII.2 एडीपी की सफलता के दो उदाहरण प्रस्तुत करता है। अन्य लक्षित कार्यक्रमों में 2023 में शुरू किया जाने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम, और हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शामिल है, जिसमें 15 नवंबर 2023 से शुरू होकर दो महीनों में 15 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी गई, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं की संतृप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास के अन्य उदाहरण हैं।

बॉक्स VII.2: बारामूला और गुमला की 'आकांक्षा' से 'परिवर्तन' की ओर प्रगति

जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला और झारखंड के गुमला जिलों ने एडीपी श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित पीएम पुरस्कार 2022 जीता। गुमला और बारामूला में की गई पहल एडीपी के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाती है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

बारामूला ने अपनी चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति और खराब मौसम की उरी और बोनियार में प्रसव प्रतीक्षा वार्ड स्थापित करके, स्थितियों का निपटान किया जिससे 20,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ। पोषण ट्रैकर टैब के साथ निगरानी के माध्यम से गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और एमएएम की दर लगभग शून्य स्तर तक गिर गई। शैक्षिक पहलों में 18 प्रयोगशाला स्कूल शामिल थे जो नवीन शिक्षण तकनीकों और सीखने के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते थे। हाइब्रिड लर्निंग और आईसीटी टूल्स ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया। अन्य प्रयासों में फसल विविधीकरण, मशरूम की खेती, जैविक खेती और डेयरी इकाइयाँ शामिल थीं। शासन उपायों में डिजिटल गैप विश्लेषण, बायोमेट्रिक उपस्थिति और शिक्षा के लिए एक नवाचार सेल शामिल थे।

9 आकांक्षी जिला कार्यक्रमः एक मूल्यांकन, यूएनडीपी, दिसंबर 2020, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Aspirational-Districts-Programme-An-Appraisal.pdf पर उपलब्ध , 18 जून 2024 को अभिगमित किया गया

गुमला ने रागी की खेती को बढ़ावा देकर एनीमिया और कुपोषण की समस्या का समाधान किया, आजीविका के अवसरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाओं को सशक्त बनाया। इस पहल ने जिले की कम आय, खराब उत्पादकता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की कमी की चुनौतियों का समाधान किया है। आदिवासी महिलाओं ने रागी की खरीद, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को संभाला। शासन की पहलों में सार्वजनिक शिकायतों के लिए एक ओपन डोर की नीति, नियमित बैठकें और इष्टतम निधि आवंटन शामिल थे। अभिनव रागी मिशन ने रागी की खेती के क्षेत्र को 3500 एकड़ तक बढ़ाकर स्थिर मोनोक्रॉपिंग प्रथा को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 में उत्पादन में 219 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 4349 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली सौर-आधारित लिफ्ट और ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्षेत्र में पूरे साल कृषि पद्धति सुनिश्चित करती है।

7.12 कल्याण के प्रति इस परिवर्तित दृष्टिकोण में सामाजिक सक्षमताओं को प्राथमिकता देना भी शामिल है। तदनुसार, स्वास्थ्य और स्वच्छता में निवेश पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए, मिशन इंद्रधनुष के तहत बाल टीकाकरण और ओडीएफ और ओडीएफ प्लस और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता उपाओं के कारण कम बीमारी की घटनाओं, बीमारी के कारण स्कूल से कम अनुपस्थिति और कम सुविधा प्राप्त लोगों के बीच लंबे समय में अधिक प्रभावी पोषक तत्व अवशोषण को बढ़ावा दिया है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 2015-16 में 77.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 83.8 प्रतिशत हो गया।

7.13 देश की जनसांख्यिकी और व्यवसाय प्रोफाइल को देखते हुए सरकार की एक और नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रदान करना रही है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई), पीएम जीवन ज्योति योजना (पीएमजेएवाई), और पीएम सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (तीनों को 2015 में लॉन्च किया गया) सार्वभौमिक बैंक खाता पैठ से सुसज्जित एक विस्तारित सामाजिक सुरक्षा जाल की सफलता की कहानियाँ हैं। जबकि पीएम-जेजेवाई और पीएम-एसबीवाई अपनी तरह की पहली योजनाएँ थीं, एपीवाई ने अपने पूर्ववर्ती, स्वावलंबन योजना की तुलना में उल्लेखनीय सुधार किया।

7.14 कल्याण के प्रति दृष्टिकोण समग्र और समाज के लिए है, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। वर्ष 2014 में, कंपनी अधिनियम, 2013[10] की धारा 135 के तहत एक नए प्रावधान के माध्यम से सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रमों पर कंपनियों द्वारा खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। 2014 के बाद सीएसआर खर्च की प्रवृत्ति का विवरण बॉक्स टप्.3 में प्रस्तुत किया गया है। अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास के साथ, भारत में कॉर्पोरेट मुनाफे और, इसलिए, अनिवार्य सीएसआर पूल में वृद्धि जारी रहेगी, जिससे सतत और समावेशी विकास को बल मिलेगा, जिसे गैर-लाभकारी संगठन जमीनी स्तर पर अपनी अंतिम-मील उपस्थिति के साथ गति देने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित हैं।

10 सीएसआर पर कानूनी अधिदेश उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। सीएसआर अधिदेश के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सामाजिक प्रभाव कार्यक्रमों पर खर्च करना आवश्यक है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प में सूचीबद्ध किसी भी कारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

बॉक्स VII.3: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - लाभ और उद्देश्य के बीच सेतु का निर्माण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के आंकड़ों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों की सीमा के कुछ रुझान नीचे प्रस्तुत हैं।

(क) 2014 से 2022 तक के आठ वर्षों में सीएसआर पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए और पिछले तीन वर्षों में खर्च सीएसआर की शुरुआत से अब तक खर्च की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में सीएसआर अनुपालन में वृद्धि देखी गई है, जिसमें आधी से अधिक कंपनियां अपने दायित्व से भी आगे निकल गई हैं। पिछले तीन वर्षों से सालाना सीएसआर खर्च 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जिसमें आठ वर्षों में सालाना सीएसआर खर्च 1.5 गुना बढ़ा है।[11]

चार्ट VII.1: (क) भारत में वार्षिक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

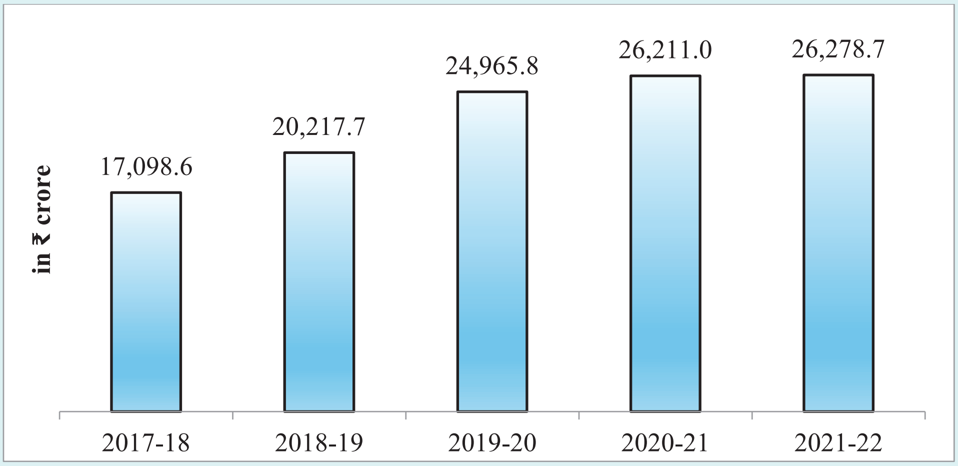

स्रोत: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का वेब पोर्टल https://www.mca.gov.in/content/csr/global/master/home/home.html

चार्ट VII.1: (ख) कुल सीएसआर व्यय: शीर्ष पांच राज्य, वित्तीय वर्ष 22

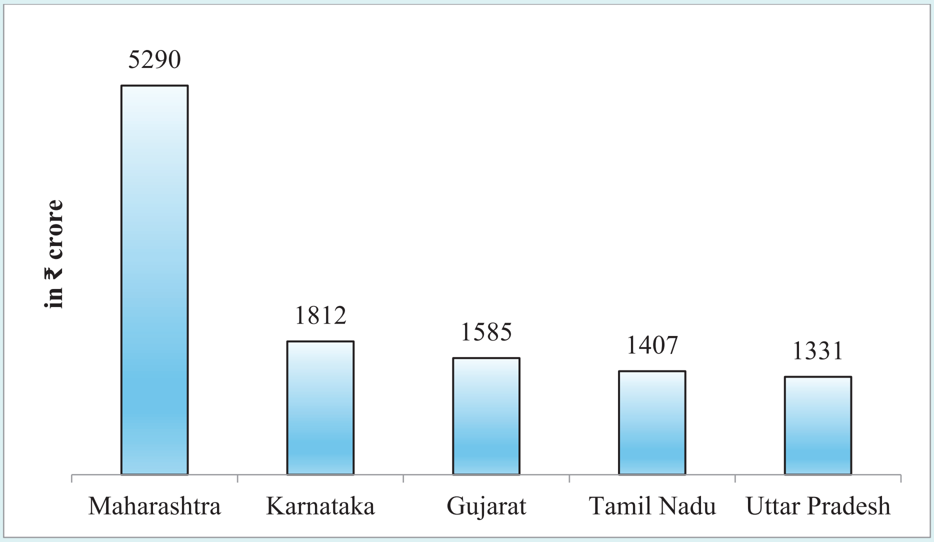

स्रोत: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का वेब पोर्टल https://www.mca.gov.in/content/csr/global/master/home/home.html

11 स्रोत: इंडिया डेटा इनसाइट्स, सत्व कंसल्टिंग https://indiadatainsights.com/theme/csr-in-india/

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, सीएसआर अधिदेश के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा हैं, तथा वे कुल सीएसआर राशि में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान देती हैं।

(ग) क्षेत्रवार, कुल सीएसआर व्यय का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा शीर्ष चार विकास क्षेत्रों में है, अर्थात शिक्षा (32.4 प्रतिशत), स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता (38.4 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (6.9 प्रतिशत), और पर्यावरण, पशु कल्याण और संरक्षण (10.9 प्रतिशत)।

(घ) सीएसआर फंड का लगभग आधा कार्यान्वयन गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी में होता है। कंपनियों द्वारा अपनाए गए इस कार्यान्वयन मॉडल ने देश में गैर-लाभकारी पारिस्थितिकी तंत्र को एक उत्कृष्ट बढ़ावा दिया है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विचारों के क्रॉस-पॉलिनेशन को सक्षम किया है। जबकि गैर-लाभकारी संस्थाएँ साझेदार कंपनियों से विश्लेषणात्मक और प्रक्रिया-आधारित कठोरता सीखती हैं, बाद वाली कंपनियों को समाज के कॉर्पोरेट नागरिकों के रूप में सामुदायिक जुड़ाव और समावेशी दृष्टिकोण से लाभ हुआ है।

(ङ) सीएसआर निवेश का वितरण मुख्य रूप से देश में कॉर्पोरेट मुख्यालयों के केंद्रों के आसपास केंद्रित है, जबकि अविकसित क्षेत्रों में अपर्याप्त वित्त पोषण है। आकांक्षी जिलों में सीएसआर खर्च बहुत कम है, और इसका आधा हिस्सा पीएसयू से आता है। क्षेत्रीय रूप से संतुलित सीएसआर खर्च के लिए, अविकसित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों के संगठनात्मक विकास और क्षमता निर्माण में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

समग्र प्रगति और परिणाम

बहुआयामी गरीबी में सुधार

7.15 केवल आय पर ध्यान केंद्रित करना गरीबी की वास्तविक सत्यता को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह हर दिन लाखों व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली सटीक वंचना को छिपा सकता है। यहाँ, बहुआयामी गरीबी का माप गरीबी की घटना और तीव्रता को मापने के लिए मूल्यवान है क्योंकि यह बताता है कि कौन गरीब है और वे किस तरह के विभिन्न नुकसानों का अनुभव करते हैं।

7.16 नीति आयोग द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का अनुमान लगाया गया है, जो[12] यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित वैश्विक एमपीआई के अनुरूप है, जिसमें भारतीय संदर्भ के लिए कुछ अनुकूलन हैं।[13] नीति आयोग द्वारा अनुमानित एमपीआई में तीन समान रूप से भारित आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो 12 भारित संकेतकों में विभाजित हैं। ये अभाव बहुत बुनियादी हैं और इसलिए, वास्तविक गरीबी के प्रतीक हैं, साथ ही नीति निर्माताओं को देश में अभावों के बारे में भी बताते हैं।[14]

7.17 जबकि हेडकाउंट अनुपात बहुआयामी गरीबी के प्रसार को मापता है, वंचना स्कोर बहुआयामी गरीबी की तीव्रता को मापता है (अर्थात, एक गरीब व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए वंचना की संख्या)। एमपीआई-गरीब के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक परिवार के लिए 0.33 का भारित वंचना स्कोर आवश्यक है। इस प्रकार एमपीआई सूचकांक हेडकाउंट अनुपात (एचसीआर) और तीव्रता के उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है।

एमपीआई में भारत की प्रगति: 2019-21 बनाम 2015-16

7.18 एचसीआर अनुपात में तीव्र गिरावट आई है, साथ ही गरीबी की तीव्रता में भी कमी आई है, एमपीआई 2015-16 में 0.117 से लगभग आधा घटकर 2019-21 में 0.066 हो गया है, जिससे भारत 2030 की निर्धारित समय-सीमा से बहुत पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे से कम करने) को प्राप्त करने के मार्ग पर

12 https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI

13 https://www.niti.gov.in/index.php/whats-new/national-multidimentional-poverty-index-2023

14 इस सूचकांक को विकसित करने के लिए उल्किरे-फोस्टर पद्धति को अपनाया गया है। इसमें कई स्वयंसिद्ध लाभ हैं जैसे कि एकरसता, पैमाना और प्रतिकृति अपरिवर्तनशीलता, समरूपता, गरीबी और अभाव फोकस, आदि, जो इसे विश्व स्तर पर स्वीकृत पद्धति बनाते हैं। यह यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा वैश्विक एमपीआई के समान ही है, जिसमें एमएफएचएस के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2 अतिरिक्त संकेतक, यानी मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता शामिल हैं।

अग्रसर है। परिणामस्वरूप, अनुमान है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह गिरावट पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्षों, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन में वंचन में कमी के कारण हुई है, जो बड़े पैमाने पर नीतिगत ध्यान के कारण है। क्षेत्रवार, यह प्रवृत्ति ग्रामीण भारत द्वारा संचालित है, जिसमें बिहार, एमपी, यूपी, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। उल्लेखनीय रूप से, बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 10 प्रतिशत से कम लोगों वाले राज्यों की संख्या 2016 में 7 से बढ़कर 2021 में 14 हो गई।

चार्ट VII.2: बहुआयामी गरीबी में कमी

(क) बहुआयामी गरीबी का हैडकाउंट अनुपात

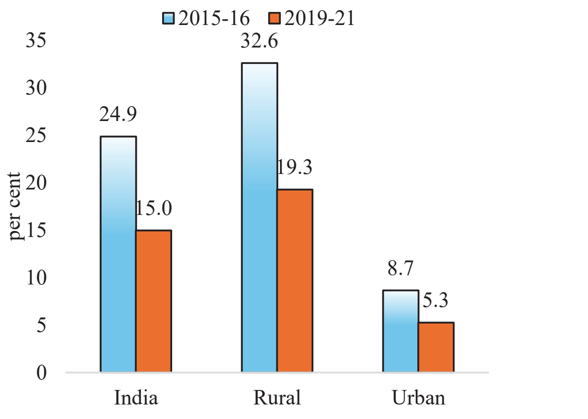

(ख) बहुआयामी गरीबी की तीव्रता

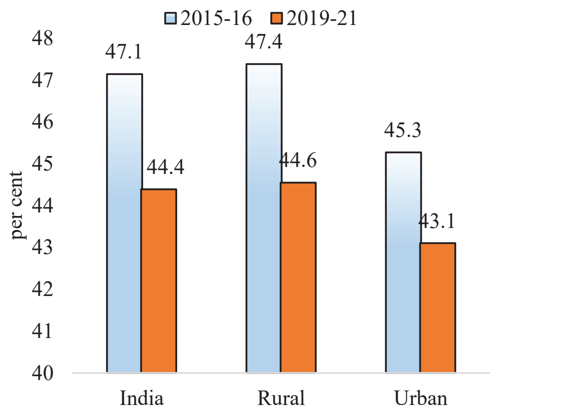

स्रोत: नीति आयोग एमपीआई रिपोर्ट 2023

चार्ट VII.3: बहुआयामी गरीब आबादी में अभावों में कमी

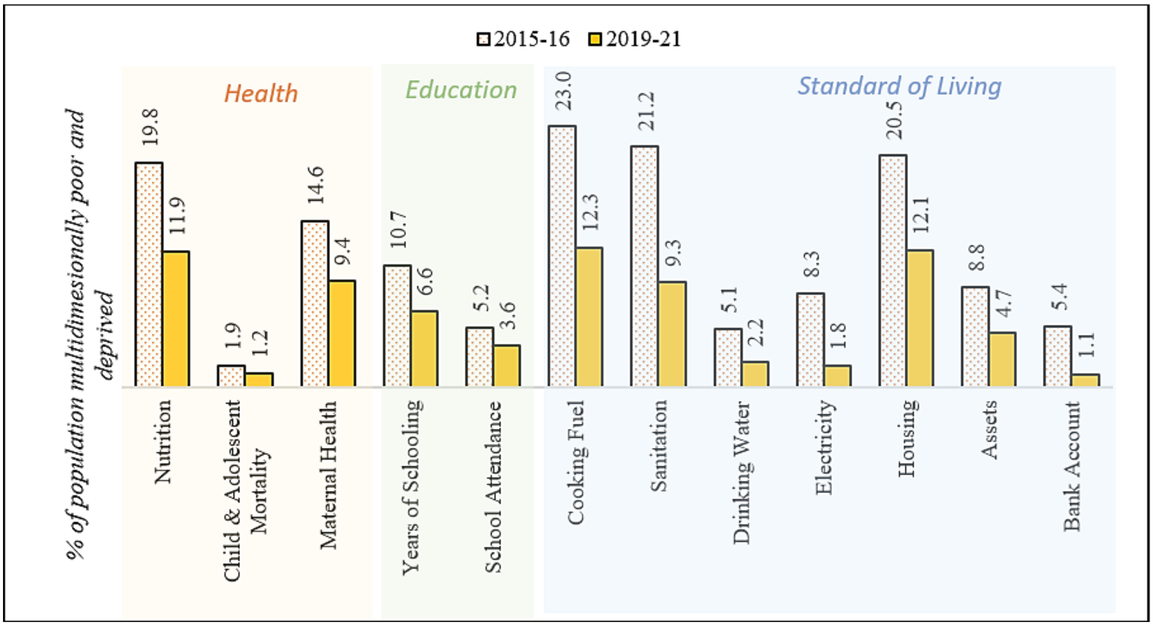

स्रोत: नीति आयोग एमपीआई रिपोर्ट 2023

7.19 नीति आयोग के परिचर्चा पत्र, 'भारत में 2005-06 से बहुआयामी गरीबी'[15] में पाया गया है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 2013-14 और 2022-23 में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए, इन विशिष्ट अवधियों के लिए डेटा सीमाओं के कारण परिवर्तन की चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर आधारित प्रक्षेपित अनुमानों का उपयोग किया गया है। नीति आयोग के पेपर के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में व्यक्तियों के अनुपात में 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से 2022-23 में 11.28 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, अर्थात 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी।

7.20 पेपर में यह भी बताया गया है कि यूपी में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ पिछले नौ वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, एमपी में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कुल मिलाकर, 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी एचसीआर में गिरावट (10.66 प्रतिशत वार्षिक दर) 2005-06 से 2015-16 (7.69 प्रतिशत कमी की वार्षिक दर) की तुलना में बहुत तेज थी।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23

7.21 सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पहलों के परिणाम असमानता में कमी और उपभोग व्यय में वृद्धि के रूप में सामने आए हैं, जैसा कि 24 फरवरी 2024 को जारी नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-23 (अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक आयोजित) के परिणामों से स्पष्ट है।[16] परिणाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर के मौद्रिक पहलू के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका अनुमान मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के रूप में लगाया जाता है। परिणाम मोटे तौर पर नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में जीवन स्तर में पर्याप्त वृद्धि की पुष्टि करते हैं।

7.22 एचसीईएस ने पिछले दशक में समावेशी विकास पर कई निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। 2022-23 में एमपीसीई वास्तविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2011-12 की तुलना में 40 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 33.5 प्रतिशत बढ़ा है। असमानता का सूचक गिनी गुणांक ग्रामीण क्षेत्र के लिए 0.283 से घटकर 0.266 और देश के शहरी क्षेत्र के लिए 0.363 से घटकर 0.314 हो गया है। ग्रामीण-शहरी विभाजन में भी काफी कमी आई है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी एमपीसीई के बीच का अंतर 2011-12 में 83.9 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 71.2 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, एमपीसीई आबादी के सबसे निचले 5 प्रतिशत वर्ग की खपत शीर्ष 5 प्रतिशत वर्ग की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी, जो पिछले दशक में आर्थिक असमानता में गिरावट का संकेत है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मुफ्त वस्तुओं के आरोपण से एमपीसीई में और अधिक प्रगतिशील वृद्धि होती है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एमपीसीई के अनुपात के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 प्रतिशत वर्ग के लिए 0.8 प्रतिशत और सबसे निचले 5 प्रतिशत वर्ग के लिए 5.0 प्रतिशत है (शहरी क्षेत्रों के लिए, संबंधित आंकड़े क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत थे)। एमपीसीई संख्याओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (पीसीआई) के साथ तुलना करने पर आर्थिक विकास में एक समावेशी प्रवृत्ति का पता चलता है, जहां ग्रामीण भारत में शीर्ष 5 प्रतिशत और शहरी भारत में शीर्ष 10 प्रतिशत को छोड़कर सभी उपभोग वर्गों के लिए एमपीसीई/पीसीआई अनुपात में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से, यह प्रगति कोविड-19 महामारी के संकट के बावजूद हुई।

15 https://tinyurl.com/f48k757c.
16 https://tinyurl.com/t8s5unut

चार्ट VII.4: एमपीसीई में सीएजीआर: 2011-12 से 2022-23

(क) वास्तविक और नाममात्र दोनों दृष्टियों से सकारात्मक वार्षिक वृद्धि	(ख) निचले 5% फ्रैक्टाइल में शीर्ष 5% फ्रैक्टाइल की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई

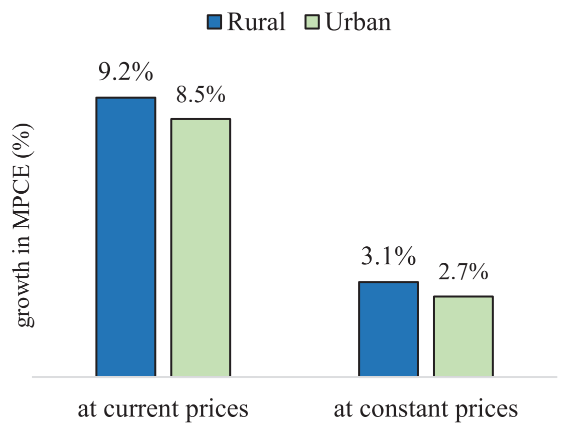

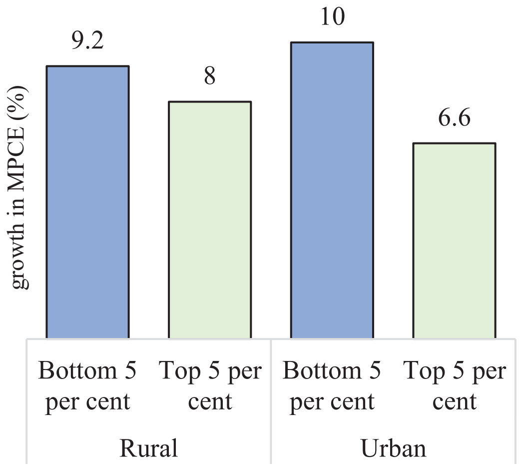

स्रोत: HCES 2022-23 की फैक्टशीट, MoSPI

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा

7.23 मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार दीर्घकालिक कारकों से जुड़ी हुई है, जैसे कि मानव पूंजी और श्रम उत्पादकता की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, घरेलू बचत, स्वास्थ्य व्यय के कारण गरीबी के जाल से बचना और कोविड-19 जैसे स्वास्थ्य झटकों का सामना करने की क्षमता का निर्माण करना। इसी भावना से, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को लगातार नया रूप दिया गया है।

7.24 सभी आयु वर्गों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। प्रमुख पहल और उनकी प्रगति तालिका VII.2 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका VII.2: प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं

कार्यक्रम/उद्देश्य (प्रारंभ का वर्ष)	प्रगति/परिणाम
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) (2018) अस्पताल में भर्ती के लिए वंचित परिवारों को ₹5 लाख/वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर	• 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए • इस योजना के अंतर्गत 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए। • 49 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं (8 जुलाई, 2024 तक)[17]
पीएम जन औषधि केंद्र गुणवत्तापूर्ण दवाइयां बाजार मूल्य से 50-90 प्रतिशत सस्ती	• एम्स देवघर में 10,000 वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। • 1965 दवाइयां और 293 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध

17 https://dashboard.pmjay.gov.in/pmj/#/

कार्यक्रम/उद्देश्य (प्रारंभ का वर्ष)	प्रगति/परिणाम
अमृत (उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण) गंभीर बीमारियों के लिए सब्सिडी वाली दवाइयाँ	विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से अधिक अमृत फार्मेसियां संचालित
आयुष्मान भवः अभियान (सितंबर 2023) प्रत्येक गांव/कस्बे में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करना।	• 16.96 लाख लोगों ने स्वास्थ्य, योग, ध्यान, सत्र, 1.89 करोड़ टेली परामर्श, 11.64 करोड़ लोगों ने मुफ्त दवाइयां और 9.28 करोड़ लोगों ने मुफ्त निदान सेवाओं का लाभ उठाया • एएनसी[18] के तहत 82.10 लाख माताओं और 90.15 लाख बच्चों ने जांच और टीकाकरण का लाभ उठाया • सात प्रकार की जांच (टी.बी., उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मोतियाबिंद) का लाभ 34.39 करोड़ लोगों ने उठाया। • 2.0 करोड़ मरीजों ने सामान्य ओपीडी से परामर्श लिया, जबकि 90.69 लाख मरीजों ने विशेषज्ञ ओपीडी से परामर्श लिया, तथा 65,094 बड़ी सर्जरी और 1,96,156 छोटी सर्जरी की गई। • 13.48 करोड़ एबीएचए खाते खोले गए, 9.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 1.2 लाख आयुष्मान सभाएं आयोजित की गई। • 25.25 लाख स्वास्थ्य मेलों में कुल 20.66 करोड़ लोग आए (31 मार्च 2024 तक)
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) (2021) पूरे देश में एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना	• 64.86 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए गए • 3.06 लाख स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रियां • 4.06 लाख स्वास्थ्य पेशेवर • 39.77 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएचए से जुड़े[19]
ई-संजीवनी (2019) दूरदराज के क्षेत्रों में आभासी (वर्चुअल) डॉक्टर परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन	• 15,857 केंद्रों के माध्यम से 1.25 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (प्रवक्ता के रूप में) पर 128 विशेषज्ञों के माध्यम से 26.62 करोड़ रोगियों को सेवा प्रदान की गई।[20] (9 जुलाई 2024 तक)

18 पूर्ण न्यूट्रोफिल गणना
19 स्रोतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी
20 https://esanjeevani.mohfw.gov.in/#/

मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य

7.25 मानसिक स्वास्थ्य कम दिखाई देने वाला तथापित व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास का प्रमुख रूप से प्रभावपूर्ण चालक है। बहुत पहले डा. ब्रॉक चिसहोम विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के प्रथम महानिदेशक ने कहा था, ''मानसिक स्वास्थ्य के बिना शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता।''

7.26 मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के सभी पहलुओं, जैसे शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, से जुड़ा हुआ है और इसे कल्याण की ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति दैनिक जीवन के तनावों से निपटने में सक्षम होता है, उत्पादक बना रहता है और अपने समुदाय में योगदान देता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में मानसिक विकार और मनोसामाजिक अक्षमताएँ शामिल हैं, साथ ही मानसिक स्थितियाँ जो महत्वपूर्ण संकट, कामकाज में कमी या खुद को नुकसान पहुँचाने के जोखिम से जुड़ी हैं। मामूली तनाव से लेकर गंभीर विकारों तक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ व्यक्तियों के पूरे जीवनकाल में प्रभाव डाल सकती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ता प्रचलन

7.27 डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 2019 में,[21] हर आठ में से एक व्यक्ति या वैश्विक स्तर पर 970 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे,[22] जिसमें चिंता और अवसाद सबसे आम स्थिति थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रमुख भवसादग्रस्तता विकारों के मामलों में 27.6 प्रतिशत और चिंता विकारों के मामलों में 25.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[23] हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सह-नेतृत्व में किए गए एक बड़े पैमाने के अध्ययन के अनुसार, दुनिया में हर दो में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित रहेगा (मैकग्राथ और अन्य 2023)।[24]

7.28 भारतीय संदर्भ में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2015-16 से[25] पता चला है कि भारत में 10.6 प्रतिशत वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जबकि मानसिक विकारों के लिए उपचार में अभाव विभिन्न विकारों के लिए 70 से 92 प्रतिशत के बीच है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों (6.9 प्रतिशत) और शहरी गैर-मेट्रो क्षेत्रों (4.3 प्रतिशत) की तुलना में शहरी मेट्रो क्षेत्रों (13.5 प्रतिशत) में मानसिक रुग्णता का भार अधिक था। दूसरा और अधिक विस्तृत एनएमएचएस वर्तमान में प्रगति पर है। ध्यानी और अन्य (2022) के अनुसार, 25-44 वर्ष की आयु के व्यक्ति मानसिक बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।[26]

बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य

7.29 बच्चों और किशोरों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उनके समग्र विकास की नींव है और गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शैक्षणिक दबाव, सोशल मीडिया, पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक-आर्थिक वातावरण के कारण युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर

21 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, https://www.who.int/health-topics/mentalhealth#tab=tab_1.

22 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक विकार किसी व्यक्ति की अनुभूति, भावनात्मक विनियमन या व्यवहार में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण गड़बड़ी के कारण होता है।

23 कोविड-19 मानसिक विकार सहयोगी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में 204 देशों और क्षेत्रों में अवसाद और चिंता विकारों का वैश्विक प्रसार और बोझ। लैंसेट। 2021 नवंबर 6;398(10312):1700-1712

24 मैकग्राथ, जॉन एट अल. मानसिक विकारों की शुरुआत की उम्र और संचयी जोखिम: 29 देशों के 156,331 उत्तरदाताओं पर आधारित जनसंख्या सर्वेक्षण डेटा का एक क्रॉस-नेशनल विश्लेषण, द लैंसेट साइकियाट्री, खंड 10, अंक 9, 2023, पृष्ठ 668-681, आईएसएसएन 2215-0366,

25 भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16: मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ। बेंगलुरु, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, निमहंस प्रकाशन संख्या 130, 2016

26 ध्यानी ए, गैधाने ए, चौधरी एसजी, दवे एस, चौधरी एस. भारत में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिक्रिया को मजबूत करना: एक कथात्मक समीक्षा। क्यूरियस। 2022 अक्टूबर 18;14(10):e30435

यह अत्यावश्यक हो जाता है। वैश्विक स्तर पर, 10–19 वर्ष के बच्चों में से सात में से एक मानसिक विकार से पीड़ित है (WHO 2021)।[27] यूनिसेफ की चेंजिंग चाइल्डहुड रिपोर्ट के लिए गैलप द्वारा किए गए शोध के अनुसार, 21 देशों में 15 से 24 वर्ष के 19 प्रतिशत लोगों ने 2021 की पहली छमाही में स्वयं रिपोर्ट किया कि वे अक्सर उदास महसूस करते हैं या उन्हें काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है।[28]

7.30 भारत में, एनसीईआरटी के स्कूली छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सर्वेक्षण से[29] पता चला है कि किशोरों में खराब मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है, जो कोविड–19 महामारी के कारण और बढ़ गया है। 11 प्रतिशत छात्रों ने चिंता महसूस करने की बात कही, 14 प्रतिशत ने अत्यधिक भावुक होने का अनुभव किया और 43 प्रतिशत ने मनोदशा में उतार–चढ़ाव का अनुभव किया। 50 प्रतिशत छात्रों ने चिंता का कारण अध्ययन बताया और 31 प्रतिशत ने परीक्षा और परिणामों का हवाला दिया।

7.31 बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि अक्सर इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी होती है। बच्चों द्वारा इंटरनेट का अनियंत्रित और अपर्यनोमित उपयोग कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग से लेकर[30] साइबरबुलिंग जैसी गंभीर स्थितियों तक शामिल हैं।[31] प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और लेखक जोनाथन हैडट ने अपनी पुस्तक 'द एंग्जियस जेनरेशन: हाउ द ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस' में युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बढ़ते स्क्रीन टाइम और कम होते फ्री प्ले के प्रभाव की पड़ताल की है। सोशल मीडिया, अति सुरक्षात्मक पालन–पोषण और बच्चों के भावनात्मक कल्याण पर अनियंत्रित आउटडोर खेल के प्रभाव की चर्चा करते हुए, पुस्तक में बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की महामारी ने 2010 के दशक की शुरुआत में मोबाइल फोन के आगमन के साथ दुनिया को प्रभावित किया। बचपन के इस 'ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड' ने बच्चों के सामाजिक और तंत्रिका संबंधी विकास में हस्तक्षेप किया है, जिसमें नींद की कमी से लेकर ध्यान विखंडन, लत, अकेलापन, सामाजिक संसर्ग, सामाजिक तुलना और पूर्णतावाद तक सब कुछ शामिल है।

7.32 अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने सोशल मीडिया को तंबाकू के समान बताया और तकनीकी प्लेटफॉर्म पर चेतावनी लेबल लगाने का सुझाव दिया, उनका तर्क है कि ये किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। वे युवाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने की वकालत करते हैं।[32] हाल ही में, लॉस एंजिल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपने 429,000 छात्रों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, ताकि उन्हें विचलित करने वाली चीजों, सोशल मीडिया और सीखने और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।[33] भारतीय संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का संकेत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 'बच्चों द्वारा मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंच वाले अन्य

27 डब्ल्यूएचओ, नवंबर 2021, किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य https://tinyurl.com/37s3s5ku

28 यूनिसेफ (2021), द चेंजिंग चाइल्डहुड प्रोजेक्ट, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क।

29 एनसीईआरटी (2022), स्कूली छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण – एक सर्वेक्षण, यहाँ उपलब्ध है: Mental_Health_WSS_A_Survey_new-pdf (ncert-nic-in) । सर्वेक्षण में देश भर के स्कूलों के सभी लिंगों, कक्षा VI-VIII (मध्य चरण) और IX-XII (माध्यमिक चरण) के छात्रों को शामिल किया गया। जनवरी से मार्च 2022 के बीच देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 3,79,013 छात्रों ने सर्वेक्षण में भाग लिया।

30 ओलिविन, ए. (2023, 27 जून)। डूमस्क्रॉलिंग: परिभाषा, प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। वेरीवेल हेल्थ। https://www.verywellhealth.com/doomscrolling-7503386

31 साइबरबुलिंग को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, जो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास से निकटता से संबंधित है। ऑनलाइन बदमाशी करने वालों में अवसाद, चिंता और अकेलेपन के गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। आत्म–सम्मान के मुद्दे और स्कूल से अनुपस्थिति। देखें झू, सी., हुआंग, एस., इवांस, आर., और झांग, डब्ल्यू. (2021)। किशोरों और बच्चों के बीच साइबरबुलिंग: वैश्विक स्थिति, जोखिम कारकों और निवारक उपायों की एक व्यापक समीक्षा। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ, 9(1)।

32 'क्या सोशल मीडिया नया तंबाकू है?', न्यूयॉर्क टाइम्स, 17 जून 2024 https://tinyurl.com/5n8y96r8

33 ट्रोट्टा, टी., और ओ'ब्रायन, बी., 19 जून 2024, "लॉस एंजिल्स स्कूल बोर्ड ने स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोट किया", रॉयटर्स https://www.reuters.com/world/us/los-angeles-schools-consider-ban-smartphones-2024-06-18/

उपकरणों के उपयोग के प्रभाव' पर 2021 के एक अध्ययन से मिला है, जिसके अनुसार 23.8 प्रतिशत बच्चे बिस्तर पर रहते हुए स्मार्ट फोन का उपयोग करते हैं और 37.2 प्रतिशत बच्चे स्मार्ट फोन के उपयोग के कारण एकाग्रता के स्तर में कमी का अनुभव करते हैं।[34]

अर्थशास्त्र के नजरिए से मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे

7.33 मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और क्षमता के विकास को बाधित करती हैं। समग्र आर्थिक स्तर पर, मानसिक स्वास्थ्य विकार अनुपस्थिति, उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य सेवा लागत में वृद्धि आदि से होने वाली उत्पादकता हानि से जुड़े हैं।[35] मानसिक स्वास्थ्य से आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ने के साथ आर्थिक अभाव भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गरीबी तनावपूर्ण जीवन स्थितियों, वित्तीय अस्थिरता, आर्थिक अवसरों की कमी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को जोखिम में डालती है।[36] इसके अलावा, बढ़ता शहरीकरण और प्रवास सामाजिक सामंजस्य, पारंपरिक सहायता प्रणाली और स्थिरता को बाधित कर सकता है, जिससे काफी मानसिक तनाव हो सकता है (त्रिवेदी, सरीन और ध्यानी 2008)।[37]

7.34 विकास पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को देखते हुए, उसमें निवेश पर रिटर्न भी अधिक है। 36 देशों में 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, 2016-30 में अवसाद और चिंता के बड़े पैमाने पर उपचार के लाभ-लागत अनुपात का अनुमान केवल आर्थिक लाभों पर विचार करते हुए 2.3-3.0 गुना था, और 3.3-5.7 गुना जब स्वास्थ्य रिटर्न का मूल्य भी शामिल किया जाता है (चिशोलम और अन्य 2016)।[38] भारतीय संदर्भ में, मैथ और अन्य (2019) ने सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन में निवेश पर रिटर्न का अनुमान 6.5 गुना लगाया है।[39]

सकारात्मक नीति कार्रवाई के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है

7.35 भारत मानसिक स्वास्थ्य को समग्र कल्याण के मूलभूत पहलू के रूप में मान्यता देते हुए नीति विकास में सकारात्मक गति पैदा कर रहा है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014), राष्ट्रीय युवा नीति (2014) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) जैसी राष्ट्रीय नीतियों को लागू कर रही है, जो पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देती हैं, खासकर बच्चों और किशोरों के संबंध में। इसके अलावा, आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार शामिल हैं। कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

34 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1779250

35 गोएट्जेल आरजेड, रोमर ईसी, होलिंगु सी, फॉलिन एमडी, मैक्लेरी के, ईटन डब्ल्यू, एग्न्यू जे, एजोकार एफ, बैलार्ड डी, बार्टलेट जे, ब्रागा एम, कॉनवे एच, क्राइटन केए, फ्रैंक आर, जिनेट के, केलर-ग्रीन डी, राउच एसएम, सेफर आर, सपोरिटो डी, शिल ए, शेर्न डी, स्ट्रेचर वी, वाल्ड पी, वांग पी, मैटिंगली सीआर। कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य: कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य-सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन से कार्यवाही का आह्वान। जे ऑक्यूप एनवायरन मेड। 2018 अप्रैल;60(4):322-330

36 एलेग्रिया एम, नेमोयर ए, फाल्गस बगुए आई, वांग वाई, अल्वारेज के. मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक: हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। कर्र साइकियाट्री रिपोर्ट। 2018 सितम्बर 17;20(11):95

37 त्रिवेदी जे.के., सरीन एच., ध्यानी एम. तीव्र शहरीकरण - मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव: एक दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य। इंडियन जे साइकियाट्री। 2008 जुलाई;50(3):161-5

38 चिशोल्म डी, स्वीनी के, शीहान पी, रासमुसेन बी, स्मिट एफ, क्यूइजपर्स पी, एट अल. अवसाद और चिंता के उपचार को बढ़ाना: निवेश पर वैश्विक रिटर्न का विश्लेषण। लैंसेट साइकियाट्री.2016;3:415-24.

39 मैथ एसबी, गौड़ा जीएस, बसवराजू वी, मंजूनाथ एन, कुमार सीएन, एनारा ए, गौड़ा एम, थिरथल्ली जे. मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन के लिए लागत अनुमान। इंडियन जे साइकियाट्री। 2019 अप्रैल;61(सप्ल 4):एस650-एस659

तालिका VII.3: भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

कार्यक्रम/उद्देश्य	प्रगति/परिणाम
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम[40]	
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम *प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने और मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलों को केंद्रीय निधि*	• 1.73 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया • प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है • जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान • मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंकमुक्त करने और उपचार चाहने वाले व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों में सामुदायिक भागीदारी के साथ जागरूकता सृजन गतिविधियाँ
राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम *टोल-फ्री नंबर (14416/1800-89-14416) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तक सार्वभौमिक पहुंच*	• 20 से अधिक भाषाओं में 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता • 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए • अक्टूबर 2022 से 30.03.2024 तक 8.07 लाख से अधिक कॉल संभाले गए
मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि	• पीजी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी गई • 47 पीजी विभागों को मजबूत करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को सहायता • 22 एम्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान • तीन डिजिटल अकादमियां सामान्य स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा और पैरा-मेडिकल पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर रही हैं • राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा 15.1.2024 को जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं- 2023।
बच्चे और युवा केंद्रित कार्यक्रम[41]	
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम *किशोर जनसंख्या का समग्र विकास*	किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय को शामिल करते हुए परामर्श सेवाएँ प्रदान करना

40 स्रोत: लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 13 विषय "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति", 2 फरवरी 2024 को उत्तर दिया गया
41 स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 935 विषय "ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं", 8 दिसंबर 2023 को उत्तर दिया गया

कार्यक्रम/उद्देश्य	प्रगति/परिणाम
मनोदर्पण *कोविड-19 के दौरान परामर्श*	छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त करने हेतु वेबपेज और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन
आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम *स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूतों (शिक्षकों) को संवेदनशील बनाना एवं प्रशिक्षित करना*	एनसीईआरटी द्वारा विकसित "भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य" मॉड्यूल
अन्य कदम	• स्कूली बच्चों के लिए एनसीईआरटी परामर्श सेवाएं, जिसमें देश भर के 270 परामर्शदाता शामिल हैं • पीएम ईविद्या डीटीएच चौनलों के माध्यम से लाइव इंटरैक्टिव सत्र सहयोग, योग सत्र आदि। • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से परीक्षा पूर्व और पश्चात टेली-काउंसलिंग। • स्कूल जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप पर मॉड्यूलर हैंडबुक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की गई है।

7.36 राष्ट्रीय पहलों के अलावा, राज्य अपने स्तर पर अनूठी, स्वतंत्र पहलों को लागू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेघालय की राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति बच्चों और किशोरों को लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और स्कूल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की योजना की रूपरेखा तैयार करती है। एनसीटी दिल्ली की सरकार ने नर्सरी से ग्रेड 8 तक के छात्रों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें स्कूल पाठ्यक्रम में माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और मूल्य-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। इसी तरह, केरल के कोझिकोड में शुरू की गई 'बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी' पहल में शिक्षक, सहकर्मी और सामाजिक सलाह, जीवन कौशल शिक्षा और स्कूलों के भीतर विशेष जरूरतों वाले बच्चों देखभाल और सहायता शामिल है। ये राज्य-स्तरीय पहल बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित करने के राष्ट्रीय प्रयासों का पूरक हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर नीतिगत सिफारिशें

7.37 जबकि नीति का अधिकांश डिजाइन तैयार है, उचित कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर सुधार में तेजी आ सकती है। तथापि, मौजूदा कार्यक्रमों में कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है ताकि उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम किया जा सके। उदाहरण के लिए, मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ाना, 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.75 मनोचिकित्सकों से बढ़ाकर[42] WHO के प्रति लाख जनसंख्या पर 3 मनोचिकित्सकों की संख्या करना (गर्ग, कुमार और चंद्रा 2019)।[43]

42 स्रोत: राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 विषय "देश में मानसिक स्वास्थ्य रोगी एवं चिकित्सक", 7 दिसंबर 2021 को उत्तर दिया गया।
43 गर्ग के, कुमार सीएन, चंद्रा पीएस. भारत में मनोचिकित्सकों की संख्या: आगे की ओर छोटे कदम, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। इंडियन जे साइकियाट्री। 2019 जनवरी-फरवरी;61(1):104-105. doi: 10.4103/psychiatry-IndianJPsychiatry;7;18. PMID: 30745666; PMCID: PMC6341936.

7.38 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और उपयोगकर्ताओं के साथ उत्कृष्टता केंद्रों की सेवाओं के लिए व्यापक दिशा-निर्देश विकसित करने से उनकी जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, उपयोगकर्ताओं, पेशेवरों और हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने से आवश्यक परिवर्तन करने और व्यापक आबादी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सहकर्मी सहायता नेटवर्क, स्वयं सहायता समूह और समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से मानसिक विकारों को दूर करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। प्रयासों को बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और भविष्य की नीतियों को बढ़ाने के लिए संसाधनों का लाभ उठाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करने से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। निर्णय लेने, सेवा नियोजन और वकालत के प्रयासों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ व्यक्तिगत अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल करने से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यक्ति-केंद्रितता और पुनर्प्राप्ति-उन्मुखता बढ़ सकती है (मेघाराजानी और अन्य 2023)।[44] प्रीस्कूल, आंगनवाड़ी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता विकारों की शुरुआती पहचान प्रदान कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य स्टार्ट-अप में वृद्धि देखभाल की कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की सकारात्मक प्रतिक्रिया का संकेत देती है, लेकिन ऐसी सेवाओं के लिए मानकीकरण दिशा-निर्देशों की भी मांग करती है।

7.39 स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को एकीकृत करने के लिए प्रभावी मार्गों में शिक्षकों और छात्रों के लिए आयु-उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम विकसित करना, स्कूलों में प्रारंभिक हस्तक्षेप और सकारात्मक भाषा को प्रोत्साहित करना, समुदाय-स्तर पर बातचीत को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी की भूमिका को संतुलित करना, शामिल हो सकता है।

7.40 तथापि, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी और इससे जुड़ी नकारात्मक सोच का मूल मुद्दा किसी भी कार्यक्रम को अव्यवहारिक बना सकता है। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य के विषय को संबोधित करने में एक आदर्श बदलाव लाने और एक निचले स्तर से ऊपर, पूरे समुदाय के दृष्टिकोण का उपयोग करने की आवश्यकता है। नकारात्मकता को हटाने की शुरुआत शारीरिक बीमारियों को स्वीकार करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में इनकार करते हुए उसी के लिए उपचार की तलाश करने की प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति का संज्ञान लेने से होती है। एक हद तक, यह नकारात्मक सोच सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को साझा करने के बाद सामाजिक स्वीकृति के बारे में डर का परिणाम है। व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे सामान्य मानने और संबोधित करने में अनिच्छा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, इस मौलिक अनिच्छा को स्वीकार करने और समाधान करने की आवश्यकता है। यकीनन, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य मुद्दों की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता को अधिक व्यापक रूप से कम करते हैं। इसलिए, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देना स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों के लिए जरूरी है।

स्वास्थ्य सांख्यिकी में प्रभाव प्रकट

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती भूमिका दर्शाता है

7.41 पिछले कुछ वर्षों में, स्वास्थ्य सेवा आम जनता के लिए अधिक सस्ती और सुलभ हो गई है, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के अनुमानों से पता चलता है।[45] नवीनतम एनएचए (वित्त वर्ष 20 के लिए) कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) के हिस्से के साथ-साथ कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में जीएचई के हिस्से में वृद्धि दर्शाता है।

44 मेघराजनी वी.आर., मराठे एम., शर्मा आर., पोटदुखे ए., वंजारी एम.बी., ताकसांडे ए.बी. भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का व्यापक विश्लेषण और मानसिक आश्रयों की भूमिका। क्यूरियस। 2023 जुलाई 27;15(7):e42559. doi: 10.7759/cureus.42559.

45 भारत के लिए एनएचए अनुमान 2019-20 एनएचएसआरसी द्वारा तैयार की गई लगातार सातवीं एनएचए अनुमान रिपोर्ट है, जिसे 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय के रूप में नामित किया गया था। इसे अप्रैल 2023 में जारी किया गया था।

7.42 पिछले कुछ वर्षों में, स्वास्थ्य व्यय समग्र स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण खंड के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर झुका है। अनुसंधान ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, कई प्राथमिक और माध्यमिक रोग स्थितियों को रोकने और बहुत कम लागत पर रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण के रूप में स्थापित किया है, जिससे माध्यमिक और तृतीयक देखभाल की आवश्यकता में काफी कमी आई है। नतीजतन,[46] प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 में जीएचई के 51.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में जीएचई का 55.9 प्रतिशत हो गया है। जीएचई में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 में 73.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 85.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, निजी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल का हिस्सा इसी अवधि के दौरान तृतीयक रोगों का बढ़ता बोझ और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकारी सुविधाओं का कम उपयोग के कारण 83.0 प्रतिशत से घटकर 73.7 प्रतिशत हो गया।

7.43 स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को की जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है, वित्त वर्ष 2015 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 9.3 प्रतिशत हो गया है। जीएचई और स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 20 के बीच टीएचई के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) में गिरावट के साथ-साथ होती है (चार्ट VII.5(क))।

चार्ट VII.5(क): कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से किया गया व्यय

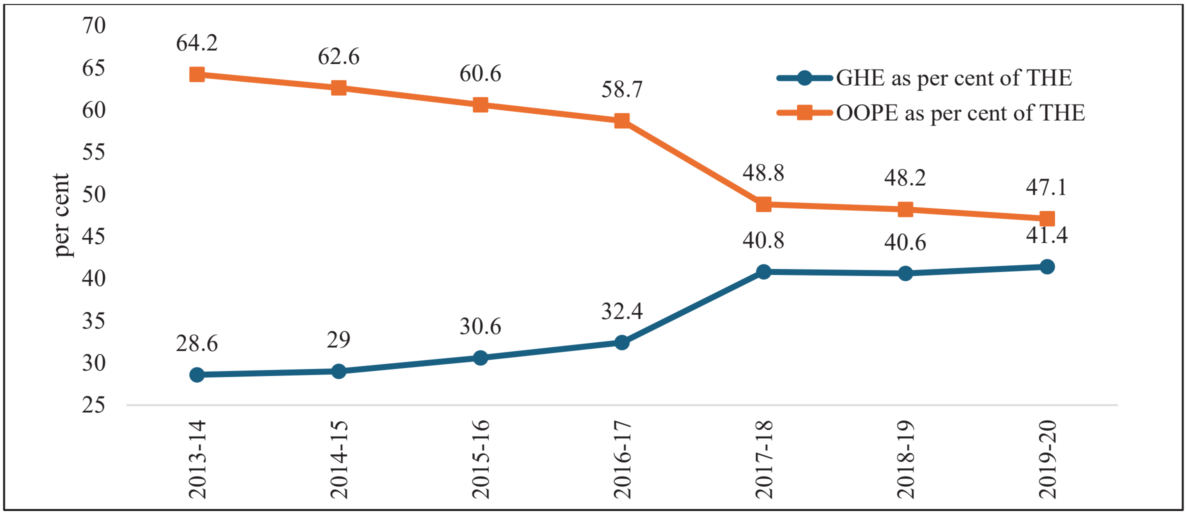

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2019-20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

46 उदाहरण के लिए देखें, (i) हक, एम., एट.अल. (2020)। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दीर्घकालिक (जीर्ण) गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में मदद करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करना। जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा नीति, 13, 409ख्र426. (ii) बीगलहोल आर, एट. अल. (2008)। निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में जीर्ण रोग की रोकथाम और प्रबंधन में सुधार: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता। लैंसेट। 13 सितंबर; 372(9642):940-9.

चार्ट VII.5 (ख): कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय

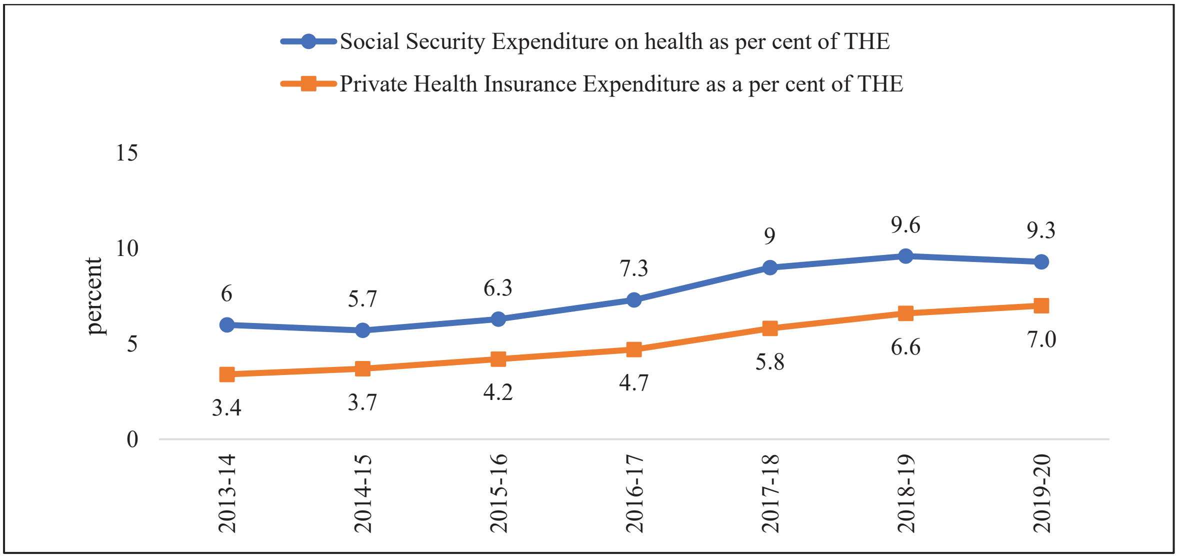

स्रोतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2019-20, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

7.44 उपर्युक्त विकास के साथ-साथ प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार हुआ है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर (जो 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 रह गई) और मातृ मृत्यु दर (जो 2014 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 167 से घटकर 2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 रह गई)।

7.45 परिवारों पर स्वास्थ्य सेवा लागत के घटते बोझ के उदाहरण के रूप में, आयुष्मान भारत के प्रभाव का उल्लेख करना उचित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, यदि लाभार्थी ने एबी पीएम-जय के दायरे से बाहर अपने दम पर यही उपचार करवाया होता, तो उपचार की कुल लागत 1.5 – 2 गुना अधिक होती। कम लागत के इस गुणक प्रभाव को शामिल करने पर, यह योजना गरीब और वंचित परिवारों के ओओपीई से 1.25 लाख करोड़ से अधिक के खर्च को बचाती है (12 जनवरी 2024 तक)।[47] इसलिए, बाजार की कमजोरियों से जनता को बचाने के अलावा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सूक्ष्म-आर्थिक झटकों से भी बचाता है।

7.46 स्वास्थ्य संकेतकों और ओओपीई पर सीधे प्रभाव के अलावा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कई दूसरे क्रम के प्रभाव भी हैं। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत को बेहतर ऋण बाजार परिणामों से जोड़ा गया है, जैसा कि बॉक्स VII.4 में विस्तार से बताया गया है।

47 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 14 जनवरी 2024, रिलीज आईडी: 1996010 https://tinyurl.com/mvpp9as6

बॉक्स VII.4: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और ऋण बाजार के परिणामों पर प्रभाव

विनाशकारी, अप्रत्याशित स्वास्थ्य व्यय व्यक्तियों और परिवारों की गरीबी का कारण बन सकते हैं। यह संसाधन-विहीन व्यक्तियों/परिवारों को उपचार छोड़ने या उपचार के लिए ऋण लेने के लिए मजबूर कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा लागत को कम करने से वित्तीय स्थिरता और ऋण चुकौती क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

हाल ही में प्रकाशित एक शोधपत्र[48] में भारत में ऋण बाजार की गतिशीलता पर दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएमजेएवाई के प्रभाव की जांच की गई है। उन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों की तुलना करना, जिन्होंने कार्यक्रम को लागू नहीं किया, उन राज्यों से सम्बन्धित निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ, जिन्होंने अलग-अलग भिन्नता फ्रेमवर्क के साथ कार्यक्रम को लागू किया, इसमें परिकल्पना की गई है कि पीएमजेएवाई के व्यापक कवरेज से स्वास्थ्य सेवा लागत के कारण वित्तीय तनाव में कमी आएगी, जिससे ऋण चूक दरों जैसे ऋण व्यवहार पर असर पड़ेगा। अध्ययन में पीएमजेएवाई के प्रभाव को अन्य कारकों से अलग करने के लिए एक मजबूत अनुभवजन्य रणनीति का उपयोग किया गया है। यह समष्टि वित्त ऋण प्रदर्शन को शामिल करने वाले एक महत्वपूर्ण भारतीय क्रेडिट ब्यूरो से प्रशासनिक डेटा का उपयोग करता है। इस नमूने में भारत के 636 जिलों में लगभग 12 मिलियन ऋणों का डेटा शामिल है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

ऋण निष्पादन पर प्रभाव: पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन से माइक्रोफाइनेंस ऋणों में एनपीए दरों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अध्ययन में कहा गया है कि पीएमजेएवाई-कार्यान्वित जिलों में एनपीए दर गैर-कार्यान्वित क्षेत्रों की तुलना में 3.7 से 4.0 प्रतिशत तक कम हुई। यह औसत एनपीए दरों के सापेक्ष 34.6 प्रतिशत से 34.1 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव है।

लघु कृषि ऋणों पर प्रभाव : पात्र लघु कृषि ऋणों में भी एनपीए दरों में इसी प्रकार की कमी देखी गई, जो पीएमजेएवाई के व्यापक आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करता है।

नीति और वित्तीय बाजारों के लिए निहितार्थ

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आर्थिक स्थिरता: अध्ययन सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जहाँ आबादी के बड़े हिस्से के पास स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच की कमी हो सकती है, पीएमजेएवाई जैसे कार्यक्रम आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल नीति और घरेलू वित्त: ये निष्कर्ष विशेष रूप से ऐसे देशों के लिए प्रासंगिक हैं जो समान स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, तथा इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ऐसे कार्यक्रम घरेलू वित्तीय व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन ने भारत में ऋण बाजार के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय स्थिरता के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है। यह स्वास्थ्य सेवा से परे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की क्षमता को रेखांकित करता है।

48 तंत्री, प्रसन्ना एल., 500 मिलियन गरीबों को कवर करने वाला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऋण बाजार के नतीजों को कैसे प्रभावित करता है? (22 मार्च, 2022)। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस WP

7.47 भविष्य में देश के स्वास्थ्य और रोग प्रोफाइल के लिए दो रुझान निर्णायक होंगे। सबसे पहले, सरकार और आम जनता को स्वस्थ खान-पान और मानसिक स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार, 2019-21 में 24.0 प्रतिशत महिलाएँ और 22.9 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन वाले/मोटे थे, जबकि 2015-16 में क्रमशः 20.6 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत थे। 50 वर्षों में, टाइप-II मधुमेह की के रोगियों की संख्या 1970 के दशक में 2 प्रतिशत से कम से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।[49] भारत में बढ़ते मोटापे के संज्ञान में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी आहार संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ स्वस्थ खान-पान के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे, लोक स्वास्थ्य एक राज्य का विषय होने के कारण, राज्य और स्थानीय स्तर का शासन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को 'कम से कम प्रतिरोध के मार्ग' के माध्यम से अंतिम उद्देश्य पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण है।

शिक्षा

7.48 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 4) के तहत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' का लक्ष्य 2030 तक ''समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना'' है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), जिसे 2020 में लॉन्च किया गया और वर्तमान में अपने कार्यान्वयन के चौथे वर्ष में है, एक नीति दस्तावेज है जो न केवल शिक्षा पर एसडीजी लक्ष्यों को शामिल करता है बल्कि भारत के युवाओं को 21वीं सदी की ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था से उभरने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है।

विद्यालय शिक्षा

7.49 भारत में सरकारी और निजी स्कूलों वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26 करोड़ छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है। एनईपी 2020 का उद्देश्य 3-18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना है, ताकि एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली बनाई जा सके जो भारतीय संस्कृति में निहित हो और जिसमें भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता हो।

7.50 एनईपी का उद्देश्य सभी के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम उत्पन्न करने के लिए सर्वत्र स्कूली शिक्षा को नया रूप देना है। सीखने पर जोर देने की गंभीरता को विभिन्न रिपोर्टों में महसूस किया जा सकता है, जो कक्षा के मानक और सीखने के स्तर के बीच के अंतर को उजागर करती हैं, जो कोविड के बाद से और भी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2017 की तुलना में, एनएएस 2021 में छात्रों के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है।[50] कक्षा 10 के अंकों में गणित में 13.4 प्रतिशत, विज्ञान में 18.6 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान में 9.1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि कक्षा 3 के अंकों में भाषा में 3.9 प्रतिशत, गणित में 4.7 प्रतिशत और पर्यावरण अध्ययन में 4.4 प्रतिशत की कमी आई।

7.51 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा या ईसीसीई (ईसीसीई में उल्लेखनीय पहल के लिए बॉक्स VII.5 देखें) को लागू करना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत करना, अनुभवात्मक शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, अंत:विषयक और बहुविषयक दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करना, समग्र मूल्यांकन आदि, एक नई प्रणाली विकसित करने के लिए एनईपी 2020 की प्रमुख स्तंभ हैं जो 21वीं सदी के प्रेरणादायक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

49 विश्वनाथन मोहन, वासुदेवन सुधा, शनमुगम शोभना, राजगोपाल गायत्री, कमला कृष्णस्वामी, क्या अस्वास्थ्यकर आहार भारत में टाइप 2 मधुमेह के तेजी से बढ़ने में योगदान दे रहे हैं?, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, खंड 153, अंक 4, 2023, पृष्ठ 940-948, आईएसएसएन 0022-3166

50 एनएएस केंद्र सरकार के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला मूल्यांकन है जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 के अंत में श्छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका एक स्नैपशॉटश प्रदान करता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने एनएएस 2021 में भाग लिया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड nas-gov-in पर उपलब्ध हैं।

बॉक्स VII.5: 'पोषण भी पढ़ाई भी': आंगनवाड़ियों में प्री-स्कूल नेटवर्क की स्थापना

एनईपी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, मई 2023 में 'पोषण भी पढाई भी' (पीबीपीबी) शुरू किया गया। यह एक अग्रणी ईसीसीई कार्यक्रम है, जो भारत को आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्रीस्कूल नेटवर्क विकसित करने में मदद करता है। पहली बार, 0-3 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा को एक सरकारी कार्यक्रम द्वारा कवर किया जा रहा है।

पीबीपीबी के बारे में

कार्यक्रम के माध्यम से, प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम दो घंटे उच्च गुणवत्ता वाली प्रीस्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी राज्य खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति के लिए राष्ट्रीय ईसीसीई टास्क फोर्स की सिफारिशों का पालन करेंगे, जो स्पष्ट रूप से 0-3 वर्ष और 3-6 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक मील के पत्थरों पर लक्षित है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता भी शामिल है।

पीबीपीबी की मुख्य विशेषताएं

- दृश्य सामग्री (ब्लैकबोर्ड, पोस्टर, फ्लैशकार्ड, गतिविधि पुस्तकें, आदि), ऑडियो सामग्री (रेडियो) और ऑडियो-विजुअल (वीडियो, फिल्म), स्थानिक सामग्री (ड्राइंग, पेंटिंग, पहेलियाँ), आदि सहित शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग।
- प्राथमिक शिक्षक शिक्षण माध्यम के रूप में मातृभाषा
- जन आंदोलन देश की भावी पीढ़ियों की नींव को मजबूत करने में समुदायों को शामिल करेगा।

देश भर में आंगनवाड़ियों के नेटवर्क को मजबूत बनाना

देश भर में करीब 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के लगभग आठ करोड़ लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे यह वैश्विक स्तर पर ऐसी सेवाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रावधान बन गया है। वैश्विक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि 6 वर्ष की आयु तक 85 प्रतिशत मस्तिष्क विकास हो जाता है, आंगनवाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके आधार का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहुंच बिंदु बन जाता है।

आंगनवाड़ियों के माध्यम से पीबीपीबी को साकार करने के लिए, आंगनवाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों के साथ मजबूत करना होगा। इस संबंध में, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 40,000 मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से गतिविधियों, खेल और स्वदेशी और डीआईवाई खिलौनों का उपयोग करने सहित ईसीसीई सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया जाना है। जनवरी 2024 तक, 25 राज्यों और 182 जिलों को कवर करते हुए 95 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3735 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

एक उपयोगी रोजगार सृजन संस्थान

के रूप में और भविष्य के एक मजबूत और उत्पादक भारत के निर्माण के लिए आंगनवाड़ियों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

7.52 सरकार की प्रमुख योजनाएं जो एनईपी 2020 के लक्ष्यों और नीतियों को क्रियान्वित कर रही हैं, उनका उल्लेख तालिका VII.4 में किया गया है।

तालिका VII.4: स्कूली शिक्षा में सरकारी पहल

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
1.	*समग्र शिक्षा अभियान*[51]		
	निष्ठा	एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	सभी स्तरों पर शिक्षकों को कवर करने के लिए विस्तारित 126208 मास्टर ट्रेनर को निष्ठा ईसीसीई में प्रमाणित किया गया।
	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)	स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाली जिला स्तरीय नोडल संस्थाएँ	अगले पांच वर्षों में सभी 613 क्रियाशील डाईट को उत्कृष्ट डाईट में उन्नत किया जाएगा उन्नयन के इस पहले चक्र (वित्त वर्ष 24) में, देश भर में 125 डीआईईटी के लिए ₹92,320.18 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, वित्त वर्ष 24 में पहली किस्त के रूप में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन्नयन के लिए ₹27923.53 लाख जारी किए गए हैं।
	ब्लॉक स्तर पर कैरियर परामर्श		प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबी में करियर काउंसलिंग के लिए एक अकादमिक संसाधन व्यक्ति के प्रावधान के लिए अगस्त 2023 में दिशानिर्देश जारी किए गए
	विद्या प्रवेश	प्रीस्कूल शिक्षा वाले और बिना शिक्षा वाले सभी ग्रेड-1 के छात्रों के लिए 3 महीने का खेल-आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल'	36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित 2023-24 में 8.46 लाख स्कूलों के 1.13 करोड़ छात्र कवर किए जाएंगे
	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवि)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय	वर्तमान में देश भर में 5,116 केजीबीवी में 7.07 लाख छात्राएं नामांकित हैं।

51 समग्र शिक्षा अभियान को मौजूदा सी.एस.एस. योजनाओं को मिलाकर वित्त वर्ष 2019 में शुरू किया गया था; जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा को कवर करने वाला सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा को कवर करने वाला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और पूर्व-विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक तक शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानने के लिए शिक्षक शिक्षा।

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)	शिक्षा की सुगम्यता	प्री–प्राइमरी से कक्षा 12 तक विशेष आवश्यकता वाले 18.50 लाख बच्चों को कवर किया गया 5.57 लाख सी.डब्लू.एस.एन. बालिकाओं को सालाना दस महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह वजीफा 3.65 लाख से अधिक पात्र सी.डब्लू.एस.एन. को सहायता एवं उपकरण प्रदान किए गए गंभीर एवं/या बहुविकलांगता वाले 72,186 बच्चों को गृह–आधारित शिक्षा सी.डब्लू.एस.एन. की शिक्षण आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए 32,196 विशेष शिक्षक भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण अधिगम संसाधन, अभिगम्यता पुस्तिका, स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तकें, बोलने वाली पुस्तकें, डेजी पुस्तकें 21 विकलांगता स्थितियों की प्रारंभिक जांच के लिए स्कूलों के लिए प्रशस्त पूर्व–मूल्यांकन समग्र स्क्रीनिंग चेकलिस्ट
2.	राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र – परख	परख के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: क) स्कूल शैक्षिक बोर्डों का मार्गदर्शन करना ख) बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण ग) छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक, मानदंड और दिशानिर्देश तय करना घ) मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक और संस्थागत क्षमता का निर्माण करना	हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के बाद स्कूल बोर्डों में समतुल्यता के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार की जा रही हैं। राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण[52] नवंबर 2023 में आयोजित किया गया जाएगा, 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 6416 ब्लॉकों के 4 लाख स्कूलों के लगभग 84 लाख शिक्षार्थी शामिल होंगे। आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के लिए 'समग्र प्रगति कार्ड' का विकास और प्रसार। एनईपी वर्ष 2020 में सुझाए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन पर शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षकों को परिचित कराने के लिए प्रोजेक्ट विद्यासागर के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

52 राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सीखने की कमियों को समझना है, जो जिला स्तर से कहीं अधिक गहराई तक जाती है। जबकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हर तीन साल में किया जाना है, SEAS को अंतरिम वर्षों में आयोजित किया जाना है।

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
3.	ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा)	एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म	शिक्षार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि के लिए 36 भारतीय भाषाओं में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल 3,53,063 ई-सामग्री उपलब्ध कराई गई 1.71 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता, 2.5 लाख दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता
4.	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स)	छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना	स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) को संवितरण संबद्ध संकेतकों (डीएलआई) के अनुसार परिणामों को सत्यापित करने के लिए शामिल किया गया था, जैसे कि भाषा दक्षता में वृद्धि, माध्यमिक विद्यालय पूर्णता दर, शासन सूचकांक, आदि। पहले दो वर्षों में 6/6 लक्ष्य हासिल किये गये।
5.	प्रधानमंत्री- उभरते भारत के लिए स्कूल (पीएम-श्री)	एनईपी कार्यान्वयन को दर्शाते हुए 14,500 आदर्श विद्यालय स्थापित करना	स्कूल चयन के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केवीएस/एनवीएस से 10,858 स्कूलों का चयन किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में 10,080 पीएम-श्री स्कूलों के लिए 5942.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। तीसरे चरण में चयनित पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएबी की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी।
6.	उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम	15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता	एक ऐप के माध्यम से 22 स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री (उल्लास प्राइमर्स) बनाई गई है जो दीक्षा पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करती है 1.33 करोड़ शिक्षार्थी और 35 स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत 77 लाख शिक्षार्थी साक्षरता परीक्षा में बैठे और 65 लाख से अधिक उत्तीर्ण होकर नव-साक्षर बन गए।
7.	पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए एक गर्म पका हुआ भोजन	वित्त वर्ष 24 में (दिसंबर 2023 तक) 10.7 लाख स्कूलों में 11.6 करोड़ बच्चों को लाभ मिला। 24.8 लाख रसोइया-सह-सहायक नियुक्त किए गए और 9.1 लाख रसोई-सह-भंडार बनाए गए।

	कार्यक्रम	उद्देश्य	प्रगति
8.	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि उनका बीच में पढ़ाई छोड़ना रोका जा सके	योजना के तहत पात्रता मानदंड के आधार पर कक्षा IX के नए छात्रों को एनएमएमएसएस परीक्षा उत्तीर्ण करने और कक्षा XII तक जारी रखने के लिए प्रति वर्ष ₹12,000 की एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2023-24 में 250089 छात्रों को कुल ₹300.10 करोड़ स्वीकृत किए गए।

7.53 स्कूली शिक्षा में एनईपी 2020 को शामिल करने के लिए उपर्युक्त पहलों के अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करने में समुदाय, निजी क्षेत्र और पूर्व छात्रों की भागीदारी के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को बॉक्स VII.6 में गहराई से बताया गया है।

बॉक्स VII.6: विद्यांजलि: एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम

विद्यांजलि कार्यक्रम 7 सितंबर, 2021 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्कूली बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सामुदायिक भागीदारी, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जैसा कि एनईपी 2020 में परिकल्पित है। यह कार्यक्रम कंपनियों/संगठनों/ट्रस्टों और समूहों को पोर्टल पर एक समर्पित सीएसआर मॉड्यूल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं में भाग लेकर अपनी पसंद के कई स्कूलों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है। यह सरकार की जिम्मेदारी को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम संभव तरीके से अंतिम मील तक पहुंचने के लिए सरकारी प्रयासों को मजबूत करने के लिए है।

विद्यांजलि पोर्टल (vidyanjali.education.gov.in) स्वयंसेवकों - शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, सरकारी/अर्ध-सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, स्व-नियोजित और वेतनभोगी पेशेवर, गृहणियां, भारतीय प्रवासी और किसी अन्य संगठन/समूह या कंपनी के व्यक्ति - को सीधे उनकी पसंद के स्कूलों से जोड़कर एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है।

स्वयंसेवक नवीन शिक्षण पद्धतियों और इंटरैक्टिव गतिविधियों को लाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो छात्रों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, संसाधन संपन्न स्कूल भी अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों का योगदान उन स्कूलों को दे सकते हैं जिन्हें कार्यक्रम के तहत स्कूल की विशेषताओं के युग्मन के तहत अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

वर्ष भर में विद्यांजलि की वृद्धि (2021 में लॉन्च के बाद से संचयी)

शामिल किए गए स्कूलों की कुल संख्या	पंजीकृत व्यक्तिगत स्वयंसेवकों की कुल संख्या	कुल पंजीकृत सीएसआर/एनजीओ	प्रभावित बच्चे
7,47,133	4,58,511	2,881	1,44,35,995

स्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

विद्यांजलि का प्रभाव

विद्यांजलि पहल ने व्यापक सामुदायिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करके और विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी योगदान का लाभ उठाकर 1.44 करोड़ से अधिक छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें

विषय सहायता और मार्गदर्शन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों का प्रावधान शामिल है। इस व्यापक स्वयंसेवी भागीदारी ने छात्रों के सीखने को विविध संसाधनों के साथ समृद्ध किया है, जिसमें विषय सहायता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मार्गदर्शन से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और कंप्यूटर का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवकों ने प्राथमिक चिकित्सा किट और खेल उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है और स्मार्ट कक्षाओं और उन्नत रसोई उद्यानों के साथ सीखने की जगहों का नवीकरण किया गया है।

इस पहल ने कई परिसंपत्ति अनुरोधों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें 26,268 अनुरोध पूरे किए गए हैं। इन अनुरोधों में शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ और सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी विद्युत अवसंरचना, कक्षा की जरूरतें, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायताएँ, आदि। परिसंपत्ति अनुरोधों के अलावा, कार्यक्रम ने 13,100 गतिविधियाँ पूरी की हैं, जिनमें से प्रत्येक संभवत: कई दिनों या कार्यों तक फैली हुई है। सफलता की कहानियों में दिल्ली शामिल है, जिसने 2969 पंजीकृत स्कूलों में से 2883 के साथ 14,882 सक्रिय स्वयंसेवकों के साथ अनुकरणीय भागीदारी का प्रदर्शन किया है।

स्कूल बुनियादी ढांचे में प्रगति

7.54 वित्त वर्ष 23 में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार जारी रहा। अब ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शौचालय (लड़कियों या लड़कों के लिए), पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। समग्र शिक्षा योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूलों में पीने के पानी और स्वच्छता को प्राथमिकता देना जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और इन स्कूल परिसंपत्तियों को बनाने में सहायक रहा है। समग्र शिक्षा योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईटी) घटक के तहत, सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईटी लैब की स्थापना का समर्थन करती है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री का समर्थन शामिल है।

तालिका VII.5: स्कूल के बुनियादी ढांचे की स्थिति

(सभी स्कूलों की प्रतिशत के अनुसार बुनियादी सुविधाएओं सहित स्कूल)

वर्ष	2012-13	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पी)
लड़कियों के लिए शौचालय	88.1	96.9	97.3	97.5	97.0
लड़कों के लिए शौचालय	67.2	95.9	96.2	96.2	95.6
हाथ धोने की सुविधा	36.3	90.2	91.9	93.6	94.1
पुस्तकालय/पठन कक्ष/पठन कोना	69.2	84.1	85.6	87.3	88.3
बिजली	54.6	83.4	86.9	89.3	91.7
विद्यालय में एक वर्ष में चिकित्सा जांच	61.1	82.3	50.4*	54.6*	74.3
कंप्यूटर	22.2	38.5	41.3	47.5	47.7
इंटरनेट	6.2	22.3	24.5	33.9	49.7

* कोविड-19 के कारण स्कूल बंद थे। इसलिए, कम मेडिकल जांच की गई। पी: प्रोविजनल
स्रोत: UDISE+, https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/home

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023

7.55 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया एनसीएफ-एसई 2023 एनईपी 2020 के उद्देश्यों और प्रतिबद्धता को जीवंत करता है, ताकि इसके कार्यान्वयन को सक्षम बनाया जा सके। एनसीएफ का मसौदा 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसमें देश भर के शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, नव- और निरक्षरों, विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, आंगनवाड़ी कर्मियों आदि सहित लगभग 16 लाख विविध हितधारकों से इनपुट मांगे गए थे।

7.56 एनसीएफ-2023 अपने पूर्ववर्ती एनसीएफ-2005 से कई मायनों में बेहतर है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, योग्यता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना,[53] ग्रेड 9 के बजाय ग्रेड 3 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना, भारत की मूल भाषाओं को सीखना और ईसीसीई और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (एफएलएन)/ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना शामिल है। यह परिवर्तनकारी है क्योंकि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता स्कूली शिक्षा में आगे के वर्षों को सार्थक करने के लिए आवश्यक है (मुरलीधरन 2024)।[54] इसके अलावा, यह स्कूल के पाठ्यक्रम में स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करने, आईसीटी सहित शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और रटने की प्रथा से दूर जाने पर अधिक स्पष्टता, विवरण और दिशा लाता है।

व्यावसायिक शिक्षा

7.57 एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सभी संस्थानों को मुख्यधारा में लाने का प्रावधान है, जिसमें कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय नौकरी के अवसरों की मैपिंग पर आधारित फोकस क्षेत्र शामिल हैं। इसमें फाउंडेशनल और प्रारंभिक चरणों में बच्चों में पूर्व-व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और मध्य चरण में काम करने का अनुभव शामिल है, जिससे उन्हें माध्यमिक चरण में उनकी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार व्यवसाय-विशिष्ट क्षमता/कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके।

7.58 समग्र शिक्षा योजना के तहत, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और व्यावसायिक शिक्षा को समायोजित करने के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर आदि सहित उपकरण और उपकरण खरीदने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक गैर-आवर्ती अनुदान दिया जाता है। शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास, प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास आदि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 22 क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ-अनुपालक 113 जॉब रोल्स में से चुन सकते हैं।[55]

7.59 प्राप्त प्रगति के संदर्भ में, वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24 (मार्च 2024 तक) तक 29,342 स्कूलों को कौशल शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 24 तक 88 नौकरी भूमिकाओं वाले 22 क्षेत्रों को कौशल शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया। हब और स्कोप मॉडल के तहत वित्त वर्ष 24 में कुल 25 नई नौकरी भूमिकाएँ शुरू की गईं, जिसके तहत हब स्कूलों के बुनियादी ढाँचे का उपयोग आस-पास के स्पोक स्कूलों द्वारा किया जा सकता है, 1011

53 योग्यता-आधारित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जो केवल रटने पर निर्भर रहने के बजाय विशिष्ट कौशल, ज्ञान, योग्यता और स्वभाव के विकास और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है।

54 मुरलीधरन, कार्तिक। 2024. भारत के विकास को गति देना: प्रभावी शासन के लिए राज्य-नेतृत्व वाली रोडमैप। पेंगुइन इंडिया वाइकिंग, आईएसबीएन: 9780670095940, अध्याय 10

55 ये 22 क्षेत्र हैं: एयरोस्पेस और विमानन, कृषि, परिधान और होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग वित्त और बीमा सेवाएं (बीएफएसआई), सौंदर्य और कल्याण, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, हस्तशिल्प और कालीन, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी/आईटीईएस), प्रबंधन और उद्यमिता, मीडिया और मनोरंजन, खाद्य उद्योग, शारीरिक शिक्षा और खेल, प्लंबर, बिजली, खुदरा, सुरक्षा, दूरसंचार, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन रसद और भंडारण।

स्पोक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 25 के लिए 1,08,418 स्कूलों के लिए उच्च प्राथमिक छात्रों को कौशल शिक्षा का एक्सपोजर स्वीकृत किया गया है, और 3643981 छात्रों को एक्सोपज दिया गया है। संचार कौशल, स्व-प्रबंधान कौशल, आईसीटी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार मॉड्यूल को नौकरी की भूमिका पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

उच्च शिक्षा

7.60 उच्च शिक्षा क्षेत्र, जिसमें विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में तृतीयक और स्कूल के बाद की शिक्षा शामिल है, ने पिछले आठ वर्षो में कुल नामांकन में तेजी के साथ-साथ श्नामांकन इक्विटीश में वृद्धि देखी है। एआईएसएचई 2021-22 के अनुसार,[56] उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है, जो वित्त वर्ष 21 में 4.14 करोड़ और वित्त वर्ष 15 में 3.42 करोड़ था (वित्त वर्ष 15 से 26.5 प्रतिशत की वृद्धि)।

चार्ट VII.6: उच्च शिक्षा में कुल छात्रों का नामांकन

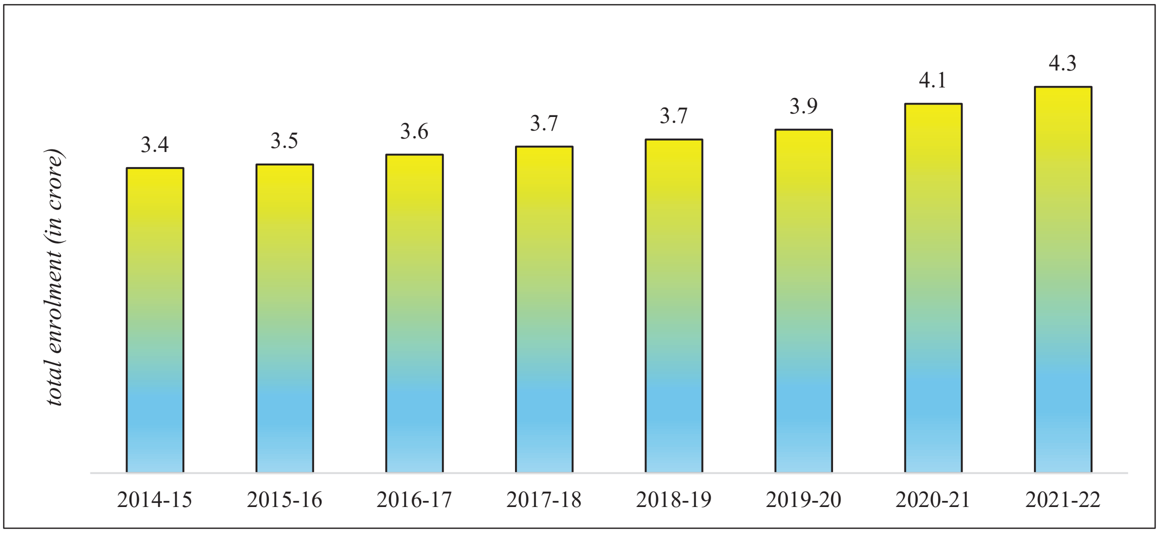

स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2021-22, शिक्षा मंत्रालय

उच्च शिक्षा में बढ़ती समानता

7.61 उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे वंचित वर्गों द्वारा संचालित की गई है, और सभी वर्गों में महिला नामांकन में तेज वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014 वित्त वर्ष 2015 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021 वित्त वर्ष 22 में 2.07 करोड़ हो गया, यानि 2014 वित्त वर्ष 15 से 31.6 प्रतिशत की वृद्‌धि हुई। उच्च शिक्षा में बढ़ती समानता का अर्थ है कि अब तक पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होना।

56 उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा 2011 से देश में उच्चतर शिक्षा पर डेटा एकत्र करने के लिए किया गया एकमात्र व्यापक सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के लिए एक मजबूत और समावेशी डेटाबेस तैयार करना है।

तालिका VII.6: विभिन्न श्रेणियों से उच्च शिक्षा में नामांकन संख्या लाख में

	2014-15 में नामांकन	2021-22 में नामांकन
समस्त	342	433
सभी महिला	157	207
अनुसूचित जाति	46.1	66.2
एससी महिला	21	31.7
अनुसूचित जनजाति	16.4	27.1
एसटी महिला	7.5	13.5
अन्य पिछड़ा वर्ग	113	163
ओबीसी महिला	52.4	78.2

स्रोत: एआईएसएचई 2021-22, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

चार्ट VII.7: 2014-15 और 2021-22 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में वृद्धि (प्रतिशत)

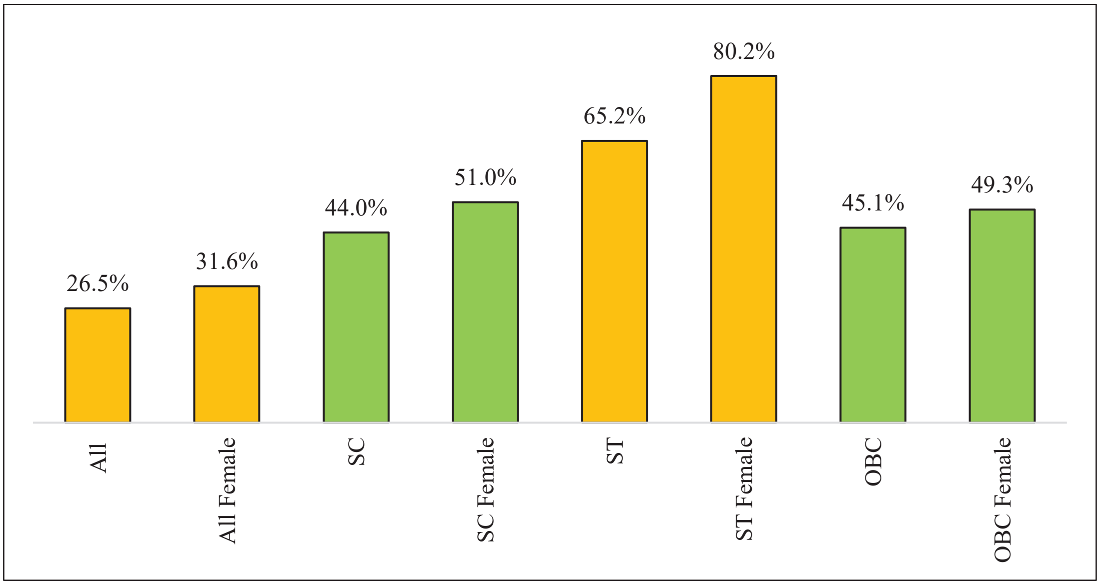

स्रोत: एआईएसएचई 2021-22, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय

डिजिटल प्रिज्म के माध्यम से आजीवन शिक्षा की पुनःकल्पना

7.62 भारत में 26.52 करोड़ छात्र स्कूल में हैं, 4.33 करोड़ उच्च शिक्षा में हैं और 11 करोड़ से ज्यादा छात्र कौशल विकास संस्थानों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा के विशाल क्षेत्र में 14.89 लाख स्कूल, 1.50 लाख माध्यमिक विद्यालय, 1.42 लाख उच्च माध्यमिक विद्यालय,[57] 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज, 12,002 स्वतंत्र संस्थान,[58] स्कूली शिक्षा में 94.8 लाख शिक्षक और उच्च शिक्षा में 15.98 लाख शिक्षक शामिल हैं।

7.63 ये व्यापक आंकड़े चुनौती की व्यापकता और भारत के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एनईपी 2020 की अंतर्निहित महत्वाकांक्षा को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। एनईपी शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में आजीवन सीखने को शामिल करने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की दिशा में प्रयासों के केंद्र में है। यह सीखने की प्रणालियों को अधिक समग्र, बहु-विषयक और व्यापक बनाने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक तरीकों में पहलों के परस्पर जुड़ाव का आह्वान करता है ताकि विविध सीखने की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

7.64 अप्रैल 2023 में एनईपी के तहत घोषित नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) आजीवन शिक्षा को आधार प्रदान करने वाले विनियामक ढांचे का आधार बनाता है। विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजिटल समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), जो बल गुणक के रूप में कार्य करती है। भारत के शैक्षिक डीपीआई में सबसे प्रमुख एपीएएआर अर्थात स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है, जो शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक हितधारक के लिए अद्वितीय पहचान और आजीवन शैक्षणिक प्रमाण-पत्र बनाकर संस्थानों, छात्रों और संकाय के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करती है। एपीएएआर को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) द्वारा पूरक किया जाता है, जो अकादमिक क्रेडिट का एक ऑनलाइन भंडार है जो क्रेडिट मान्यता, संचय, स्थानांतरण और मोचन की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों की गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है। एक बार एपीएएआर आईडी बन जाने के बाद, एचईआई छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को उनकी आईडी से मैप करते हैं, और ऐसे सभी क्रेडिट एबीसी में डीमैट रूप में संग्रहीत होते हैं।

7.65 एपीएएआर और एबीसी का दोहरा समाधान, पहचान और शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के वास्तविक समय के सत्यापन की अनुमति देकर, कई उपयोग के मामलों का मार्ग प्रशस्त करता है। इनमें छात्रों द्वारा किसी विशेष योग्यता (अब एक वास्तविकता) के लिए विभिन्न संस्थाओं से क्रेडिट कोर्स करने या अकादमिक प्रोफाइल का उपयोग करके छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप/शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने की संभावना शामिल है। इन डीपीआई में निर्मित डेटा कंसेंट लेयर के साथ, संभावनाओं की एक रोमांचक दुनिया खुलती है जहाँ डेटा प्रिंसिपल (छात्र) इंटर्नशिप, नौकरी या सहयोगी अवसरों के लिए संभावित नियोक्ताओं या संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र साझा कर सकते हैं। जुलाई 2024 तक, 2037 उच्च शिक्षा संस्थानों ने एबीसी को शामिल कर लिया है, और उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कौशल संस्थानों के छात्रों के लिए 30.13 करोड़ एपीएएआर आईडी बनाई गई हैं।[59]

7.66 भारत की ऑनलाइन शिक्षण संरचना क्रेडिटीकरण में सहायक रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से 40 प्रतिशत तक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति है। नीचे दिए गए बॉक्स VII.7 में इस संबंध में प्रमुख पहलों की विस्तृत सूची दी गई है।

57 https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sDashboard
58 https://tinyurl.com/4sp5tkpz
59 https://www.abc.gov.in/

बॉक्स VII.7: भारत की ऑनलाइन शिक्षण संरचना

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं), स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस के संयोजन से संचालित, स्वदेशी रूप से तैयार किए गए प्लेटफॉर्म डिजिटल विभाजन को पाटने और एनईपी के प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने में शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं।

- स्वयं, एक ओपन लर्निंग डव्ळ प्लेटफॉर्म है, जो पूरे भारत में छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है, जिससे उन्हें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में मुख्यधारा में लाया जा सके। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों में 13140+ कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें AI, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं। 4.3 करोड़ नामांकन के साथ, स्वयं आज सबसे लोकप्रिय ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में उभरा है।
- स्वयंप्रभा, एक डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सैटेलाइट टीवी सेवा है जिसमें 48 से अधिक डीटीएच चौनल शामिल हैं, जिसने विभिन्न विषयों पर यूजी/पीजी स्तर की शिक्षा सामग्री प्रदान की है, जो एक संरचित शेड्यूल के साथ 24×7 उपलब्ध है। इस सेवा की पहुंच उल्लेखनीय है, जिसने 1.2 मिलियन से अधिक छात्रों को आकर्षित किया है और 143,000 से अधिक अद्वितीय वीडियो देखे हैं, कुल मिलाकर 86,000 घंटे देखने का समय है।
- स्वयं प्लस आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो अकादमिक और एलएंडटी तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसे उद्योग जगत के नेताओं के सहयोग से क्रेडिट मान्यता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉलेज के छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों के बीच रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है, जो विनिर्माण, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/आईटी/आईटीईएस, प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन, तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल गतिशील उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए एक अवसर प्रदान करती है।
- एनईपी उच्च शिक्षा में गतिशीलता, लचीलापन और विकल्प बढ़ाने पर जोर देती है। शिक्षा मंत्रालय और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के सहयोग से विकसित ई-गवर्नेंस समाधान समर्थ का उद्देश्य एचईआर में प्रवेश से लेकर डिग्री देने तक की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से बदलना है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम आदि सहित 3500 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपनाया है, जो पूरे भारत में डिजिटल रूप से सक्षम परिसरों का एक नेटवर्क स्थापित करने में योगदान दे रहा है।
- पीएम ई-विद्या पहल डिजिटल शिक्षा प्रयासों को एकीकृत करती है, जो दीक्षा और साथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध सामग्री तक पहुँच प्रदान करती है। दीक्षा में 30+ भाषाओं[60] में 3.5 लाख से अधिक ई-सामग्री और 6854 एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें हैं। साथी प्लेटफार्म प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए संसाधन प्रदान करता है, जिसमें लगभग 2000 वीडियो व्याख्यान, 80,000+ समस्याएँ, मॉक टेस्ट, एक एआई चौटबॉट और नीट और जेईई उम्मीदवारों के लिए आईआईटी और एम्स के छात्रों से मार्गदर्शन शामिल है।

60 https://tinyurl.com/2xj6ra8h

शिक्षा में आगे का मार्ग

7.67 चूंकि शिक्षा भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, इसलिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और उद्देश्यगत कार्यक्रमों का मिशन-मोड और लागत-प्रभावी कार्यान्वयन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है, खासकर प्राथमिक शिक्षा, जिसके बिना शिक्षा के आगे के वर्षों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसे साकार करने के लिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में उद्देश्य की एकता और प्रयासों के अभिसरण की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है।

7.68 सीखने की सीढ़ी पर व्यावसायिक शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए, एक गैर सरकारी संगठन लेंड ए हैंड इंडिया (LAHI) का मॉडल एक अच्छा उदाहरण है। LAHI मॉडल में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम घटक के रूप में पेश करने, प्रयोगशालाएँ स्थापित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण देने, इंटर्नशिप आयोजित करने और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने के लिए सरकारों के साथ नागरिक समाज का सहयोग शामिल है। व्यापक व्यावसायिक शिक्षा सेवाएँ प्रदान करके और प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर, नागरिक समाज छम्च 2020 की नवीन विशेषताओं को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

7.69 शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की लागत-प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षण और शासन पर खर्च करना आवश्यक है। इसमें शिक्षण गुणवत्ता की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक पदों को भरना, अच्छे और बुरे शिक्षक प्रदर्शन की पहचान करना और 'सही स्तर पर शिक्षण' सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को नियुक्त करना शामिल हो सकता है क्योंकि पाठ्यपुस्तकों को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है अगर बच्चे पाठ्यक्रम मानकों से बहुत पीछे हैं (मुरलीधरन 2024)[61]

भारत अनुसंधान एवं विकास में प्रगति कर रहा है

7.70 अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) किसी अर्थव्यवस्था में नवाचार, प्रगति और उत्पादकता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थशास्त्र में, अंतर्जात विकास सिद्धांत तकनीकी प्रगति की दर से निर्धारित होने वाले दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर प्रकाश डालता है, जो किसी राष्ट्र की प्रगति पर आर एंड डी के अंतिम प्रभाव की ओर इशारा करता है। आर एंड डी व्यवसायों को उत्पादकता में सुधार, परिचालन लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है।[62] एआई, पर्यावरण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में आर एंड डी आर्थिक और रणनीतिक दोनों हितों की पूर्ति करता है।

61 मुरलीधरन, कार्तिक। 2024. भारत के विकास को गति देना: प्रभावी शासन के लिए राज्य-नेतृत्व वाली रोडमैप। पेंगुइन इंडिया वाइकिंग, आईएसबीएन: 9780670095940, अध्याय 10

62 जोशी, पी एल. (2023). भारत को अपनी वैश्विक ताकत बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निवेश बढ़ाने की जरूरत है (वॉल्यूम 4 नंबर 1, 2023)। Vol 4 No 1, 2023. 4. 1-13. 10.47509/GJAER.2023.v04i01.01.

7.71 भारत अनुसंधान एवं विकास में तेजी से प्रगति कर रहा है,[63] वित्त वर्ष 2020 में 25,000 से कम पेटेंट अनुदान की तुलना में वित्त वर्ष 24 में लगभग एक लाख पेटेंट दिए गए।[64] WIPO के अनुसार, भारत ने 2022 में पेटेंट फाइलिंग में सबसे अधिक वृद्धि (31.6 प्रतिशत) देखी,[65] जो इसके विकसित नवाचार परिदृश्य और बौद्धिक संपदा निर्माण में आगे बढ़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। GII (2023) के अनुसार[66] भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2015 में 81 वें स्थान से 2023 में 40 वें स्थान पर अपनी रैंक में लगातार सुधार किया है। मानव संसाधन के मामले में, भारत में कुल पीएचडी नामांकन वित्त वर्ष 2015 (1.17 लाख) से वित्त वर्ष 2022 (2.13 लाख) में 81.2 प्रतिशत बढ़ा है।[67] देश में अनुसंधान एवं विकास (जीईआरडी) पर सकल व्यय पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और यह 2010-11 में ₹60,196 करोड़ से दोगुना होकर वित्त वर्ष 21 में 127,381 करोड़ ₹ हो गया है (चार्ट VII.8)।

चार्ट VII.8: अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय

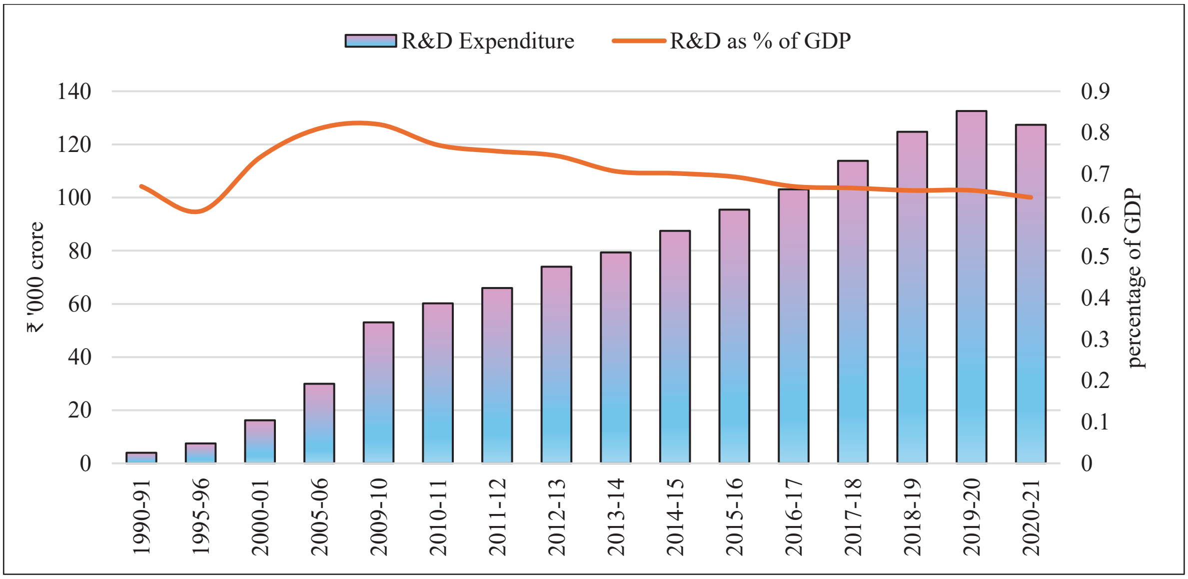

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी एक नजर में, 2022-23, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

7.72 उच्च गुणवत्ता वाले शोध में भारत की उन्नति के संकेत के रूप में, देश नेचर इंडेक्स 2023 में[68] ऑस्ट्रेलिया और स्विटजरलैंड को पछाड़ते हुए 9वें स्थान पर पहुंच गया है।[69] उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेखों में भारत की हिस्सेदारी[70] (प्रतिशत के बजाय पूर्ण संख्या के संदर्भ में मापी गई) पिछले चार वर्षों में 44 प्रतिशत बढ़ी है, अर्थात 2019 में 1039. 7 से 2023 में 1494.7 हो गई। तथापि, चीन और अमेरिका की 20,000 से अधिक हिस्सेदारी की तुलना में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है।

63 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 16 मार्च 2024 https://tinyurl.com/34dz2bfh
64 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 12 अप्रैल 2022 https://tinyurl.com/2j4p533n
65 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) (2023)। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023। जिनेवा: WIPOA DOI: 10.34667/tind.48541, पृष्ठ 30, प्रदर्शनी ।.18
66 PIB release dated 29 December 2023 https://tinyurl.com/2w2zuefr
67 पीआईबी द्वारा एआईएसएचई रिपोर्ट जारी, दिनांक 25 जनवरी 2024 https://tinyurl.com/43fh85v2
68 नेचर इंडेक्स संस्थागत और राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित लेखों की पूर्ण संख्या और आंशिक हिस्सेदारी की संख्या प्रदान करता है, और इस प्रकार यह वैश्विक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान आउटपुट और सहयोग का एक संकेतक है।
69 बेंजामिन प्लैकेट, 18 जून 2024, नेचर इंडेक्स न्यूज https://tinyurl.com/yc8syskb 25 जून 2024 को एक्सेस किया गया
70 शेयर एक मीट्रिक है जो किसी देश में रहने वाले लेखकों द्वारा इंडेक्स में पेपर में योगदान को मापता है, लेख के सभी लेखकों की तुलना में। उदाहरण के लिए, यदि किसी लेख के 4 लेखक हैं और सभी 4 भारत से हैं, तो यह भारत के हिस्से में 1.0 जोड़ देगा। यदि 4 में से 2 लेखक भारत से हैं, तो यह भारत के हिस्से में 0.5 जोड़ देगा।

चार्ट VII.9: नेचर इंडेक्स में शीर्ष दस देशों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों में योगदान

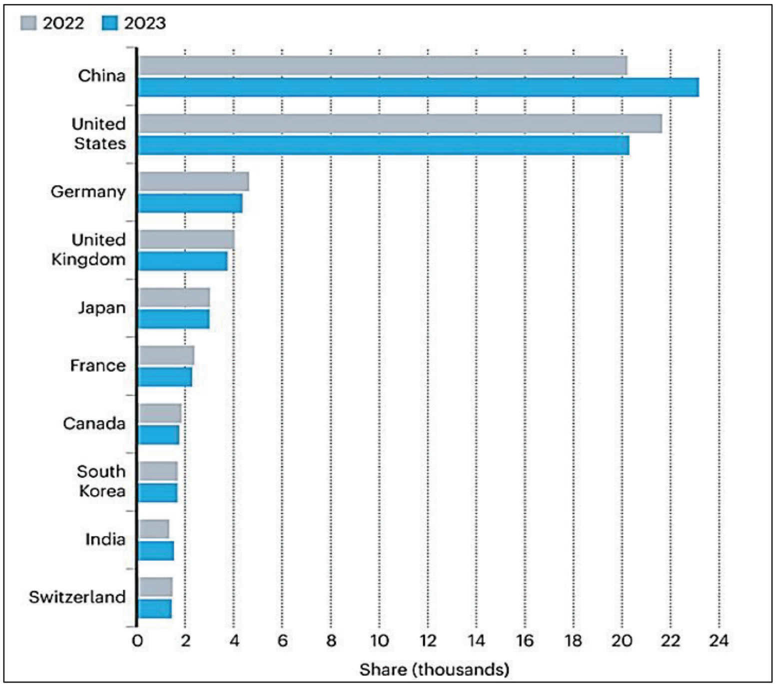

स्रोत: नेचर इंडेक्स 2024 रिसर्च लीडर्स

चार्ट VII.10: सरकार, व्यवसाय उद्यम और उच्च शिक्षा क्षेत्र की भागीदारी, 2020

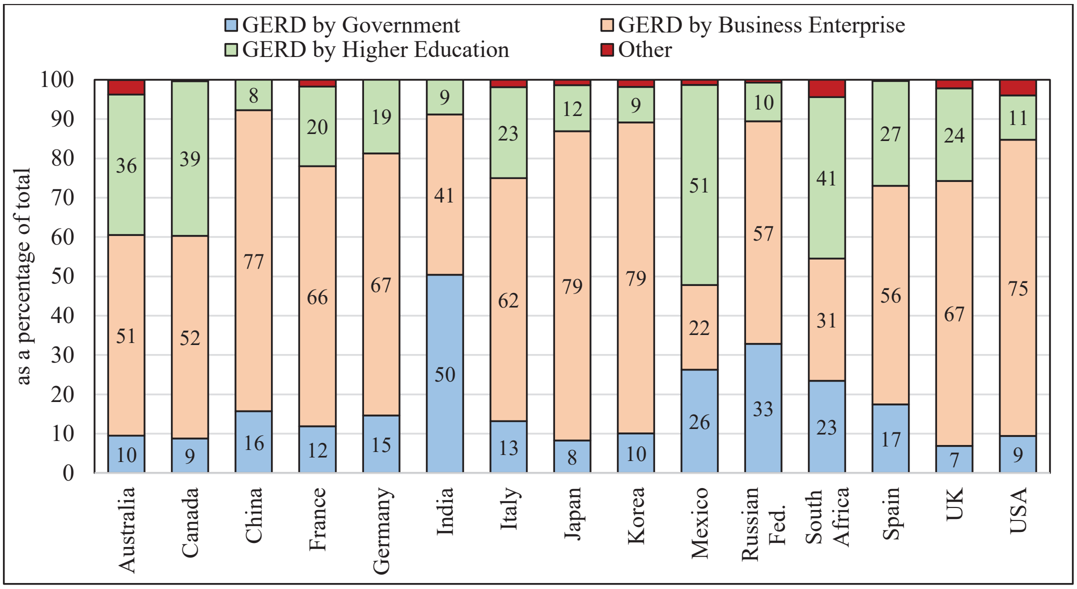

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी एक नजर में, 2022-23, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

7.73 तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का आरएंडडी निवेश 0.64 प्रतिशत है, जबकि चीन (2.41 प्रतिशत), अमेरिका (3.47 प्रतिशत), इजरायल (5.71 प्रतिशत) है। इसके अलावा, आरएंडडी में निजी क्षेत्र का योगदान देश के जीईआरडी के 36.4 प्रतिशत पर कम है, जबकि चीन (77 प्रतिशत), अमेरिका (75 प्रतिशत) आदि में यह योगदान कम है।[71]

71 https://dst.gov.in/document/reports/rd-statistics-glance-2022-23

7.74 जीईआरडी को शोध आउटपुट में बेहतर ढंग से अनुवाद करने के लिए, उच्च शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के बीच संबंध को मजबूत किया जाना चाहिए। एक और चुनौती 'भूमि से प्रयोगशाला' तक का कम समय है। भारत में संस्थान तकनीक विकसित करते हैं, लेकिन लोगों के लाभ[72] के लिए प्रयोगशाला से समाज तक उनके परिवर्तन की दर कम है।

7.75 शोध कर्मियों को आकर्षित करने और राष्ट्र के शोध पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। पेटेंट अनुदानों को सुव्यवस्थित करके शोध करने की आसानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पेटेंट आवेदन की जांच के लिए लगने वाले औसत समय[73] में भारी कमी आई है, जो 2015 में 72 महीनों से घटकर 2022 में 5 से 23 महीने के बीच रह गया है, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर निर्भर करता है। सरकार ने हाल ही में पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा, भारत ने[74] विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023 अधिनियम के तहत) द्वारा संचालित[75] श्अनुसंधानश नामक अपना स्वयं का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन शुरू किया है।[76] यह फाउंडेशन एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा जिसका उद्देश्य राष्ट्र के आर एंड डी इकोसिस्टम को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। सरकार ने "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" के नारे को अपनाते हुए देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के वित्त वर्ष 25 के अंतरिम बजट की भी घोषणा की है।

महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

7.76 भारत एक ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है, जहाँ महिलाएँ विकास और राष्ट्रीय प्रगति की कहानी में समान भागीदार हैं। नारी शक्ति के आह्वान को साकार करने के लिए, सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी हस्तक्षेप और सक्षम प्रावधान किए हैं।

7.77 2023 में भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी ने भी अपनी छह प्राथमिकताओं में से एक के रूप में श्महिलाओं के नेतृत्व वाले विकासश को सूचीबद्ध किया है, जो कि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी के प्रति बढ़ते वैश्विक ध्यान के बीच है। श्रम बाजार में लैंगिक अंतर के प्रमुख चालकों पर उनके काम के लिए प्रो. क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने के साथ, लैंगिक मुद्दों की व्यापक मान्यता स्पष्ट है।

7.78 (घर के नजदीक) भारतीय महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे बुनियादी जरूरतों जैसे कि स्वच्छता, पाइप से पानी, मासिक धर्म स्वच्छता, आदि की कमी, सुरक्षा, उचित पोषण, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समानता और व्यक्तिगत पहचान की भावना से लेकर हैं। महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास में संक्रमण के लिए मुद्दों की 360-डिग्री समीक्षा और उनसे निपटने के लिए एक ईमानदार, व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

7.79 इस इरादे से, भारत सरकार ने सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में महिलाओं की भलाई में सुधार के लिए बहुआयामी पहल की है।

72 नए भारत के लिए रणनीति/75, नीति आयोग https://tinyurl.com/bdzdzb2u
73 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च 2022 https://tinyurl.com/y4s82kts
74 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 16 मार्च 2022 https://tinyurl.com/5h5buk9y
75 https://dst.gov.in/anusandhan-national-research-foundation-anrf
76 अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम, 2023 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह भारत में प्राकृतिक विज्ञान प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में सभी अनुसंधान और विकास को विनियमित करने का प्रयास करता है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त करता है और एसईआरबी को भंग करता है।

जेंडर बजट में लगातार वृद्धि

7.80 पिछले कुछ वर्षों में, सरकारी पहलों में महिला-केंद्रित तत्व बढ़ रहा है, जो विस्तारित जेंडर बजट में स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2014 में, सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं पर ₹97,134 करोड़ (बीई) का प्रावधान किया, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है और वित्त वर्ष 2025 में ₹3.10 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वित्त वर्ष 2024 के बीई की तुलना में जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस)[77] में 38.7 प्रतिशत की वृद्धि और वित्त वर्ष 2014 के बीई की तुलना में 218.8 प्रतिशत की वृद्‍धि दर्शाता है। कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो वित्त वर्ष 2006 में जीबीएस की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है।[78]

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण

7.81 महिलाओं के नेतृत्व में विकास बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने से शुरू होता है। ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' पर जोर देने से बालिकाओं को पालने, शिक्षित करने और उनके लिए बचत करने (सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से)[79] के प्रति सामूहिक चेतना जागृत हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24, अनंतिम)[80] हो गया है और मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से घटकर 2018-20 में 97/लाख[81] जीवित जन्म हो गई है।

7.82 पिछले दशक में, संस्थागत प्रसव का प्रचलन 2015-16 में 78.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 88.6 प्रतिशत हो गया है।[82] आय में वृद्धि और स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में जागरूकता के अलावा, सकारात्मक प्रवृत्ति पीएम जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम के कारण है। पीएम मातृ वंदना योजना,[83] जिसमें पहले बच्चे के जन्म के लिए ₹5000 का नकद भुगतान और दूसरा बच्चे के लिए 6000 रु जो लड़की है, किसी भी मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करके नई माताओं को उचित आराम के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम कहा जाने वाला यह कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य सेवाओं के दीर्घकालिक उपयोग में वृद्धि और जन्मों के बीच अंतराल बढ़ाने के सकारात्मक दुष्प्रभावों से अनुभवजन्य रूप से जुड़ा हुआ है (हैरेन और क्लोनर 2021)।[84]

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा

7.83 महिलाओं की पोषण स्थिति दोगुनी महत्वपूर्ण है - पहला, उनके अपने स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण के लिए, और दूसरा, उनके बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए। इस प्रकार महिलाओं का स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य का आधार बनता है। इसे मान्यता देते हुए, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम कुपोषण मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को दूर करने का प्रयास करता है।

77 जेंडर बजट विवरण मंत्रालयों/विभागों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है, जिसके माध्यम से वे अपने कार्यक्रमों की जेंडर परिप्रेक्ष्य से समीक्षा करते हैं तथा महिलाओं और बालिकाओं के लिए आबंटन पर सूचना प्रस्तुत करते हैं।
78 स्रोत: बजट दस्तावेज, केंद्र सरकार
79 सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए वित्तीय नियोजन हेतु एक प्रमुख लघु जमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत 3.1 करोड़ से अधिक खाते हैं
80 स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)
81 स्रोत: नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण
82 स्रोत: एनएफएचएस-5, भारत तथ्य पत्रक https://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/India.pdf .
83 यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। 31 मार्च 2023 तक 3.32 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 3.05 करोड़ लाभार्थियों को ₹13,460 करोड़ का कुल संवितरण प्रदान किया गया है।
84 वॉन हारेन पी, क्लोनर एस. सीखे गए सबक? भारत की दूसरी पीढ़ी की मातृ नकद हस्तांतरण योजना के इच्छित और अनपेक्षित प्रभाव। हेल्थ इकॉन। 2021 सितंबर;30(10):2468-2486.

7.84 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में,[85] यह केवल कैलोरी की पर्याप्तता से ध्यान हटाकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा पर केंद्रित करता है। इसमें शिशु और छोटे बच्चों के आहार प्रथाओं (स्तनपान और पूरक पोषण सहित), मातृ एवं किशोर पोषण, कुपोषित बच्चों के उपचार और आयुष प्रथाओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। कार्यक्रम प्रक्रिया में सुधार (विकास माप उपकरण ों का उपयोग करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस करना,[86] वास्तविक समय की प्रगति और कुपोषण की गतिशील पहचान के लिए पोषण ट्रैकर का उपयोग करना) और पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे समुदाय-आध ारित कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवहार में बदलाव और स्वास्थ्य प्रथाओं पर परामर्श पर जोर देता है। अपने दायरे को और व्यापक बनाने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जा रहा है, जो[87] सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए एलईडी स्क्रीन, ऑडियो-विजुअल शिक्षण सहायक सामग्री, पोषण वाटिका, वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि से लैस हैं।

7.85 कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पंचायत और महिला समूहों की भागीदारी से लाभ मिलता है, जैसा कि ओडिशा के मामले में देखा जा सकता है, जहां आईसीडीएस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी और उन्हें मजबूत करने के लिए गांव स्तर पर जांच समितियां और माताओं की समितियां स्थापित की गई हैं। माताओं की समितियां आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं, जबकि जांच समितियां भोजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मात्रा मान्यता की देखरेख करती हैं। यह व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों की जवाबदेही बढ़ाती है और प्रदान किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा में विश्वास बढ़ाती है।[88]

7.86 बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच: महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत करने के लिए, ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली लिंग-विशिष्ट कमियों से सबसे पहले निपटना होगा। इस लक्ष्य की ओर, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालयों का निर्माण, 'उज्जवला योजना' के तहत स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन का प्रावधान और श्जल जीवन मिशनश के तहत नल के पेयजल कनेक्शन के प्रावधान ने महिलाओं के जीवन को बदल दिया है, जिससे उनकी मेहनत और देखभाल का बोझ कम हो गया है। ये पहल, सुरक्षा और सम्मान की चिंताओं को संबोधित करने के अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से महिलाओं के सामूहिक कार्यों में भागीदारी जैसे उत्पादक कार्यों के लिए समय और ऊर्जा भी मुक्त करती हैं।

7.87 संबल के माध्यम से सुरक्षा:[89] लैंगिक हिंसा और सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए, वन-स्टॉप सेंटर[90] या सखी केंद्र नियमित और आपातकालीन चिकित्सा और कानूनी सहायता, पुलिस सुविधा, अस्थायी आश्रय और परामर्श की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को न्याय पाने और विपत्ति से उबरने में सशक्त बनाया जा सके। 24 घंटे की टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन श181श[91] सरकारी योजनाओं और आपातकालीन सेवाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती है।

85 मिशन तीन मौजूदा योजनाओं, यानी आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को एकीकृत करता है, जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा।

86 31 मई 2023 तक 10.06 करोड़ लाभार्थी (गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 वर्ष तक के बच्चे) पोषण ट्रैकर के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

87 कार्यक्रम के अंतर्गत, 2025-26 तक 40,000 प्रतिवर्ष की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत किया जाएगा।

88 कृति कपूर और शोभा सूरी, "कुपोषण मुक्त भारत की ओर: पोषण अभियान से सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार," ओआरएफ विशेष रिपोर्ट संख्या 103, मार्च 2020, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

89 मिशन शक्ति को महिलाओं की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण की आवश्यकता के व्यापक समाधान के रूप में शुरू किया गया है। मिशन में दो उप-योजनाएँ शामिल हैं, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सामर्थ्य'। सामर्थ्य के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला और स्वाधार गृह का नाम शक्ति सदन रखा गया है; कामकाजी महिला छात्रावास का नाम सखी निवास रखा गया है; लिंग बजटिंग; राष्ट्रीय क्रेच योजना (पालना); साथ ही राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए हब के एक नए घटक को शामिल किया गया है।

90 801 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1 अप्रैल 2015 से देश भर में 733 चालू हैं।

91 अभी तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन चालू हैं। महिला हेल्पलाइन ने अब तक 1.26 करोड़ से अधिक कॉल संभाले हैं और मार्च 2023 तक 63.95 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

7.88 शिक्षा और कौशल: भारत में महिला शिक्षा की वकालत करने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है, सावित्रीबाई फुले ने[92] 19वीं शताब्दी में कहा था कि ‟.. शिक्षा के बिना एक महिला जड़ों और पत्तियों के बिना बरगद के पेड़ की तरह है।" महिलाओं की शिक्षा निर्णय लेने, घर के भीतर सौदेबाजी की शक्ति, संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक भागीदारी के मामले में सशक्तिकरण का एक साधन बनी हुई है (एनगिडा 2017)।[93] सिन्हा, 2023 भारत के दक्षिणी राज्यों में मानव विकास संकेतकों की उच्च दर का श्रेय माध्यमिक शिक्षा में उच्च महिला नामांकन को देते हैं, जिसने विकास कार्यों और स्वयं सहायता समूहों में जागरूक और आत्मविश्वासी महिलाओं के एक बड़े हिस्से की भागीदारी को बढ़ावा दिया।[94]

7.89 स्कूलों में नामांकन के मामले में,[95] सर्व शिक्षा अभियान (2000 में शुरू) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के साथ सभी स्तरों पर लैंगिक समानता हासिल की गई है। उच्च शिक्षा में, लगातार पाँच वर्षों से महिला जीईआर पुरुष जीईआर से अधिक रही है।[96] जबकि इसका अर्थ है लड़कियों की शिक्षा का बढ़ता महत्व, आर्थिक सशक्तीकरण में इसके अनुवाद के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम, रोजगार, श्रम शक्ति भागीदारी और अनुकूल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी।

7.90 कौशल योजनाओं में महिलाओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित लोगों में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 में 42.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 52.3 प्रतिशत हो गई है। धन शिक्षण संस्थान योजना (जेएसएस) के तहत, कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 82 प्रतिशत थी। दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र में, अर्थात, आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में, महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 में 9.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.3 प्रतिशत हो गई है। एनएपीएस के तहत, महिलाओं की भागीदारी भी वित्त वर्ष 2017 में 7.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.8 प्रतिशत हो गई। तथापि, कौशल कार्यक्रमों से लाभ को मूर्त रूप देने के लिए , उन्हें सुरक्षित और किफायती परिवहन और संभारतंत्र, क्रेच और दीर्घकालिक कैरियर परामर्श जैसे सहायक बुनियादी ढांचे के साथ पूरक करने की आवश्यकता है।

7.91 विज्ञान में महिलाएँ: विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार,[97] भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) स्नातकों का अनुपात सबसे अधिक 42.7 प्रतिशत है। हालाँकि, अनुसंधान और विकास में महिला वैज्ञानिकों की हिस्सेदारी केवल 18.6 प्रतिशत है।[98] इस विपरीतता को दूर करने के लिए, छत्र योजना 'विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ- किरण (WISE KIRAN)' STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। 2018 और 2023 के बीच, लगभग 1962 महिला वैज्ञानिकों को महिला वैज्ञानिक योजना के तहत लाभ हुआ, जो महिला वैज्ञानिकों, विशेष रूप से करियर ब्रेक वाली महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करती है। 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को दूर करना है। दिसंबर 2023 तक, 250 जिलों की कक्षा IX-XII की लगभग 21,600 छात्राएँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित हैं। अप्रैल 2023 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने CSIR-ASPIRE के तहत महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष अनुसंधान अनुदान शुरू किया और एक विशेष पोर्टल समर्पित किया। चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 सौर मिशन जैसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में महिलाओं का नेतृत्व विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्रों में चल रहे लैंगिक परिवर्तन को दर्शाता है।

---

92 सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारतीय शिक्षा की अग्रणी, समाज सुधारक और कवि थीं। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने 1948 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया।
93 एनगीडा, वाईएम (2021)। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की त्रि-आयामी भूमिका। जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज।
94 अमरजीत सिन्हा, द लास्ट माइल। अक्टूबर 2023। पहला संस्करण। रूटलेज इंडिया। अध्याय 11, पूर्ण रोजगार के लिए कौशल पर पुनर्विचार
95 स्कूल शिक्षा विभाग के UDISE+ डैशबोर्ड पर डेटा देखें, https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport
96 शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात 2017-18 से 2021-22 तक।
97 https://tinyurl.com/mr4btwfx
98 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 7 फरवरी 2024 https://tinyurl.com/5n8p8y29

7.92 पुरुषों के गढ़ में सेंध: सरकार ने गैर-परंपरागत क्षेत्रों जैसे भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट, कमांडो, केंद्रीय पुलिस बलों, सैनिक स्कूलों में प्रवेश आदि में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाने के प्रावधान भी किए हैं।

7.93 राजनीतिक सशक्तिकरण: जन जीवन और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में, नारी शक्ति वंदन अभियान, 2023 (एनएसवीए) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक छलांग है, जो अनुभवजन्य रूप से बेहतर संस्थानों और अधिक अखंडता से जुड़ा हुआ है। भारतीय इतिहास में, पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण 1991 में संवैधानिक रूप से लागू किया गया था, और तीन दशक बाद, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं। शोध के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश को बढ़ावा दिया है, जो महिलाओं की चिंताओं से निकटता से जुड़ी हैं, जैसे कि पीने का पानी और सार्वजनिक सड़कें।[99] इसके अलावा, महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहतर बाल स्वास्थ्य[100] और प्राथमिक शिक्षा परिणामों से भी जुड़ा हुआ है।[101] इन पंक्तियों के साथ, एनएसवीए लैंगिक समानता का प्रतीक होने के अलावा समावेशी विकास के लिए नई संभावनाएं खोलता है।

7.94 स्त्री पहचान में परिवर्तन: नारी शक्ति की शुरुआत महिलाओं को एक स्वतंत्र पहचान वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता देने से होती है। इसका महत्व इतिहास में एक दिलचस्प उदाहरण में देखा जा सकता है। 1952 में, जब भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों की तैयारी कर रहा था, तब लगभग 28 लाख महिलाओं ने अपने वास्तविक नामों का उपयोग न करके बल्कि किसी की माँ/पत्नी के रूप में नामांकन कराया, जिसके कारण उनका मतदाता पंजीकरण अमान्य हो गया।[102] आज का भारत बहुत आगे निकल गया है और महिला नागरिकों की पहचान को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें हाल ही में NFSA, 2013 के तहत घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर राशन कार्ड जारी करना,[103] पीएम आवास योजना के तहत निर्मित घरों में महिलाओं के संयुक्त या एकमात्र स्वामित्व की आवश्यकता,[104] जन धन योजना के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित महिलाओं तक पहुँचना[105] और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के तहत लगभग 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं का सामूहिकीकरण शामिल है।[106]

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

7.95 श्रम बल में बढ़ती भागीदारी : शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुंच के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण की अन्य पहलों ने राष्ट्र के विकास और प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। महिला एलएफपीआर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई। तथापि, ग्रामीण भारत ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है, जहां लगभग तीन-चौथाई महिला श्रमिक कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई हैं। इस प्रकार, एलएफपीआर में वृद्धि को ग्रामीण महिला कार्यबल की जरूरतों और योग्यताओं के अनुकूल उच्च मूल्यवर्धन क्षेत्रों में लगाने की जरूरत है और कृषि प्रसंस्करण इसके लिए एक अच्छा दावेदार बनकर उभर रहा है, जैसा कि रोजगार पर अध्याय में चर्चा की गई है। लड़कियों की छवि को बोझ से कमाने वाले में बदलने में मूल्यवान रोजगार की भूमिका तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसकी चर्चा बॉक्स VII.7 में की गई है।

---

99 चट्टोपाध्याय, आर और डुफ्लो, ई (2004), ''नीति निर्माता के रूप में महिलाएं: भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य'', इकोनॉमेट्रिका, खंड 72, संख्या 5, 2004, पृष्ठ 1409-43।

100 भालोत्रा, एस. और आई. क्लॉट्स-फिगुएरस. 2010. "स्वास्थ्य और महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी," माइमियो, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय.

101 क्लॉट्स-फिगुएरस, इरमा, 2007. ''क्या महिला नेता शिक्षा के लिए अच्छी हैं? : भारत से साक्ष्य,'' यूसी3एम वर्किंग पेपर्स। अर्थशास्त्र we077342, यूनिवर्सिडाड कार्लोस III डी मैड्रिड।

102 द हिंदू, 19मार्च 2024, https://tinyurl.com/ytsy4d3z

103 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013.

104 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित 2.41 करोड़ घरों में से 26.6 प्रतिशत घर पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं, तथा 69 प्रतिशत घर संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर हैं।

105 https://tinyurl.com/bd7234z6

106 स्रोत: पीआईबी रिलीज 6 फरवरी 2024, रिलीज आईडी: 2003170 https://tinyurl.com/3nh99vnb

बॉक्स VII.8: महिला सशक्तीकरण के लिए रोजगार की प्रमुखता: कृष्णगिरि की लड़कियां वित्तीय स्वतंत्रता की स्याही से अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं[107]

पिछले दशक में हुए औद्योगिक निवेश के कारण तमिलनाडु के सुदूरवर्ती जिले कृष्णागिरि में महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं, जिससे एक सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है।

यह जिला बाल विवाह, जन्मपूर्व लिंग चयन, कम बाल-लिंग अनुपात (राज्य औसत 946 की तुलना में 920)[108] और कम महिला साक्षरता (65 प्रतिशत) की उच्च घटनाओं से जूझ रहा था।[109] अनुभव से पता चलता है कि महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता उनके समग्र विकास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, साथ ही सामाजिक परिवर्तन के लिए एक धुरी भी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल असेंबली, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फुटवियर इत्यादि में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना ने महिलाओं के बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि निर्माताओं का मानना है कि महिला श्रमिक अधिक उत्पादक और निपुण होती हैं। इससे मानसिकता में बदलाव आया है क्योंकि जो परिवार लड़कियों को बोझ मानते थे, वे अब उन्हें कमाने वाली के रूप में देखते हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी कल्याणकारी प्रयासों को भी बढ़ावा मिला है। इसके परिणामस्वरूप लड़कियों के बाल विवाह और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई है, साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

कृष्णगिरि के अनुभव ने राज्य और कॉरपोरेट्स से दूसरे क्रम के प्रभावों को भी प्रेरित किया। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से ही कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने , औद्योगिक छात्रावास स्थापित करने, माता-पिता को परामर्श देने आदि की नीतियाँ शुरू कीं। महिला कर्मचारियों की बढ़ती माँग ने कंपनियों के बीच भर्ती प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है, जो ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, पिक-अप और ड्रॉप सुविधाएँ, डे केयर सुविधाएँ आदि शुरू करके अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन और शिक्षा मानदंडों में छूट का लालच देती हैं।

7.96 बढ़ती हुई शिक्षित और कुशल महिला आबादी द्वारा कार्यबल में भागीदारी के लैंगिक लाभांश को सही मायने में प्राप्त करने के लिए, देखभाल अर्थव्यवस्था का समुचित विकास आवश्यक है और यह लम्बे समय से लंबित है, जैसा कि रोजगार पर अगले अध्याय में चर्चा की गई है।

7.97 वित्तीय समावेशन: वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से घरेलू संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण बेहतर होता है और यह ऋण और बीमा तक पहुँचने का एक प्रवेश द्वार है। पीएम जन धन योजना ने 52.3 करोड़ बैंक खाते खोलने में मदद की है, जिनमें से माई 2023 तक 55.6 प्रतिशत खाताधारक महिलाएँ हैं। इसके साथ ही औसत जमा राशि में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है, जो मार्च 2015 में ₹1,065 से बढ़कर मार्च 2023 में ₹4,398 हो गई है।

7.98 ग्रामीण सूक्ष्म वित्त: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि सरकार का स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)[110] कार्यक्रम है, जो 8.3 मिलियन एसएचजी में 89 मिलियन से अधिक महिलाओं को कवर करता है,[111] अनुभवजन्य रूप से महिला सशक्तीकरण, आत्मसम्मान वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक बुराइयों में कमी और बेहतर शिक्षा, गांव की संस्थाओं में उच्च भागीदारी और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में मध्यम प्रभावों से जुड़ा हुआ है। मिशन सामाजिक पूंजी और अंतर-क्षेत्रीय ज्ञान को साझा करने और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) द्वारा सहायता प्रदान करने पर भी जोर देता है, जो ऐसी महिलाएं हैं जो कड़ी मेहनत और उद्यम के माध्यम से गरीबी

107 102. मीडिया लेख से स्रोत: एन माधवन, 27 फरवरी 2024, "क्यों एक बार नजरअंदाज की गई महिलाओं को कृष्णगिरि में संजोया जा रहा है" लाइवमिंट, https://tinyurl.com/57pkyrra accessed on 4 June 2024.

108 भारत की जनगणना, 2011.

109 https://krishnagiri.nic.in/about-district/district-at-a-glance/ accessed 4 जून 2024 को एक्सेस किया गया।

110 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिकतम 20 व्यक्तियों का एक सामाजिक और आर्थिक रूप से समरूप समूह है, जो बचत और ऋण के सामूहिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से गठित किया जाता है, जिसमें ऋण और ऋण के अंतिम उपयोग के लिए संपार्श्विक पर कोई जोर नहीं दिया जाता है।

111 PIB release dated 14 March 2023 https://tinyurl.com/4a4eruau

से बाहर निकली हैं। आजीविका आंदोलन के पैदल सैनिक कहे जाने वाले[112] 3.5 करोड़ से अधिक सीआरपी (कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंकिंग संवाददाता सखी शामिल हैं) एसएचजी को लागू करने और बढ़ाने में सहायक हैं। सफलता की कहानियों में केरल में कुडुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल और हाल ही में लद्दाख के लूम्स शामिल हैं। इस अध्याय के खंड VII.10 में इस कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई है।

7.99 उद्यमिता: स्टार्ट-अप और स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से उद्यमिता की लहर में महिलाओं की भागीदारी काफी उत्साहजनक रही है। पीएम मुद्रा योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं, और स्टैंड-अप इंडिया के तहत 77.7 प्रतिशत (माई 2024)[113] लाभार्थी महिलाएँ हैं। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करते हुए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के 53 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं (जुलाई 2023 तक)। बैन एंड कंपनी (2020) का अनुमान है कि भारत में लगभग 13.5-15.7 मिलियन महिला-स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं, जो देश के कुल उद्यमों का 17-20 प्रतिशत है। अधिक प्रोत्साहन और समर्थन के साथ, यह संख्या 2030 तक 31.5 मिलियन, अर्थात सभी उद्यमों का एक तिहाई तक बढ़ सकती है।[114]

परिसंपत्ति स्वामित्व की समानता की ओर

7.100 यद्यपि महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पुरुषों के अधिकारों वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की सामाजिक स्वीकृति बढ़ रही है, जैसे लड़ाकू विमान उड़ाना, यूनिकॉर्न कंपनी चलाना, या जिले/विभाग का नेतृत्व करना, और ऐसी खबरों का जश्न मनाया जाना, महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ाने और महिला संपत्ति अधिकारों को सामान्य बनाने की बहुत गुंजाइश है। समानता के अंतर्निहित नैतिक मूल्य के अलावा, भूमि/संपत्ति पर महिलाओं का स्वामित्व उनकी वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक अवसरों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को खेती और संबंधित ऋणों के लिए संसाधनों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है, और संसाधनों के व्यक्तिगत उपयोग के बजाय परिवार-उन्मुख के माध्यम से घरेलू कल्याण होता है (अग्रवाल 1994)।[115] संपत्ति के स्वामित्व को वैवाहिक हिंसा में कमी से भी जोड़ा गया है (अग्रवाल और पांडा 2007)।[116] उत्तराधिकार[117] पर महिला-हितैषी कानूनों के बावजूद, शोध का अनुमान है[118] केवल भारत के नौ नमूना राज्यों में केवल 14 प्रतिशत भूमालिक महिलाएं थी (अग्रवाल, अंषवाल, और महेश, 2021) यहां तक कि भूमि मालिक महिलाओं को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एकल स्वामित्व तक सीमित पहुंच, छोटी और घटिया गुणवत्ता वाली भूमि[119] (जैन, सक्सेना, सेन और सैनन, 2023)।

7.101 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों के स्वामित्व की महिला की आवश्यकता[120] राज्य द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। फिर भी, व्यापक प्रगति जमीनी स्तर से उभरनी होगी, और आधी सदी पहले प्रकाशित साहित्य के ज्ञान से उधार लेते हुए, "भविष्य के लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य की सामाजिक स्वीकृति के संकेतकों में पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण के साथ-साथ संस्थागत बुनियादी ढांचे

---

112 पीआईबी विज्ञप्ति 6 दिसंबर 2023, RU-33-01-335-061223/EXPLAINER https://tinyurl.com/4a4eruau

113 Source: Inputs from Dept of Financial Services

114 बैन एंड कंपनी (2020), पॉवरिंग द इकोनॉमी विद हर: वूमेन आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया, https://tinyurl.com/43cw2vky 21 जून 2024 को एक्सेस किया गया

115 अग्रवाल, बीना, 1994. "लिंग और संपत्ति पर नियंत्रण: दक्षिण एशिया में आर्थिक विश्लेषण और नीति में एक महत्वपूर्ण अंतर," विश्व विकास, एल्सेवियर, खंड 22(10), पृष्ठ 1455-1478, अक्टूबर।

116 अग्रवाल, बी. और पांडा, पी. (2007) श्घरेलू हिंसा से मुक्ति की ओर: उपेक्षित स्पष्टश, जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 8(3), पृ. 359-388. कवप: 10. 1080/14649880701462171.

117 इन नौ राज्यों में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश (जिसे 2014 में विभाजित कर आंध्र प्रदेश श्नयाश और तेलंगाना बना दिया गया) और कर्नाटक; पश्चिमी और मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश; तथा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।

118 अग्रवाल, बीना, अंथवाल, परवेश, और महेश, मालविका। (2021)। श्भारत में कितनी और कौन सी महिलाएँ जमीन की मालिक हैं? अंतर-लिंग और अंतर-लिंग अंतर, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, अप्रैल, ओपन एक्सेस ीजजचेः//कवप.वतह/10.1080/00220388.2021.1887478 .

119 चारु जैन, दिशा सक्सेना, सोमनाथ सेन, दीपक सानन, भारत में महिलाओं का भूमि स्वामित्व: डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से साक्ष्य, भूमि उपयोग नीति, खंड 133, 2023, 106835, आईएसएसएन 0264-8377

120 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित 2.41 करोड़ घरों में से 26.6 प्रतिशत घर पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं, तथा 69 प्रतिशत घर संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर हैं।

की उपलब्धता भी शामिल होनी चाहिए जो ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करते हैं''।[121] संपत्ति के स्वामित्व में पर्याप्त समानता वास्तव में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान को साकार करने में एक उच्च बिंदु होगी। महिलाओं द्वारा विकास का नेतृत्व करने के लिए, इसका स्वामित्व भी उनके पास होना चाहिए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था: विकास इंजन को गति देना

7.102 ग्रामीण भारत का एकीकृत और सतत विकास सरकार की शासन रणनीति का केंद्र है। विकेंद्रीकृत नियोजन, ऋण तक बेहतर पहुंच, युवाओं का कौशल विकास, आजीविका के बेहतर अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा जाल प्रावधान, बुनियादी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं आदि के माध्यम से समग्र आर्थिक बेहतरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कूल के बुनियादी ढांचे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, शासन के मुद्दों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान, परिवहन और संचार के बेहतर साधनों आदि जैसी कल्याणकारी सेवाओं पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके जीवन जीने के लिए दीर्घकालिक क्षमताओं से लैस करना है। इस भाग में सरकार की कुछ ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है।

ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार

7.103 सरकार कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है।

तालिका VII.7: ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता

साधारण सुविधाएं	• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत (10 जुलाई 2024 तक)[122] 11.57 करोड़ शौचालय और 2.39 लाख सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण किया गया। • जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया (10 जुलाई 2024 तक)[123] • पीएम-आवास -ग्रामीण के अंतर्गत पिछले नौ वर्षों में (10 जुलाई 2024[124] तक) गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। • पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए (2 जून 2024[125] तक) • सौभाग्य के अंतर्गत 2015 से 21.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण किया गया (31 मार्च 2019 तक)[126] • डिजिटल इंडिया: ग्रामीण क्षेत्रों में 4.29 लाख कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे (जुलाई 2024 तक)[127] • 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हुआ (6 जून 2024 तक)[128]

121 "समानता की ओर, भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट", 1974, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 4, पैरा 1.20।
122 https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx
123 https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx
124 https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx
125 https://www.pmuy.gov.in/index.aspx
126 https://saubhagya.gov.in/
127 https://csc.gov.in/
128 https://omms.nic.in/dbweb/Home/TimeSeries

बैंकिंग और वित्तीय समावेशन	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत 9.79 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत (26 जून 2024 तक)[129] • 0.19 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण सहकारी बैंकों के तहत पंजीकृत (22 मई 2024[130] तक) • 465.42 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन मंजूर किए गए हैं। (जनवरी 2024[131] तक) • सितंबर 2023 तक विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत[132] 104.02 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत होंगे • पीएमजेडीवाई के तहत 35.7 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। (26 जून 2024[133] तक) • पीएफएमएस ई-ग्रामस्वराज को भुगतान लेनदेन के लिए 2.79 लाख में से 2.63 लाख पंचायतों के साथ एकीकृत किया गया[134] (10 जुलाई 2024 तक)
शिक्षा	• समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, मुफ्त ऑनलाइन चौनलों और अध्ययन सामग्री आदि के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना (शिक्षा अनुभाग में विस्तृत जानकारी)
स्वास्थ्य	• 1.58 लाख उपकेंद्र • 24,935 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र • 5480 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र • 1.6 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नत की गईं[135] (पूर्ववर्ती एबी-एचडब्ल्यूसी) (13.12.2023 तक)

7.104 नाबार्ड के अर्थशास्त्रियों द्वारा हाल ही में एक वर्किंग पेपर (पटनायक, गुप्ता और जाधव, 2024) में निर्मित[136] ग्रामीण गतिविधि के समग्र संकेतक में देखा गया है कि 2023-24 में ग्रामीण मांग बढ़ रही है।[137] सूचकांक से संकेत मिलता है कि कोविड लहरों के दौरान ग्रामीण मांग कमजोर हुई और 2023-24 के दौरान इसमें विस्तार हुआ। आम तौर पर, ग्रामीण मांग हर साल अक्टूबर के त्यौहार के तुरंत बाद चरम पर होती है, खरीफ की बुवाई से पहले कम हो जाती है।

129 https://pmjdy.gov.in/account
130 https://pmjdy.gov.in/account
131 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2002012
132 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1990746
133 https://pmjdy.gov.in/account
134 https://egramswaraj.gov.in/pfmsDashboardNew.do
135 इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास देखभाल शामिल है, जो गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। नीचे दिया गया आंकड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वर्ष-वार प्रगति और उपलब्धि को दर्शाता है।
136 समग्र संकेतक में तेरह उच्च आवृत्ति संकेतक शामिल हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, अर्थात, ग्रामीण वास्तविक मजदूरी, वास्तविक कृषि ऋण, वास्तविक कृषि निर्यात (सभी सीपीआई-ग्रामीण द्वारा अपस्फीति), व्यापार की शर्तें (अर्थात, थोक मूल्य सूचकांक से प्राप्त खाद्य और गैर-खाद्य की सापेक्ष कीमतें), कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण उपभोक्ता भावना, मनरेगा मांग, जलाशय स्तर, आईआईपी-खाद्य, उर्वरक बिक्री, ट्रैक्टर बिक्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री।
137 पटनायक, एस., गुप्ता, एन., और जाधव, वी., 2024, "भारत में ग्रामीण मांग और ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच गतिशील अंतरक्रिया से नीतिगत अंतर्दृष्टि", नाबार्ड

चार्ट VII.11: ग्रामीण गतिविधि का समग्र संकेतक

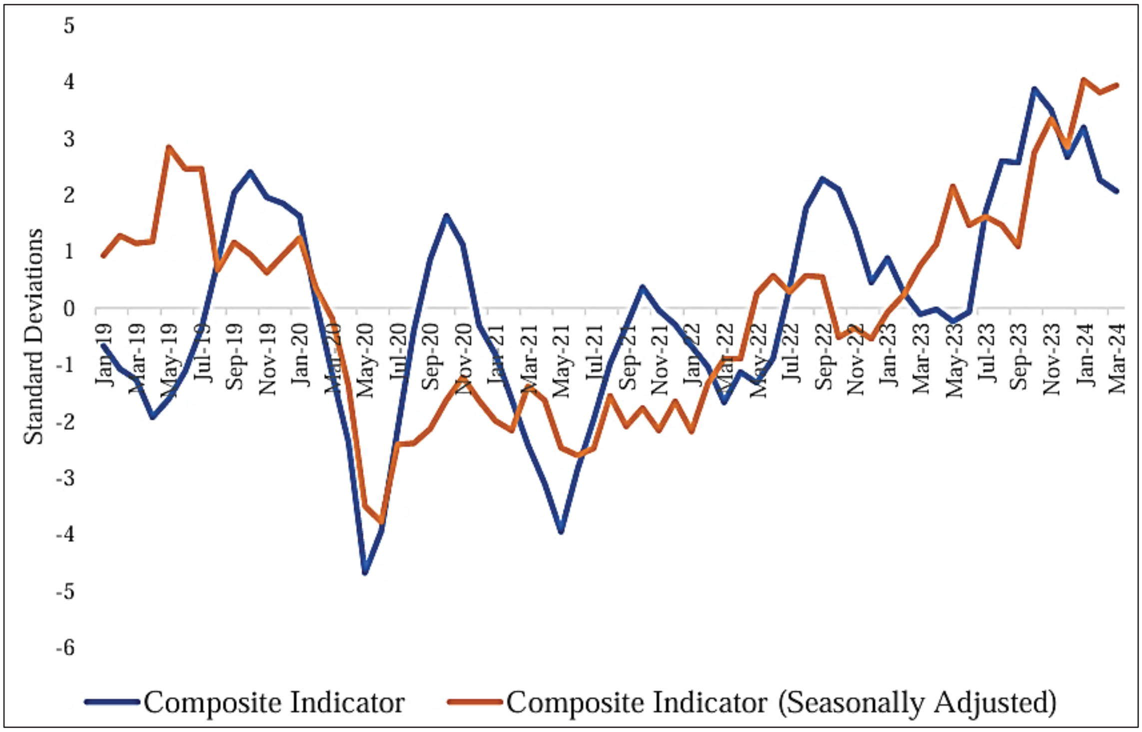

स्रोतः पटनायक, गुप्ता, और जाधव, 2024

मनरेगा के सुरक्षा तंत्र को मजबूत और आधुनिक बनाना

7.105 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं।[138]

7.106 व्यक्ति-दिवस संतति, प्रति परिवार औसत व्यक्ति-दिवस और महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में मनरेगा योजना जिसके माध्यम से मनरेगा को लागू किया जाता है। भौतिक प्रगति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका VII.8: एमजीएनआरईजीएस पर प्रमुख संकेतक

सूचक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
सृजित व्यक्ति-दिवस (करोड़ में)	265.4	389.1	363.3	293.8	309.2
प्रति परिवार औसत व्यक्ति-दिन	48.4	51.52	50.1	47.8	52.1
महिला भागीदारी दर (% आयु)	54.8	53.19	54.7	57.5	58.9

*एमआईएस के अनुसार (31.03.2024 तक)

138 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया यह अधिनियम शुरू में देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों को कवर करता था। इसे 2007-2008 के दौरान दूसरे चरण में अतिरिक्त 130 जिलों में लागू किया गया था। इस अधिनियम को देश के शेष ग्रामीण जिलों में तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 से अधिसूचित किया गया था।

7.107 योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए कई दक्षता सुधार शुरू किए गए हैं। ईमानदारी सुनिश्चित करने और लीकेज को खत्म करने के लिए, काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद जियोटैगिंग की जाती है,[139] 99.9 प्रतिशत भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, मजदूरी डीबीटी के तहत हस्तांतरित की जाती है, कुल सक्रिय श्रमिकों में से 98.6 प्रतिशत में आधार-आधारित भुगतान सक्षम किया गया है और 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

7.108 जबकि एमजीएनआरईजीएस की शुरुआत एक मजदूरी रोजगार योजना के रूप में हुई थी, यह स्थायी आजीविका विविधीकरण के लिए एक परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रम के रूप में विकसित हुई है, जैसा कि व्यक्तिगत लाभार्थी 'व्यक्तिगत भूमि पर काम' की हिस्सेदारी में वृद्धि से देखा जा सकता है, जो वित्त वर्ष 14 में कुल पूर्ण किए गए कार्यों के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 73.3 प्रतिशत हो गई (व्यय के संदर्भ में हिस्सेदारी बहुत कम है, फिर भी वित्त वर्ष 14 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 32.1 प्रतिशत हो गई)। बेयर फुट टेक्नीशियन (बीएफटी)[140] और उन्नति[141] कौशल परियोजना जैसी पहलों से श्रमिकों की क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7.109 इसके अलावा, योजना से अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए, इसे विभिन्न पहलों के साथ एकीकृत किया गया है जैसे कि राज्य योजनाओं और एनआरएलएम के साथ व्यक्तिगत लाभार्थियों और समुदाय के लिए न्यूट्री-गार्डन, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के साथ चारा फार्म, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ बागवानी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय औषधीय रोपण बोर्ड, आयुष मंत्रालय के साथ औषधीय रोपण को बढ़ावा देना, पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिशन मोड में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - चरण - II के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण, और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), रक्षा मंत्रालय के साथ सीमा क्षेत्रों में सभी मौसम की सड़क संपर्कता का निर्माण।

7.110 बॉक्स VII.9 में जांच की गई है कि क्या एमजीएनआरईजीएस पर खर्च ग्रामीण संकट का सूचक है।

बॉक्स VII.9: क्या मनरेगा व्यय ग्रामीण संकट का सूचक है?

राज्यों में मनरेगा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय भिन्नता है। परिणामों में इस तरह की असमानता का एक निश्चित कारण खोजने के लिए कई शोध अध्ययन[142,143,144] किए गए हैं, लेकिन संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। कुछ रिपोर्ट[145,146] बताती हैं कि मनरेगा की मांग ग्रामीण संकट का संकेत है। अगर वास्तव में ऐसा है तो डेटा ट्रेंड से पता चलेगा कि अधिक गरीबी और उच्च बेरोजगारी दर वाले राज्य अधिक योजना निधि का उपयोग करते हैं और अधिक रोजगार व्यक्ति-दिन पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा फंड के उपयोग और कम बेरोजगारी के बीच एक संबंध

139 2016 में इसके शुभारंभ के बाद से 5.73 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया गया है (31 मार्च 2024 तक) और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

140 अब तक 20 राज्यों में 9387 बीएफटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

141 उन्नति कौशल परियोजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य (18-45 वर्ष की आयु) को प्रशिक्षण प्रदान करके मनरेगा श्रमिकों को कुशल बनाना है। वेतन हानि क्षतिपूर्ति के विरुद्ध वजीफे का पूरा खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह परियोजना वित्त वर्ष 20 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य तीन वर्षों में यानी वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में 2 लाख महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के कौशल आधार को बढ़ाना है। अब तक लगभग 59,350 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

142 'An Evaluation of India's National Rural Employment Guarantee Act', World Bank, accessed 3 July 2024, https://tinyurl.com/27farpke

143 Sami, L. and Khan, A. (2016) 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): A Tool for Employment Generation', *International Journal of Social Sciences and Management* 3: 281

144 Turangi, S. (2022): "MGNREGS Performance (2006–21): An Inter-State Analysis", South Asia Research 42, no. 2 (July 2022): 208–32, https://doi.org/10.1177/02627280221085195.

145 Nitnaware, H., 7 July 2022, 'Demand of Record 30 million Jobs for MGNREGS Reflects Rural Distress', Down to Earth, accessed 5 July 2024, https://tinyurl.com/3a2kj643

146 Ghildiyal, S., 2 April 2022, 'Rural Distress: Despite Dip in 2021, NREGA Generates around 100 Crore Persondays More than Pre-Pandemic 2019', The Times of India, https://tinyurl.com/884vsy5f

हो सकता है। मनरेगा मजदूरी राज्य की गरीबी के स्तर को दर्शा सकती है। पिछले अध्ययनों[147] ने वास्तविक समय के ग्रामीण संकट को इंगित करने के लिए मौसम के आंकड़ों के साथ मनरेगा की मांग को सहसंबंधित करने का प्रयास किया है, लेकिन परिकल्पना को सत्यापन की आवश्यकता है।

एमजीएनआरईजीएस डेटा से प्राप्त जानकारी

वित्त वर्ष 2024[148] के आंकड़ों से पता चलता है कि हालांकि तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी[149] का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है, लेकिन जारी किए गए सभी एमजीएनआरईजीएस फंड का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु का है। इसी तरह, गरीब आबादी के केवल 0.1 प्रतिशत के साथ केरल ने देश के एमजीएनआरईजीएस फंड का लगभग 4 प्रतिशत इस्तेमाल किया। इन राज्यों ने मिलकर 51 करोड़ व्यक्ति-दिन रोजगार पैदा किया। इसके विपरीत, गरीब आबादी के लगभग 45 प्रतिशत (क्रमशः 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत) के साथ बिहार और यूपी ने केवल 17 प्रतिशत (क्रमशः 6 प्रतिशत और 11 प्रतिशत) एमजीएनआरईजीए फंड के लिए जिम्मेदार थे और 53 करोड़ व्यक्ति-दिन रोजगार पैदा किया (चार्ट VII.12)।

राज्यवार बहुआयामी गरीबी सूचकांक और सृजित व्यक्ति-दिनों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना केवल 0.3[150] की गई है, जो दर्शाता है कि एमजीएनआरईजीएस निधि का उपयोग और रोजगार सृजन गरीबी के स्तर के अनुपात में नहीं हैं।

चार्ट VII.12: राज्यों को जारी की गई एमजीएनआरईजीएस निधि का अनुपात और उनकी गरीब आबादी का अनुपात[151]

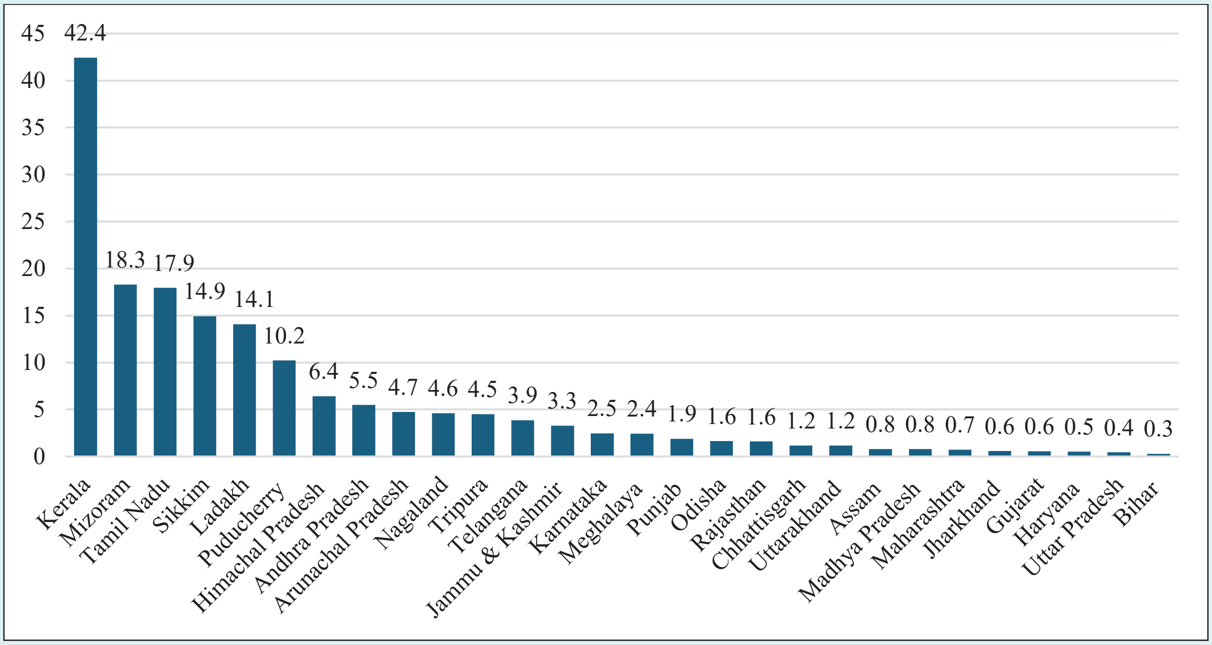

Source: DoRD,NFHS

147 Shagun, 'Can MGNREGA Data Serve as Real-Time Index for Rural Distress?', Down To Earth, 29 July 2019, https://tinyurl.com/5ewuhubx
148 As per data from Department of Rural Development (DoRD) and NFHS-5.
149 Poor population figures calculated from Head Count Ratio (HCR) data from Niti Aayog MPI report.
150 Own calculations. A coefficient of 1 would indicate that the poorer a state, greater the number of person-days it generates and a coefficient of 0 would indicate no relationship between poverty and person-days.
151 Data for West Bengal, Manipur, Lakshadweep, A&N, DD&DNH and Goa not included because no/negligible fund was released to these states/UTs for NREGS in FY24

इसके अतिरिक्त, गणना से पता चलता है कि डळछत्म्ळै फंड के उपयोग और ग्रामीण बेरोजगारी दरों के बीच बहुत कम संबंध है। FY23[152] के डेटा से पता चलता है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण बेरोजगारी दर वाले राज्यों ने जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा डळछत्म्ळै फंड का इस्तेमाल किया हो। लोकप्रिय कथन के विपरीत, डेटा इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि FY22 में उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दर वाले राज्यों ने FY23 में ज्यादा MGNREGS फंड की मांग की (चार्ट VII.13)।

मनरेगा के तहत, जब तक कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जाता (जिसकी अनुमति अधिनियम देता है), राज्य अपना न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकते हैं। इस निर्धारण में आदर्श रूप से स्थानीय रोजगार के अवसरों, प्रति व्यक्ति आय और वैकल्पिक आय स्रोतों पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, योजना के आंकड़ों[153] से पता चलता है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण तदर्थ है और प्रति व्यक्ति आय या गरीबी दर के अनुपात से संबंधित नहीं है। हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य राज्यों में मनरेगा में उनकी प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष अपेक्षाकृत उच्च अधिसूचित मजदूरी दरें हैं (चार्ट VII.14)। यह राज्यवार मनरेगा निधि उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि मजदूरी घटक पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

चार्ट VII.13: बेरोजगारी दर (प्रति 1000) और वित्त वर्ष 23 में जारी एमजीएनआरईजीएस फंड

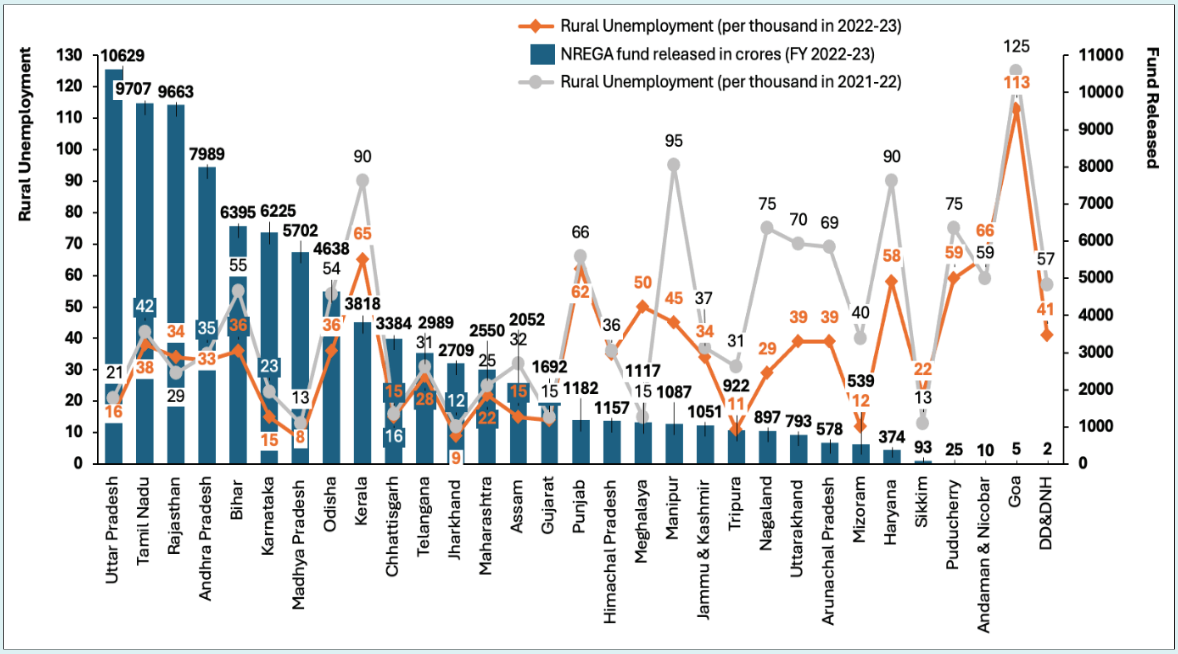

नोटः रोजगार के आंकड़े प्रमुख स्थिति और सहायक स्थिति का योग हैं।
स्रोतः DoRD, एनएसएसओ रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण रिपोर्ट; पीएलएफएस, एनएसओ

152 Fund release data from DoRD and unemployment data from RBI Handbook of Statistics on Indian States at https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=22079

153 Data from DoRD

Chart VII.14: प्रति व्यक्ति आय और अधिसूचित मजदूरी दरों की तुलना

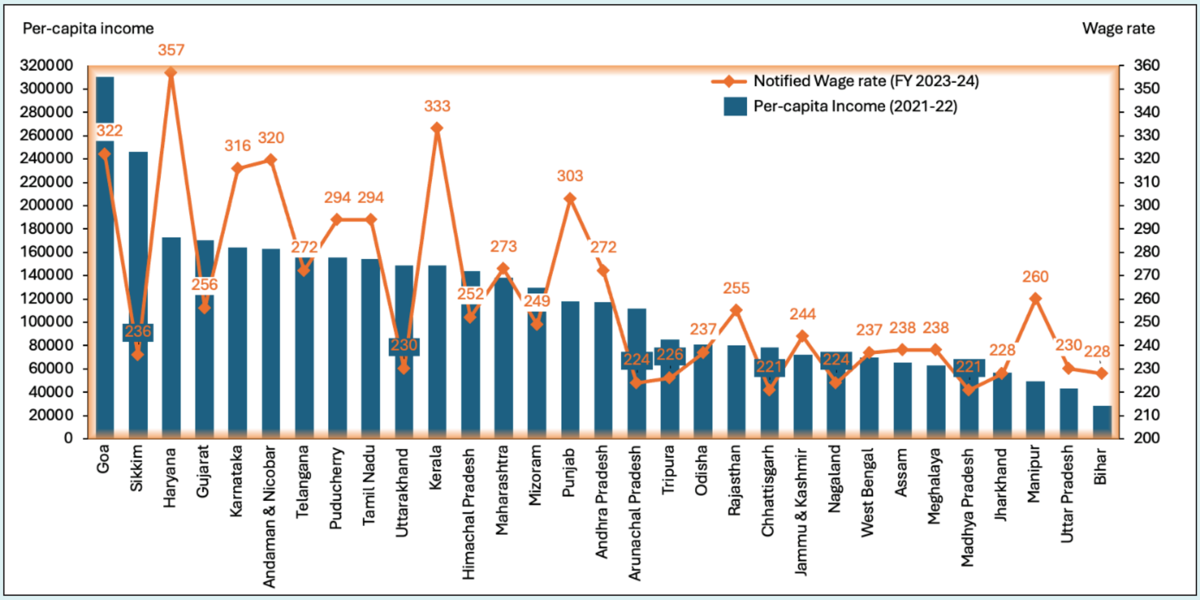

नोट: हिमाचल प्रदेश के लिए अधिसूचित मजदूरी दर को अनुसूचित क्षेत्रों और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिसूचित मजदूरी दरों के औसत के रूप में माना गया है।
- ए एंड एन के लिए, अधिसूचित मजदूरी दर को अंडमान और निकोबार के लिए अधिसूचित दरों का औसत माना जाता है

राज्यों में मनरेगा कार्य की मांग में अंतर को स्पष्ट करने वाले कारकों का निदान

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एमजीएनआरईजीएस कार्य की मांग सीधे तौर पर सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण संकट में वृद्धि से संबंधित नहीं है। गांव में रहने वाले परिवारों के अंतिम विकल्प से लेकर घरेलू संपत्ति निर्माण और स्थायी आय सृजन के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनने तक एमजीएनआरईजीएस कार्य के उल्लेखनीय विकास को पहले भी देखा जा चुका है।[154] यह दर्शाता है कि फंड के उपयोग में राज्य स्तर के अंतर को समझाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की गई है।

आपूर्ति पक्ष के मुद्दे

विभिन्न राज्यों को धनराशि जारी करने में डीओआरडी द्वारा लिए गए समय में अंतर- डीओआरडी द्वारा स्वचालित प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न राज्यों को धनराशि जारी करने में लगने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण अंतर न हो, जो यह दर्शाता है कि यह धनराशि के उपयोग में राज्यवार अंतर का कारण नहीं है।

राज्यों के बीच मनरेगा बजट का विनियोजन- मनरेगा फंड के उपयोग में अंतर संभवत: सहमत श्रम बजट में अनुमानित वार्षिक मांगों से उत्पन्न हो सकता है। वित्त वर्ष 25[155] के अनुमानों से पता चलता है कि यूपी, एमपी और बिहार जैसे उच्च ग्रामीण गरीब आबादी[156] वाले राज्यों में वार्षिक व्यक्ति-दिवस अधिक होंगे। इस प्रकार, यह अंतर संभवत: पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर वास्तविक निधि उपयोग के कारण है।

154 Nageswaran, V.A. et.al 'Why We Must Re-Examine Narrative of Rural Distress', mint, 22 August 2022, https://tinyurl.com/5n76hbfx

155 व्यक्ति-दिवस रोजगार डेटा DoRD के द्वारा प्रस्तुत किया गया है

156 Rural Population data based on RBI's Handbook of Statistics on Indian Economy 2021-22- https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21248.

मांग-पक्ष संबंधी मुद्दे

मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता- मनरेगा फंड का उपयोग करने के लिए, राज्य सरकारों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट को अग्रिम रूप से अंतिम रूप देना चाहिए, एक बॉटम-अप प्लानिंग प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसमें ग्राम पंचायत की बैठकें, ब्लॉक और जिला स्तर पर अनुमोदन और राज्य स्तर पर संकलन शामिल हैं। राज्यों को पिछले वर्ष के कम से कम 75 प्रतिशत फंड का उपयोग करना चाहिए, फंड किश्तों के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र, व्यय विवरण और सामाजिक लेखा परीक्षा उपलब्धियां प्रदान करनी चाहिए।[157] बेहतर संस्थागत क्षमता और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं वाले राज्य इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सकते हैं।

साहित्य,[158,159,160] प्रति व्यक्ति आय और संस्थागत गुणवत्ता के बीच एक संबंध स्थापित करता है। कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी स्तर वाले राज्यों में अक्सर कमजोर संस्थान होते हैं, जिससे निष्पादित किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कम धनराशि मिलती है और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति कम रोजगार पैदा होता है।[161] FY24 [162] के डेटा से पता चलता है कि यूपी (~10 लाख काम), कर्नाटक जैसे राज्य (~9 लाख कार्य), और एमपी (~7.77 लाख कार्य) ने कई कार्य किए लेकिन प्रति कार्य कम मनरेगा निधि का उपयोग किया (क्रमशः ₹0.93 लाख, ₹0.55 लाख और ₹0.72 लाख)। इसके विपरीत, पुडुचेरी (प्रति कार्य ₹8.96 लाख), हरियाणा (₹4.89 लाख), राजस्थान (₹2.76 लाख), और तमिलनाडु (₹2 लाख) जैसे राज्यों ने प्रति कार्य अधिक निधि का उपयोग किया।

ग्रामीण गरीबों के प्रति व्यक्ति सृजित व्यक्ति-दिवस रोजगार के मामले में भी यही प्रवृत्ति है, तमिलनाडु (69), केरल (62), राजस्थान (42) और पुडुचेरी (30) ने यूपी (7), एमपी (10) और बिहार (6) से बेहतर प्रदर्शन किया है। उच्च संस्थागत क्षमता वाले राज्य बेहतर योजना बनाते हैं और बेहतर समन्वय करते हैं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महंगे कामों को अंजाम देते हैं। इसके विपरीत, असम, झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान जैसे कम आय वाले राज्यों में 'व्यक्तिगत कार्यों'[163] (50 प्रतिशत या उससे अधिक) का अनुपात अधिक है, जो कम खर्चीले हैं और जिनके लिए कम योजना की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, एमजीएनआरईजीएस निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता महत्वपूर्ण है।

मांग दर्ज करने में अंतर- 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधानों के बावजूद, सभी राज्यों[164] में वित्त वर्ष 24 में केवल ₹90,000 और वित्त वर्ष 23 में ₹7.8 लाख जारी किए गए। इसके अलावा,[165] मूल्यांकन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मांगे जाने पर अक्सर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इससे पता चलता है कि ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता वास्तविक समय में मांग दर्ज नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, एमजीएनआरईजीएस कार्य मांग को दर्शाने वाला औपचारिक डेटा वास्तविक मांग और वर्तमान ग्रामीण आर्थिक संकट

157 Detailed guidelines in Annual Master Circular 2024-25 (https://tinyurl.com/2msf4fpf).
158 Alonso, J.A., Garcimartin, C. and Kvedaras, V. (2020): "Determinants of Institutional Quality: An Empirical Exploration", Journal of Economic Policy Reform 23, no. 2 (2 April 2020): 229–47
159 Rodrik, D., Subramanian, A. and Trebbi, F. (2004): "Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development", Journal of Economic Growth 9, no. 2 (2004): 131–65.
160 Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J.A. (2001): "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", American Economic Review 91, no. 5 (December 2001): 1369–1401
161 Rural poor population data is taken from RBI Handbook of Statistics on Indian Economy 2021-22-https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21248
162 Data on number and category of works and fund usage as furnished by DoRD
163 Data on category of works as furnished by DoRD- these include individual, and community works for vulnerable sections
164 Unemployment allowance data furnished by DoRD.
165 'An Evaluation of India's National Rural Employment Guarantee Act'.

को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मांगे गए काम की रिपोर्ट पोर्टल पर तभी की जाती है जब वास्तव में रोजगार प्रदान किया जाता है (संभवत: बेरोजगारी भत्ते के प्रति राज्य सरकार की देनदारी को बचाने के लिए)।

लीकेज में वृद्धि- एमजीएनआरईजीएस फंड के उपयोग में भिन्नताएं राज्यों में देखी गई अनियमितताओं और लीकेज से उत्पन्न होती हैं। विस्तृत दस्तावेजीकरण की कमी के बावजूद, समाचार रिपोर्ट,[166] सामाजिक ऑडिट[167] और वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि अक्सर फंड इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे मांग एक अविश्वसनीय संकट सूचक बन जाती है। चार वर्षों में, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ने पाया कि एमजीएनआरईजीएस के तहत 935 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करने और जॉब कार्ड[168] छोड़ने, श्रम के बजाय मशीनों का अवैध उपयोग, अवास्तविक श्रम बजट, फंड जारी करने में देरी,[169] जॉब कार्ड अपडेट की कमी और असत्यापित बिलों के मामले सामने आए हैं। सामाजिक जवाबदेही मंच के ऑडिट[170] ने 2018-20 में 658 करोड़ रुपये की हेराफेरी की सूचना दी, जिसमें वेतन के मुद्दों, जॉब कार्ड और कार्यस्थलों पर ध्यान केंद्रित करने वाली शिकायतें थीं। इसने यह भी नोट किया कि एमजीएनआरईजीए कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं का अक्सर उल्लंघन किया जाता था।

उपरोक्त निदानात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एमजीएनआरईजीएस के तहत मांग ग्रामीण संकट का वास्तविक संकेतक नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से राज्य की संस्थागत क्षमता और कुछ हद तक अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी और अन्य बातों से भी जुड़ी हुई है।

जमीनी स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना

7.111 सरकार ने किफायती वित्त तक निर्बाध पहुंच और आकर्षक बाजार अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान देते हुए जीवंत योजनाबद्ध हस्तक्षेपों का एक गुलदस्ता तैयार किया है, जिसका उद्देश्य अंतत: ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आजीविका सृजन, वित्त और विपणन तक आसान पहुंच प्रदान करने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से कई योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे रही है। कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख नीचे बॉक्स टप्.9 में किया गया है।

बॉक्स VII.10: ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल

(क) उदाहरण के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सार्थक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करना है। डीएवाई-एनआरएलएम ने महिलाओं को अपनी आजीविका में सुधार करने और नई गतिविधियों में उद्यम करने के लिए नई ऊर्जा को प्रेरित करने और प्रज्वलित करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, विशेष कौशल और मूल्यवान अनुभव तक पहुँचने में मदद की है। उन्होंने सैनिटरी पैड, साबुन, डिटर्जेंट, फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेंसिंग सामग्री आदि तैयार करने के लिए सौर पैनल जैसे उद्यम शुरू किए हैं। वर्ष 2011 में शुरू किए गए इस मिशन का दायरा 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों के 7135 ब्लॉकों तक फैला हुआ है। प्रमुख घटकों पर कार्यक्रम की प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है।

166 Singh, S., 2 October 2023, The Hindu 'RTI Queries Reveal Several Irregularities in MGNREGA Scheme in West Bengal'

167 Nitnaware, H., 24 January 2023, "MGNREGA Graft: Social Audit Finds Irregularities Worth Rs 54 Lakh in Rajasthan" Down to Earth accessed 24 June 2024, https://tinyurl.com/3bnjbv3r

168 Bhattacharyya, D. (2023): "Of Conflict and Collaboration", Economic and Political Weekly', Vol 58, Issue no. 36, 9 September 2023, https://www.epw.in/journal/2023/36/special-articles/conflict-and-collaboration.html.

169 'Audit Reports | Comptroller and Auditor General of India', https://cag.gov.in/en/audit-report/details/118182.

170 Social Accountability Forum for Action and Research, 'MGNREGA Social Audit Report', November 2020.

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत प्रगति

सूचक	संचयी प्रगति (जून 2024 तक)
कवर किए गए ब्लॉकों की संख्या	7135
प्रमोट किये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	90.86
संगठित परिवारों की संख्या (करोड़ में)	10.05
स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई पूंजी सहायता (करोड़ रुपये में)	43,610
स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त बैंक ऋण की राशि (₹ लाख करोड़ में)	8.85
एसवीईपी के अंतर्गत स्थापित व्यक्तिगत उद्यमों की संख्या (लाख में)	2.98
एजीईवाई के तहत तैनात वाहनों की संख्या	2333
महिला किसानों की संख्या (करोड़ में)	3.71
स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों की संख्या	32709
घरेलू बचत रसोई उद्यान की संख्या (करोड़ में)	2.28

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ख) लखपति दीदी पहल

लखपति दीदी पहल का लक्ष्य तीन साल के भीतर तीन करोड़ एसएचजी परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय ₹1 लाख तक पहुंचाना है। यह विविध आजीविका गतिविधियों, जिला-स्तरीय योजना, घरेलू सहायता, सरकारी विभागों के अभिसरण और कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

(ग) स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) को डीएवाई-एनआरएलएम के तहत गैर-कृषि आजीविका रणनीतियों के रूप में लागू किया जा रहा है। एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों का समर्थन करता है। इस रणनीति का उद्देश्य व्यवसाय व्यवहार्यता प्रबंधन के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देना, स्टार्ट-अप ऋण वित्त तक पहुँच प्रदान करना और मौजूदा उद्यम को आगे बढ़ाना है। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 221 ब्लॉकों में लगभग 2.97 लाख उद्यम बनाए गए हैं। एजीईवाई ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सस्ती और समुदाय-निगरानी वाली परिवहन सेवाएँ प्रदान करता है। 26 राज्यों में लगभग 2333 वाहन चालू हैं, जो दूरदराज के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिए परिवहन सेवाएँ प्रदान करते हैं।

(घ) सरस आजीविका पोर्टल और ई-सरस मोबाइल ऐप (2023 में लॉन्च) स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रामाणिक दस्तकारी उत्पादों, जैसे लिनेन आइटम, फर्नीचर, परिधान, अचार आदि की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। स्वदेशी रूप से तैयार किए गए उत्पादों के लिए एक समर्पित बाजार बनाकर, यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण महिलाओं को नए युग के उद्यमियों के रूप में प्रेरित करता है।

(ङ) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना, जो एनआरएलएम की एक उप-योजना है, का उद्देश्य भी ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत करना है। आरएसईटीआई मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-स्तरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनका प्रबंधन बैंकों द्वारा किया जाता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वे 18-45 वर्ष की आयु के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, ऋण सहायता और सलाह प्रदान करते हैं, जिसमें उद्यमियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने का दृष्टिकोण शामिल है। उनका अनुकूलित पाठ्यक्रम कृषि अर्थव्यवस्था और छोटे ग्रामीण व्यवसायों की स्थानीय मांगों से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2009 में योजना की शुरुआत के बाद से, 50.72 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, और जून 2024 तक 36.23 उम्मीदवारों को उद्यमी/प्रशिक्षु के रूप में बसाया गया है, जिसमें सेटलमेंट दर 72 प्रतिशत से अधिक है।

(च) ग्रामीण उद्यमिता को वित्तपोषित करना: ग्रामीण उद्यमियों को समर्थन देने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) और आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) को बढ़ावा देता है, जिसमें वित्त पोषण और कौशल सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नाबार्ड एसएचजी, जेएलजी, पीओ और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर अपने उत्पाद बेचने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, ऑफ-फार्म उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) को ओएनडीसी में शामिल होने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। 31 मार्च 2023 तक, 20,174 एमईडीपी से लगभग 5.85 लाख एसएचजी सदस्य लाभान्वित हुए, जिन्हें ₹52.39 करोड़ का अनुदान मिला, और 2149 एलईडीपी से 2.67 लाख एसएचजी सदस्य लाभान्वित हुए, जिन्हें ₹106.10 करोड़ का अनुदान मिला।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'सरस मेला' स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को अपने उत्पाद सीधे शहरी बाजारों में बेचने में मदद करता है, जिससे बिचौलियों का सफाया होता है और कारीगरों के मार्जिन में सुधार होता है। यह ग्रामीण उत्पादकों को खरीदारों से जुड़ने, उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार उत्पाद तैयार करने और अपने विपणन कौशल को निखारने का अवसर देता है।

(ज) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई एक राज्य-नेतृत्व वाला, परिणाम-संचालित कौशल कार्यक्रम है जो ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है, जिसमें सतत रोजगार, पीपीपी और सेक्टर कौशल परिषदों के माध्यम से परिणामों के स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाणन पर जोर दिया जाता है। यह कार्यक्रम गरीब ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने और पोस्ट-प्लेसमेंट ट्रैकिंग, प्रतिधारण और कैरियर प्रगति को दी गई प्रमुखता और प्रोत्साहन के माध्यम से सतत रोजगार पर जोर देने के कारण अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच एक अद्वितीय स्थान रखता है। रोशनी और हिमायत नामक विशेष उप-योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

7.112 भविष्य की ओर देखते हुए, आरएसईटीआई (देश के 577 जिलों में कार्यरत 591 आरएसईटीआई)[171] की व्यापक स्थानीय उपस्थिति और बैंकों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की त्रि-पक्षीय-साझेदारी का लाभ सरकारी कार्यक्रमों जैसे कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण, रोजगार मेले, एसएचजी, कृषि उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां आदि में प्रयासों को एकजुट करने के लिए उठाया जा सकता है। जमीनी स्तर पर कौशल और ऋण संपर्क के आधार के रूप में कार्य करके, आरएसईटीआई जिला स्तरीय उद्यम केंद्रों के रूप में उभर सकते हैं।[172]

7.113 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें पेशेवर सहायता और प्रबंधन का लाभ उठाकर बड़े उद्यमों में तब्दील किया जा सके। उदाहरण के लिए, डूंगरपुर, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं को सोलर लैंप कारखानों और खुदरा सोलर दुकानों के संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व में लाना आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सोलंकी के मार्गदर्शन और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संभव हो पाया।[173] उचित प्रशिक्षण और पेशेवर मार्गदर्शन के साथ, महिला समूह बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर उद्यम के रूप में उभर सकते हैं।

ग्रामीण शासन: जमीनी स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की कहानी

7.114 बेहतर ग्रामीण शासन से ग्रामीण विकास को बहुत लाभ मिल सकता है, जो कार्यक्रम आधारित प्रभाव सृजन और बढ़ते अवसरों के व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए आधार और गुणक शक्ति के रूप में काम कर सकता है। 2015 और

171 पीआईबी रिलीज आईडी 1983115, 6 दिसंबर 2023 https://tinyurl.com/4e68kcjr
172 अमरजीत सिन्हा, द लास्ट माइल। अक्टूबर 2023। पहला संस्करण । रूटलेज इंडिया। अध्याय 11, पूर्ण रोजगार के लिए कौशल पर पुनर्विचार
173 http://durgaenergy.com/About.

2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में 200 प्रतिशत की वृद्धि के साथ,[174] शासन का डिजिटलीकरण गांव और प्रशासनिक मुख्यालय के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक आसान काम है, जो क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण है।[175] इस पहलू में, ग्रामीण भारत में कई डिजिटलीकरण पहल सामने आ रही हैं।

बॉक्स VII.11: ग्रामीण शासन में सुधार के लिए डिजिटलीकरण पहल

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

ई-पंचायत परियोजना का उद्देश्य लगभग 2.71 लाख पंचायतों या समकक्ष निकायों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है, जिससे लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और लगभग दस लाख पीआरआई कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, सरकार ने पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत ऑडिटऑनलाइन नामक एक एप्लिकेशन शुरू की है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखती है।[176]

ई-ग्राम स्वराज

24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल पंचायतों को पेश करने के लिए ई-ग्राम स्वराज (https%@@egramswaraj-gov-in@) लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायत का पूरा प्रोफाइल देता है, जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण, वित्त और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में उल्लिखित गतिविधियाँ शामिल हैं। यह वास्तविक समय पर भुगतान और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सक्षम करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत है। 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने 2023-24 के लिए अपने जीपीडीपी तैयार करके ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कर दिए हैं।[177]

भू-आधार

पहचान पार्सल संख्या (यूएलपीआईएन) या भू-आधार एक 14-अंकीय पहचान संख्या है जो किसी भूमि खंड को उसके देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर दी जाती है। इसका उद्देश्य भूमि खंडों के सीमांकन, पहचान और मानकीकरण को सुगम बनाना है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों को बहु-विभागीय सेवाओं सहित नागरिकों को भूमि-संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। यूएलपीआईएन के माध्यम से उचित भूमि सांख्यिकी और भूमि लेखा भूमि बैंकों और एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) को विकसित करने में मदद करेगा। यूएलपीआईएन को 29 राज्यों में शुरू किया गया है, जिससे लगभग 14.94 करोड़ यूएलपीआईएन तैयार हुए हैं।[178]

स्वामित्व योजना

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) ग्रामीण घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य संपत्ति के मुद्रीकरण को सक्षम करना, विवादों को कम करना और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को सुविधाजनक बनाना है। 2.90 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1.06 लाख गांवों के लिए 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। यह योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा में लागू की गई है।[179]

174 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, अध्याय 12, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना: संभावित विकास को बढ़ावा देना।
175 अशर, एस., नागपाल, के., नोवोसाद, पी. (2018)। दूरी की लागत: ग्रामीण भारत में भूगोल और शासन। विश्व बैंक वर्किंग पेपर, 2018
176 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
177 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
178 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
179 पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 6 जनवरी 2024, रिलीज आईडी: 1993736

संधारणीय विकास की ओर

7.115 संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए छह वर्ष से भी कम समय शेष रह गया है, भारत सरकार अपने नागरिकों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एसडीजी को स्वीकार करने,अपनाने, और उनका समर्थन करने में सबसे आगे रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कई विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद, भारत ने 2030 एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, जो एसडीजी के प्रति देश के लचीलापन और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से नीति आयोग द्वारा एसडीजी पर प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने इन लक्ष्यों को पूरा करने में काफी सुधार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य और स्टार्ट-अप इंडिया जैसे लक्षित हस्तक्षेपों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और तेजी से सुधार हुआ है।

7.116 संधारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की प्रगति हर साल आगे बढ़ी है। इस कार्य प्रदर्शन को 16 मात्रात्मक लक्ष्यों के लिए मापा जाता है, तथा लक्ष्य 17 के लिए गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स द्वारा मापा गया देश का ओवरआल स्कोर/कम्पोजिट स्कोर[180] 2018 में 57 से बढ़कर 2019-20 में 60, 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है। भारत ने सूचकांक के 2020-21 और 2023-24 संस्करणों के बीच एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

7.117 2018 से, भारत ने कई प्रमुख एसडीजी में पर्याप्त प्रगति देखी है। लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा) और 11 (टिकाऊ शहर और समुदाय) में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है (चार्ट VII.13)।

चार्ट VII.15 एसडीजी में भारत की प्रगति

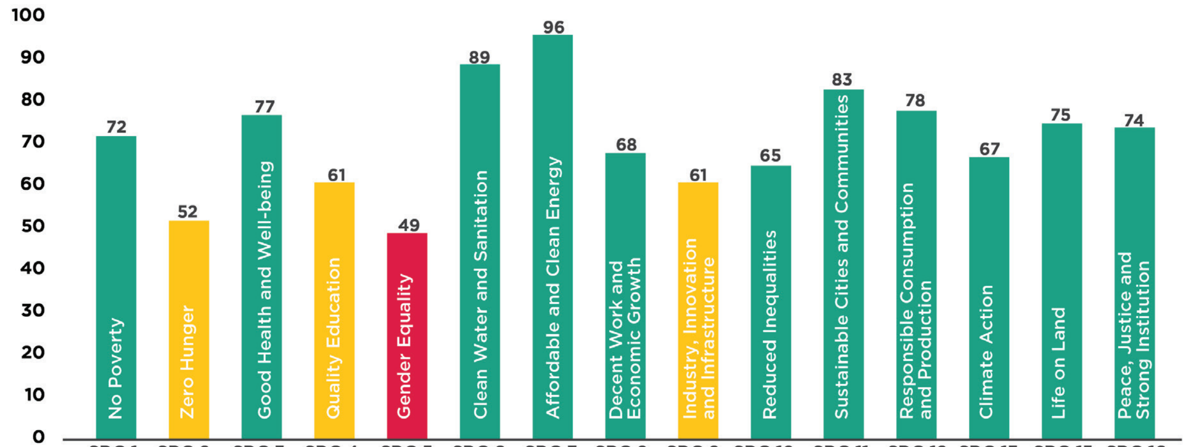

	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 15	SDG 16
2023-24	72	52	77	61	49	89	96	68	61	65	83	78	67	75	74
2020-21	60	47	74	57	48	83	92	61	55	67	79	74	54	66	74
2019-20	50	35	61	58	42	88	70	64	65	64	53	55	60	66	72
2018	54	48	52	58	36	63	51	65	44	71	39			90	71

Aspirant (0-49) Performer (50-64) Front Runner (65-99) Achiever (100)

स्रोत: नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24

180 समग्र स्कोर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए 16 लक्ष्यों के लिए लक्ष्य स्कोर का अंकगणितीय औसत है, जिसमें प्रत्येक लक्ष्य को समान महत्व दिया गया है।

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24 पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन

7.118 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एसडीजी प्रगति में प्रदर्शन में सकारात्मक रुझान की रिपोर्ट दी गई है। राज्यों के लिए अंक अब 57 से 79 के बीच हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंक 65 से 77 के बीच हैं। इस वर्ष, 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 65 से 99 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 2020-21 के संस्करण में यह संख्या 22 थी।

चार्ट VII.16 वर्षों से नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्सपर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शन

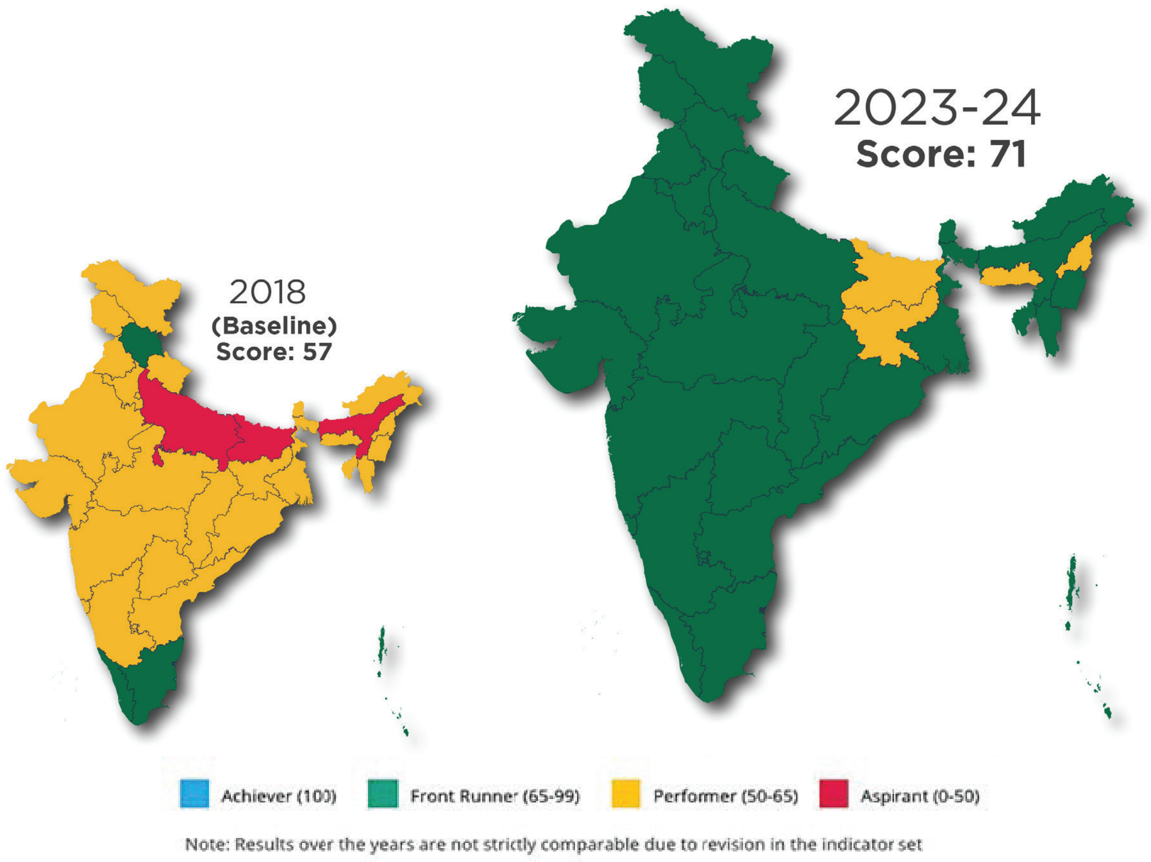

स्रोत: नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24

7.119 गौरतलब है कि फ्रंट रनर श्रेणी में 10 नए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सभी राज्यों में कंपोजिट स्कोर में वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 1 से 8 अंकों तक का सुधार हुआ है।

7.120 2018 और 2023-24 के बीच, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश (स्कोर में 25 की वृद्धि) हैं, इसके बाद जम्मू-कश्मीर (21), उत्तराखंड (19), सिक्किम (18), हरियाणा (17), असम, त्रिपुरा और पंजाब (16), मध्य प्रदेश और ओडिशा (15) हैं।

निष्कर्ष और आगे का मार्ग

7.121 भारतीय अर्थव्यवस्था कल्याण के लिए कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है, जो सशक्तिकरण, सेवाओं के वितरण में दक्षता और निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी पर केंद्रित है। पहुंच के संदर्भ में, बुनियादी आवश्यकताओं की संतृप्ति को अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की उत्पादक भागीदारी के लिए पहला कदम माना गया है, जो निरंतर मध्यम अवधि के विकास के लिए अनिवार्य है। दक्षता के संदर्भ में, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन का डिजिटलीकरण कल्याण कार्यक्रम पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए एक बल गुणक है।

7.122 शिक्षा क्षेत्र में एनईपी 2020 द्वारा शुरू किए गए व्यापक परिवर्तन से हलचल मची हुई है, जिससे निकट भविष्य में तीसरी कक्षा पास करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता और अंकगणित प्राप्त होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि सीखने के परिणामों में सुधार करना और कोविड के कारण हुई सीखने की हानि को दूर करना पहले से कहीं अधिक जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा में, आयुष्मान भारत न केवल जीवन बचा रहा है, बल्कि पीढ़ियों को कर्ज के जाल से भी बचा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने की चुनौती आंतरिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान है। सोशल मीडिया और श्बचपन के महान जुड़ावश के युग में, इस चुनौती का सामना करने के साथ, निर्मल तरीके से, सामुदायिक भागीदारी और विशेष मानव संसाधनों को मजबूत करने के साथ किया जाना चाहिए।

7.123 महिलाओं के नेतृत्व में विकास उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से उत्पन्न होता है, जो नीति और सामाजिक परिवर्तन के रचनात्मक मिश्रण के माध्यम से होता है। फिर भी, महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ाने के लिए बहुत गुंजाइश है, जिसमें निष्पक्षता और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आंतरिक और साधन लाभ सुरक्षित किए जाने हैं।

7.124 कई सक्षम कार्यक्रमों के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता को मजबूत किया जा रहा है। स्व-सहायता आंदोलन अपनी पहुंच के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और विपणन और प्रबंधन में पेशेवर सहायता से सामाजिक पूंजी को लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, आरएसईटीआई का उपयोग कौशल विकास और उद्यम के जिला केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।

7.125 इसके अलावा, कोई भी योजना, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से डिजाइन की गई हो और उसका निर्माण कितना भी बढ़िया क्यों न हो, उसका क्रियान्वयन उतना ही अच्छा होता है। सरकार के सभी स्तरों पर शासन और उद्देश्य की एकता ही सामाजिक कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है। खर्च को परिणामों में बदलने की इस दक्षता को अधिकतम करने के लिए, जमीनी स्तर पर कई चौनलों को खोलना होगा।

7.126 आर्थिक विकास के मूल में मानव विकास निहित है, जो आर्थिक विकास का साधन और साध्य दोनों है। अपनी प्रतिबद्धता में अटल, भारत के पास संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ है और इसके लिए अधीर होने के लिए भी बहुत कुछ है।

****

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है